राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] चौदहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 3

गुरुवार,

18 सितम्बर, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञान। शपथ के लिए श्री संदीप शर्मा। बधाई हो आपको, स्वागत है आपका, आइये। पहले मैं ''मैं'' बोलूंगा, फिर आप अपना नाम और नाम के बाद आप पूरा पढ़ लेना इसको।

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(1)	श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)	शपथ	हिन्दी

श्रवण कुमार जी पधारे हैं क्या? श्री श्रवण कुमार। बधाई, बधाई।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

व्यवस्था देने के पूर्व में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक की बात मानकर बड़ी उदारतापूर्वक व्यवस्था दी है...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका मैं बड़ा आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष: ...और उदारतापूर्वक व्यवस्था देने के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक को भी इधर-उधर नहीं किया है, जितने स्थगन प्रस्ताव आये हैं। लेकिन उसमें एक ही है कि जो परम्परा... (व्यवधान) आप

(श्री अध्यक्ष)

विराजिये, विराजिये । उसमें एक ही है कि दो मिनट की तो परम्परा थी और एक मिनट आपने फरमा दिया, कुल तीन मिनट हो गये। मैं चाहता हूं कि अपनी बात तीन मिनट में समाप्त कर दें, यह मैं सहयोग की आपसे अपेक्षा करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रमेश, सदस्य की ओर से शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शिक्षकों, मंत्रियों एवं राजस्थानवासियों के सम्बन्ध में कथित अमर्यादित, अपमानजनक एवं अत्यन्त गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है। प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में वक्तव्य दिया जा रहा है।

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राज्य में स्कूलों के एकीकरण में मान्य मापदण्डों का पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की पंचायत अजबपुरा, मुंडावरा, गढ़ी खरकड़ी आदि के गांवों में दो-चार पागल सियारों द्वारा काटने से दो लोगों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के नाम फर्जी आबंटन आदेश तैयार कर बेशकीमती भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में फार्म पौंड योजना पर अनुदान राशि कम होने से इसका लाभ किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर

(श्री अध्यक्ष)

के राजगढ़ शहर में बनाये गये डेयरी प्लांट में आज तक दुग्ध उत्पादन शुरू नहीं होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से खींवसर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां नई पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री पूरण मल सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश में पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों पर वर्तमान मापदण्डों को लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से किशनगढ़ शाहबाद (बारां) में कुपोषण के कारण आदिवासी बच्चों की मृत्यु होने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री रमेश, सदस्य की ओर से जिला बारां के शाहबाद में दो सहरिया बच्चों की कुपोषण से मौत होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से गत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड त्रासदी में मृतक एवं लापता लोगों के आश्रितों के लिए लागू किये पैकेज को समाप्त करने की कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम विश्नोई, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री भंवरसिंह, श्री घनश्याम, श्री मनोज कुमार, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री पूरणमल सैनी, डा. किरोड़ी लाल, श्री रमेश एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती गोलमा, सदस्य की ओर से जिला दौसा की पंचायत समिति बांदीकुई की ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा के सरपंच द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की विशेष जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य में क्राप कटिंग आधारित फसल बीमा योजना की विसंगतियों का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के तीन बड़े अस्पतालों में समुचित चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, आधुनिक उपकरण एवं दो छोटी 108-एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर क्षेत्र के 135 विद्यालयों को अधिकारियों की लापरवाही से बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया में नरेगा योजना के सामग्री बिलों के गलत भुगतान की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में पशुओं के लिए चारे एवं पशु-आहार की माकूल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों, अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से रेवदर व आसपास के क्षेत्र के बड़े गांवों से गुजरात एवं महाराष्ट्र के कतिपय शहरों के लिए बसें चलाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से पंचायती राज विभाग के अधीन गत वर्ष 11 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गयी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी शहर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ से सूरतगढ़ सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ओटाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही को पैंथर जोन से मुक्त किये जाने के आदेश प्रसारित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

(1) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, जालौर जिले में नर्मदा पेयजल योजना की डीआरएफआर एवं क्लस्टर योजना की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, नगर परिषद चौमूं में समुचित पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमरा राम, जोधपुर एवं पाली जिले के प्रदूषित रंगीन पानी से बाड़मेर जिले के किसानों की फसल को हो रहे भारी नुकसान के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जोधपुर में अधिक पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री कालीचरणजी सराफ, शिक्षा मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य (स्थगन प्रस्ताव)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा शिक्षकों, मंत्रियों व राजस्थान वासियों के सम्बन्ध में दिया गया कथित अमर्यादित बयान

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के सम्बन्ध में माननीय विधान सभा सदस्य श्री रमेश चन्द मीणा द्वारा नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इस सन्दर्भ में तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

दिनांक 5 सितम्बर, 2014 को बिरला आडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री, मैं स्वयं एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा दिये गये भाषण में सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से है- शिक्षकों के सम्बन्ध में।

उन्होंने कहा, ''शिक्षक दुनिया को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। शिक्षकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भारतवर्ष का आगे का नौजवान कैसा बने। शिक्षक को खुद को सोचना है। शिक्षक को कोई शिक्षा नहीं दे सकता है।''

''गांधीजी का कहना था कि कस्टमर हमारा परपज है। अगर उसको सर्विस नहीं देंगे तो हम धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और खुद का अस्तित्व समाप्त कर देंगे।

(श्री कालीचरण सराफ)

''चौथा, अब आपको यह निर्णय करना है कि शिक्षा विभाग, सरकारी शिक्षक और विद्यालयों का अस्तित्व समाप्त करना है या उसको आगे बढ़ाकर हमारे छात्र-छात्राओं को सही सेवाएं देंगे ताकि वो समाज में प्रतिष्ठित हो सकें। आपने हम लोगों को सिखाया है। आप जैसे शिक्षकों द्वारा सिखाने की बदौलत जो गरिमा मिली है उससे आज हम यहां पर खड़े हैं। जो भी पद है उसके लिए मैं शिक्षक समुदाय का आभारी हूं। शिक्षक समुदाय को इसे आगे से आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकलें, आगे बढ़ें, नाम रोशन करें तभी आपका परिचय सही होगा, नहीं तो आप भी गुमशुदगी में गुम हो जाएंगे।'' फिर उन्होंने कहा, आप शिक्षक लोगों में यह मनोवृत्ति होनी चाहिए कि बच्चों को क्या दोगे, समाज को क्या दोगे। कुछ करके दिखाने का मौका भविष्य में नागरिकों के सही निर्माण की दिशा में केवल शिक्षकों का है। आप इसे याद रखें एवं उस अनुरूप अपने को ढालें, उस अनुरूप आप उठें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभारी भी हूं। आप सहयोग करें कि यहां से बच्चे, आपके पढ़ाये हुए बच्चे समाज के उच्चतम स्तर पर पहुंचें। चाहे आईएएस में आएं, चाहे अमरीका में जाकर करोड़ों रुपये कमाएं, यह आप लोगों के हाथ में है। यह आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, यह समाज, यह प्रदेश सभी आपके आभारी रहेंगे।

इसके बाद उन्होंने भारतीयों के सम्बन्ध में कहा, इंडियन एण्ड सोसायटी में इन्टेलीजेंसी में काफी उच्च स्तर के हैं। परन्तु हमको हमारी सतत् कार्यशीलता को बढ़ाना जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनजी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बगैर गंवाए कितने साइंटिफिक तरीके से हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएं ताकि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बन सके।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि अपनी व्यवस्था दुर्भाग्यवश ऐसी हो गयी है कि हम केवल दण्ड से ही मानते हैं। सही से कोई कितना प्रयास करे, यह बेकार जाता है। हमने चालीस-पचास हजार की या उससे अधिक की तनख्वाह लेनी है, उसको सरकार चाहे तो रोक नहीं सकती। आपकी, मेरी, सबकी तनख्वाह काफी अधिक है। पांचवें व छठे वेतन आयोग में वेतन बढ़ा और सातवें वेतन आयोग से भी बढ़ेगा। लेकिन हम लेने-लेने की सोचें, कुछ देने की भी तो सोचें।

मंत्रीगण के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, ki there is a very good saying,

(श्री कालीचरण सराफ)

one says; ‘‘Don’t look at what a person says. Look at what a person does.” कोई कितना भी भाषण दे, सब बेकार है। अपन जानते हैं, अपन बैठते हैं कोई भी मंत्री भाषण देता है, कोई भी नेता या महात्मा या अधिकारी भाषण देता है, कोई भी बाहर वाला आकर भाषण देता है, अपन इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। ये सब बोलने की बातें हैं। करते क्या हैं? कुछ करने का मौका भी शिक्षकों को है। ओनली मंत्रीजी को मौका नहीं है कि वो कुछ करके दिखा सकें जो कि आप करके दिखा सकते हैं। और यह मौका है कि आप उसको याद करके उस अनुरूप अपने आपको ढालें, उस अनुरूप उठें।

राजस्थान वासियों के सम्बन्ध में, राजस्थान या राजस्थान वासियों की योग्यता के बारे में भाषण में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा ने अपने भाषण में शिक्षकों का अपमान नहीं किया है, न ही राजस्थान के निवासियों को ठेस पहुंचायी। उन्होंने अपने भाषण में शिक्षकों को अभिप्रेरित किया ताकि वे छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा कर सकें। यह मैंने आडियो कैसेट मंगवाकर वरबेटिम मेरे ओएसडी से लिखवायी है और वह मैंने पढ़ी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री रमेश, कोई सवाल? रमेशजी एक सवाल चाहते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और शिक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं कि जो उनका रिकार्डेड भाषण है, उसको गुमराह करने का प्रयास किया है। शिक्षक दिवस पर यदि आप लोगों को शिक्षकों का सम्मान नहीं करना था तो यह समारोह क्यों आयोजित किया? दूसरा, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने आपकी मौजूदगी में, पंचायती राज मंत्री की मौजूदगी में नेताओं और मंत्रियों के लिए कहा कि जनता जो बात सुनती है इस कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। तीसरा, राजस्थान के लोगों के लिए कहा कि ये राजस्थानी किसी योग्य नहीं हैं और इनको मैं मेरे अण्डर में काम में नहीं रखता हूं। तो राजस्थान के लोगों के लिए इतना अमर्यादित गैर जिम्मेदाराना भाषण देना, इस तरह की बात कहना, यह शिक्षकों का अपमान नहीं, मंत्रियों का अपमान नहीं, यह पूरे राजस्थान के वासियों का अपमान है। इतनी बड़ी बात कह दी और इसी बीच आपने भी,

(श्री रमेश)

शिक्षा मंत्री ने भी एक बात कही कि प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक हैं, उनसे दुगना वेतन लेते हैं और रिजल्ट जीरो रहता है। पंचायती राज मंत्रीजी ने कहा कि यदि इनका बस चले, शिक्षकों का अंतिम संस्कार का जो खर्चा होता है, वह सरकारी खाते से निकालने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का वक्तव्य एक आईएएस और यहां के मंत्री दे रहे हैं, उसके बावजूद सरकार इस चीज को सही मान रही है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं इस सरकार के मंत्रियों की और इस एसीएस अधिकारी की यहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह असत्य बात कह रहे हैं, निंदा किस बात की हो रही है? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी अमर्यादित बयान दे रहा है ...(व्यवधान) मंत्रियों के लिए बयान दे रहा है ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) ऐसे बयान देने से शिक्षकों को सुधारा नहीं जा सकता। यदि शिक्षकों को सुधारने की बात है तो कोई प्लान होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, रिजल्ट का कोई आधार होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए ... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप विराजिये। आप भी बैठिये। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मैं एक पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के मुद्दे पर पहले कहना चाहूंगा। हनुमानगढ़ जिले में ख्याला वाली ढाणी, सूरजवाल गांव में आज से तीन माह पहले...

श्री अध्यक्ष: आप यह क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, आपका स्थगन प्रस्ताव है, दूसरा विषय नहीं। नहीं, नहीं, नया विषय नहीं। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): फिर कब कहेंगे? एक नाबालिग लड़की को उसके गांव के सरपंच ने रेप किया।

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए निवेदन किया है, आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये। नहीं, यह अंकित नहीं होगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये। जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर बोलिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, तीसरे सत्र में आपका व्यवहार थोड़ा हमारे प्रति नरम दिख रहा था परन्तु आज थोड़े आवेश में दिख रहे हो। एक एससी की बच्ची के साथ में इस तरह की घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये। यह आपका अलग से विषय है। आप देखिए, यहां विषय उठाने के कई तरीके हैं, शून्यकाल में भी कई तरीके हैं, उस तरीके से आप यह विषय उठाइए, मैं आपको अलाउ करूंगा। लेकिन अचानक से कोई नया विषय आप लेकर आ जाएं, वह अलाउ नहीं करुंगा। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

स्कूलों के एकीकरण में मापदण्डों का पालन नहीं

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, स्कूलों के एकीकरण के मुद्दे पर मैं स्थगन के जरिए आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो मापदण्ड तय किये हैं, उन मापदण्डों में रेवेन्यू विलेज की स्कूल बंद नहीं होगी। लड़कों और लड़कियों की स्कूल लड़कों में शामिल नहीं की जाएगी। जहां स्कूलों में छात्र संख्या कम है, उस स्कूल को जहां छात्र संख्या ज्यादा है उसमें मर्ज किया जाएगा।

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसके बाद में अगर हाई-वे आता है या नहर आती है, दोनों तरफ की स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। इस तरह का मापदंड किया गया था, पूरे राजस्थान में 17 हजार स्कूलें बंद की जा रही हैं, उनका एकीकरण किया जा रहा है। उन स्कूलों में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, रणोदरा की ढाणी स्कूल है वो हाई-वे के उस तरफ है और वहां साल में तीन-चार एक्सीडेंट होते हैं उस प्राइमरी स्कूल को सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में मर्ज कर दिया गया। माननीय अध्यक्षजी, चार-पांच साल के बच्चे हाई-वे क्रास करके किस तरह से जाएंगे, नेशनल हाई-वे-15 पर एलटी ट्रक चलते हैं? इसके अलावा एक रिडियाढाणी स्कूल है वहां राजस्व ग्राम बना हुआ है, उस राजस्व ग्राम की स्कूल को बंद कर दिया। एक सेसावां गांव है वहां चैनपुरा रेवेन्यू विलेज है, उस स्कूल की और गांव की दूरी पांच किलोमीटर है, पांच किलोमीटर की स्कूल को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जहां लड़के कम थे उन लड़कों को दूसरी स्कूल में मर्ज कर दिया गया, कुल मिलाकर एकीकरण के नाम पर बिलकुल धांधली बरती गयी है। मापदंड की पालना नहीं की गयी है। मापदंड की पालना नहीं की गयी है, इसी आधार पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। कलक्टर के मार्फत रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, मेरा आपके मार्फत निवेदन है, उस रिव्यू में जिस विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों का एकीकरण किया गया है, वहां के स्थानीय विधायक को साथ में रख कर फिर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमें कुछ बात कहने का हक बने और हम कह सकें पब्लिक को कि वाकई में यह स्कूल बंद होने के काबिल थी या बंद होने के काबिल नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे? शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, यह बात सही है कि 17 हजार स्कूल हमने मर्ज किये हैं, बंद नहीं किये हैं, पहले तो यह आप ध्यान रखें। दूसरा हमने, ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बंद में और मर्ज में क्या फर्क है? स्कूल बंद हुई हैं। बार-बार नाटक कर रहे हो। यह कौन-सा नाटक है? यह तो बंद ही हुई। स्कूल तो बंद हो गयी है, नाटक बंद नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जवाब सुनो तो सही। बैठिये, बैठिये। जवाब तो सुनो। आप जवाब सुन लीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इस तरह से बोले तब तो हारे हो आप लोग। यह गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान) स्कूलों में ताले लग गये और आप कह रहे हो, बंद नहीं किये।

श्री अध्यक्ष: मेरा आपसे निवेदन है, आप जवाब सुनना चाहते हो कि नहीं? मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जब मंत्रीजी जवाब दें तो पूरा करें तब तक आप सुनिये तो सही, वो क्या कहना चाहते हैं। दो लाइन बोले और आप सब खड़े हो गये। यह नहीं चलेगा। आप अपना वक्तव्य पूरा कीजिये। ये वक्तव्य पूरा करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आने तो दीजिये, क्या कहना चाह रहे हैं वो। पूरा हो जाने दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बीच में मत बोलिये। यह बात बिलकुल सही है ...(व्यवधान) एक मिनट, मैं पहले पूरी बात कर लूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं कहना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं मेरी बात कर लूं उसके बाद पूछ लेना। मैं सबका जवाब दूंगा। आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कालीचरणजी, इनको एकीकरण का और बंद का फर्क समझाओ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, इनको समझा रहा हूं। आप सुनिये। पहले पूरा जवाब सुन लीजिये। आपकी एक-एक क्वैरी का जवाब दूंगा, पर पहले सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: पूरा जवाब तो सुन लीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह बात बिलकुल सही है कि हमने जो एकीकरण किया उसमें कुछ मापदंड निर्धारित किये। नम्बर-1, यदि प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो उसका एकीकरण नहीं किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे यहां 35 की हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनते क्यों नहीं हो?

श्री अध्यक्ष: सुनिये। यह क्या है? डोटासराजी, बोलने दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आगे सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बीईओ ने दो किलोमीटर से ज्यादा बतायी है उसके बावजूद बंद की है आपने। 14.08.14 का आपका आदेश है। मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि बीईओ यह कह रहा है कि दो किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय की दूरी है, फिर भी आपने बंद किये हैं।

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, बैठिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, बिलकुल किये हैं। आप पूरा जवाब सुन लीजिये। एक-एक बात का जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि आगे वक्तव्य नहीं दें। आप सुनना ही नहीं चाहते। वो अपने नियम बता रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) आप सुनते क्यों नहीं हैं? पहले सुन लीजिये ...(व्यवधान) दस-दस किलोमीटर के भी किये हैं। आप बैठिये। दूसरा मापदंड हमने किया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय यदि दो किलोमीटर की दूरी पर है तो उसको मर्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा मापदंड राजस्व ग्राम को इकाई माना है। दूसरे राजस्व ग्राम का स्कूल उसमें मर्ज नहीं किया जाएगा। चौथा, नदी, नाला, पहाड़, हाई-वे, रेलवे लाइन ये यदि किसी के बीच में आते हैं तो उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। शहीद और दानदाता जिन्होंने विद्यालय दान किया या कोई शहीद के नाम से विद्यालय है, उसको मर्ज नहीं किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किये हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं, किये हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये आप। (व्यवधान) सुनते क्यों नहीं हो, प्राब्लम क्या है? मैं बता रहा हूं। यही बता रहा हूं। 17 हजार स्कूलों का एकीकरण हुआ है तो यह बात सही है कि कई जगह इसमें गलतियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: अब गलतियां ठीक करना चाह रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इसलिए हमने समाचार पत्र में विज्ञापन देकर आपत्तियां मांगीं कि 31 अगस्त तक जिसके भी यहां गलती हुई

(श्री कालीचरण सराफ)

है, कोई विसंगति हुई है तो आप आपत्तियां दे दीजिये। हमारे पास 17 हजार में से केवल ढाई हजार स्कूलों की आपत्तियां आयी हैं। उन आपत्तियों का हम सर्वे कर रहे हैं और तीन-चार दिन में उनका सबका निराकरण कर देंगे। इसके बाद भी यदि किसी ने आपत्ति नहीं दी और केवल यहां जबानी जमा-खर्च किया है, वो भी लिखित में दे दें, उनकी आपत्ति को भी दिखवाकर उसका निस्तारण कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजाखेड़ा से आने वाले विधायक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा था कि मैं एक-एक प्रश्न का, कोई जिज्ञासा है, तो जानकारी दूंगा। कहा था इन्होंने।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप आज्ञा दें तो इनसे कुछ पूछ लें। अगर आप आज्ञा दें तो। आपकी आज्ञा बिना तो हम पूछ ही नहीं सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पूछने दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष: पूछिये, पूछिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एकीकरण का और बंद का फर्क पूछ लीजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो ही तो पूछ रहा हूं। मुझे, माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत रियायतें दे दीं उन्होंने। पहले जो शर्तें थीं उनमें बहुत रियायतें दे दीं। सबकी मांगें पूरी हो जाएंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि एकीकरण और बंद में क्या फर्क है, यह बता दें। जब एकीकरण करेंगे ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मंत्री महोदय, ऐसा न करें आप। आप मुझसे उम्र में कम हैं, आप में लंग पावर ज्यादा है और मैं 77 साल का बूढा आदमी हो गया हूं तो दबाओ मत मुझे इस तरह से।

श्री अध्यक्ष: बुढापे का उदाहरण मत दीजिये। उम्र का उदाहरण मत दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप उम्र वाली बात मत करिये। केवल लंग पावर ही नहीं है, इनमें और भी कई पावर हैं बहुत ज्यादा आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उन सारे पावर्स की जानकारी आपको कैसे हुई?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सहभागिता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बहुत अनुभवी, पुराने विधायक हैं। दूसरी बार मंत्री हुए हैं। अब आप एकीकरण और बंद में फर्क बता दीजिये। कोई न कोई स्कूल तो बंद होगी ही।

श्री अध्यक्ष: पूरा सवाल आने दीजिये। बैठिये आप। सवाल पूरा आ जाने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई एकीकरण होगा तो एक स्थान का स्कूल तो निश्चित रूप से बंद होगा। आप विलय करेंगे किसी में।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कर लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मेरे माध्यम से पूछिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके माध्यम से वो सुन रहे हैं। आपकी तरफ निगाह करके I want to catch your eye, sir

श्री अध्यक्ष: आलरेडी कैच कर ली आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा था, माननीय मंत्री महोदय, इस तरह से सदन को मिसलीड करने की आप कोशिश न करें। उधर से भी आवाजें आ रही हैं लेकिन अनुशासन के डर से कुछ लोग खड़े नहीं होना चाहते हैं। एकीकरण में, विलय में और बंद करने में क्या अन्तर है, वो बता दें, नम्बर-1 ? दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्व गांव की सीमा रखी है, अब एक राजस्व गांव के अन्दर ढाणियां भी हैं। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, एक राजस्व गांव के अन्दर ढाणियां भी हैं पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से। हमारे यहां भी हैं। ढाणियों को मिला कर राजस्व गांव एक बना है। माननीय मंत्री महोदय, उस पर्ची को आप छोड़िये,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मेरी बात सुन लीजिये। एक राजस्व ग्राम जो पंचायतों के अन्दर अभी हुआ है, पंचायतों के पुनर्गठन के अन्दर भी इन्होंने राजस्व ग्राम का क्राइटेरिया रखा है कि उसमें से ढाणियां नहीं तोड़ी जाएंगी। एक राजस्व ग्राम के अन्दर पांच ढाणी, छह ढाणी दो-दो, तीन-तीन मील पर ढाणियां हैं, अब उनका क्या हश्र होगा? मैं आपसे ये दो चीज पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा से सम्बन्धित पूछिये। यह पंचायती राज से है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं, शिक्षा में भी यही हुआ है। आपने राजस्व ग्राम रखा है, राजस्व ग्राम में उन ढाणियों क्या इफैक्ट होगा? उन ढाणियों में स्कूल खुले हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात तो यह है कि आज उसी गांव के बच्चे उसी गांव के स्कूल में जाते नहीं हैं। मां-बाप जैसे-तैसे उन्हें भेजते हैं, बगल के गांव में नहीं जाएंगे। इससे शिक्षा के विस्तार की जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षा सबके द्वार पहुंचाने की बात करेंगे, इस अभियान में ठेस लगेगी, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है। उन ढाणियों का इफैक्ट क्या होगा, यह आप बता दीजिये, बस।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये, एक मिनट। (व्यवधान) एक-एक का जवाब दूंगा, बैठिये।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको बड़ी बहस का विषय नहीं बनाना चाहता। जवाब आ जाएगा, उसके बाद मैं अगला लूंगा। बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो अलग बात कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं अलग बात कर रहा था। श्रवणजी आ गए हैं सूरजगढ़ से जीतकर।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): एक मिनट बैठ जाओ, जवाब दे दूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं ध्यान अध्यक्षजी का आकर्षित कराना चाहता था इनकी तरफ, आ गए हैं श्रवणजी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): नहीं दूं जवाब?

श्री अध्यक्ष: बुला लेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बुजुर्ग भी हैं और बहुत अनुभवी भी हैं, मैं इनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूं। मैंने यह कहा कि मर्ज और बंद में फर्क यह है ...(व्यवधान) मर्ज का मतलब यह है कि एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और वहां यदि संख्या कम है, एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं है तो उनको दूसरी स्कूल में मर्ज करेंगे। वह स्कूल बंद नहीं करेंगे, बच्चे अपनी पढ़ाई बदस्तूर जारी रखेंगे। दूसरा आपने कहा कि ढाणियों का क्या होगा। तो आरटीई में बड़ा स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक किलोमीटर की दूरी पर यदि कोई विद्यालय है तो वह मर्ज नहीं किया जाएगा, वह एज इट इज चलेगा। एक प्रश्न और आया है कि सिंधी, उर्दू, पंजाबी के जो अल्पभाषाई स्कूल हैं, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कोई भी विषय बंद नहीं होगा। जहां इन भाषाओं के बच्चे उपलब्ध हैं वहां वह पढ़ाई बदस्तूर जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। माननीय संजय कुमारजी, स्वागत है आपका, वहां बैठ गये, पहले भी बहुत बैठे हैं आप। आइये आप, ओथ लीजिए, आपका स्वागत है। श्रवण कुमारजी। जबान फिसल गयी, जबान फिसल गयी, आइये इधर। यह ओथ का लीजिए, आप बहुत बार ओथ ले चुके हैं। मैं बोलूंगा 'मैं', इसके बाद अपना नाम बोलते हुए आगे ओथ पढ़िये।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(1)	श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)	शपथ	हिन्दी

आइये, हाथ मिलाइये, बधाई लीजिए। (व्यवधान) राठौड़ साहब को बड़ी बधाइयां मिल रही हैं। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शिक्षा मंत्रीजी का जवाब नहीं दिलवाया।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): गांव की स्कूलों को इन्होंने बंद किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ भी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर की पंचायत अजबपुरा, गढ़ी, खरकड़ी आदि के गांवों में पागल सियारों के काटने से हुई मृत्यु का मुआवजा

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव।

अभी एक महीने के अन्दर बानसूर विधान सभा क्षेत्र की चार पंचायतें ऐसी हैं वहां पर सियार जो कि गाड़दे होते हैं, चार-पांच इतने पागल हो गये हैं कि 10-15 लोगों को तो बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। एसएमएस अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई सारे दुधारु पशुओं को भी उन्होंने काट लिया है, उनकी भी मौत हो गयी है। जिस परिवार का पालन-पोषण गांव में दुधारु पशुओं से होता है लेकिन उनको वन विभाग की ओर से नाममात्र का मुआवजा दिया जाता है। वे परिवार बहुत बिलख रहे हैं, वे सारे मांग कर रहे हैं, मैं भी आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगी कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो मुआवजा भैंस और गाय का दिया जाता है उसमें तो, साहब, एक बकरी भी नहीं आती। गरीब किसानों के घर में घुसकर भी आतंक फैल रहा है, इसके लिए वन विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हो गयी उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो बहुत ज्यादा जख्मी हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन दुधारु पशुओं की मौत हो गयी है उनके लिए भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के फर्जी आदेश तैयार कर बेशकीमती भूमि का आबंटन

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के महाजन फील्ड फायरिंग की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जहां 1984 में जिले की लूणकरणसर तहसील के 34

(श्री भंवरसिंह)

गांवों को अवाप्त किया गया था। उस समय सरकार ने विस्थापितों को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिया और अवाप्तशुदा भूमि के बदले में भूमि भी आबंटित करने का प्रावधान किया। 1984 से लगातार इन किसानों को जमीनें आबंटित की गयीं लेकिन 2007 से लेकर 2010 के बीच भूमाफियाओं ने और वहां के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अन्तर्गत आने वाले जो 34 गांव हैं उन 34 गांवों के रहने वाले कुछ किसानों के नाम से फर्जी आबंटन आदेश तैयार करके करीब हजारों बीघा जमीन राष्ट्रीय राज मार्ग पर आबंटित करवा ली।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उन किसानों को यह भी पता नहीं है कि उनके नाम से जमीनें आबंटित की गयी हैं, न ही उनकी फोटो लगाई गई है। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1992 और 1993 की घटना बताकर आबंटन आदेश तैयार किये गये। उन आबंटन आदेशों में वहां के तत्कालीन उपनिवेशन आयुक्त थे उनके भी फर्जी साइन करके उन जमीनों को आबंटित करवा लिया गया। वहां के एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने उन जमीनों को राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। उसके बाद वे सारी जमीनें अलग-अलग लोगों को बेच दी गयीं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने विधान सभा में इसका प्रश्न भी उठाया था लेकिन उसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आया है। जिला कलक्टर बीकानेर ने इस प्रकार के 13 मामलों में अभी 15 दिन पहले मुकदमा दर्ज करवाया है, उसमें पटवारी, गिरदावर या नायब तहसीलदार लेवल के कनिष्ठ कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को सस्पैण्ड कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन रहेगा कि सिर्फ 13 मामले नहीं थे, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें सरकार की अरबों रुपये की बेशकीमती जमीन भ्रष्ट अधिकारियों और कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर आबंटित की और उन जमीनों को आगे बेच दिया। इस प्रकरण की जांच उसी अधिकारी से करवायी गयी है जो अधिकारी उस समय कोलायत का एसडीएम हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि यह जांच बीकानेर से नहीं करवाकर राज्य सरकार के स्तर पर एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित करके करवाई जाए। जो सरकारी जमीन थी, राज रकबा था, जो राष्ट्रीय राज मार्ग पर है, वह जमीन एक-एक बीघा 5 से 10 लाख रुपये है, मेरा निवेदन रहेगा कि उस पूरी जमीन को पुन: सरकारी घोषित किया जाए और जो दोषी

(श्री भंवरसिंह)

लोग हैं उन दोषी लोगों के खिलाफ एक न्यायिक दल बनाकर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री घनश्याम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अति महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट में खतम कर दूंगा मेरी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सदन को सूचना देना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के सदस्य रहे पूर्व विधायक नाथूरामजी सिनोदिया के बेटे के हत्यारे पुलिस की मिलीभगत से ...

श्री अध्यक्ष: यह अखबारों में आ चुका है सब, इसलिए आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुलिस की मिलीभगत से कल फरार हो गये।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो आप यह विषय नहीं उठा सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुलिस की कस्टडी में फरार हो गये।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुलिस की कस्टडी से...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्री घनश्याम।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आपने दिया लिखकर, इसको मैं देखूंगा जीरो आवर के बाद में। (व्यवधान)

टोडाभीम में फार्म पोण्ड योजना के लक्ष्य व अनुदान का विस्तार

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत प्रस्ताव। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पानी पीने की भंयकर समस्या होने के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में फार्म पोण्ड के जो लक्ष्य दिये गये हैं वे बहुत कम हैं। पूर्वी राजस्थान में जमीनी पानी नहीं होने के कारण वहां हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने फार्म पोण्डों की योजना चलायी थी। वह फार्म पोण्ड किसानों के लिये वरदान साबित हो गया है। पीने का पानी, जानवरों के लिए और सिंचाई के लिये फार्म पोण्ड किसानों के लिये बहुत उपयुक्त साबित हुए हैं। उसमें सरकार ने 60 हजार रुपये के अनुदान का लक्ष्य रखा था पर इस सरकार ने उसमें कटौती कर 50 हजार रुपये का ही अनुदान रखा है। बहुत सारी फाइलें फार्म पोण्डों की पिछली साल की लगी हुई हैं उनका आज तक भी पेमेण्ट सरकार द्वारा नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लघु सीमान्त कृषक हैं और छोटे कृषक हैं उनके लिये फार्म पोण्ड में लक्ष्य दूना होना चाहिए और दुगने के साथ -साथ फार्म पोण्डों का अनुदान भी दुगना होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नादौती, टोडाभीम, बामनवास पूरा एक माड एरिया है जिसमें जमीन में बिलकुल पानी नहीं है। एक-एक हजार फुट तक भी बोरिंग कराये गये हैं पर वहां नाम मात्र को भी पानी नहीं निकलता है। फार्म पोण्ड और तालाबों के अलावा वहां पीने के पानी और सिंचाई के लिये और कोई माध्यम नहीं है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि फार्म पोण्ड के ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य बढ़ाये जाएं और किसानों को इसमें फायदा पहुंचाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर के राजगढ़ में निर्मित नवीन डेयरी प्लाण्ट का उपयोग

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 50 अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में

(श्री मनोज कुमार)

करोड़ों रुपये का एक डेयरी प्लाण्ट पिछले पांच साल से तैयार होने के बाद धूल फांक रहा है। मेरे शहर के एन.एच. 65, सिद्धमुख मोड़ पर करोड़ों रुपये की लागत से डेयरी प्लाण्ट को बने करीब पांच साल हो गये है, चूरू जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड द्वारा जिले के दूध उत्पादकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिये डेयरी विकास योजना के तहत राजगढ़ की इस परियोजना का वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किया गया था। परियोजना पूर्ण होने की तिथि 2009-10 में रखी गयी थी। परियोजना पूर्ण तैयार होकर 2 करोड़ 82 लाख रुपये गवर्नमेंट के उसमें खर्च हो गये। इस डेयरी में प्रति दिन 20 हजार लीटर दूध रखने वाले संयंत्रों की स्थापना हो गयी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, जिले के दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ देना। मगर दुग्ध उत्पादकों को लाभ तो दूर की बात रही, इस डेयरी प्लाण्ट का बीते वर्षों में उद्घाटन तक नहीं हुआ। डेयरी विभाग के उच्चाधिकारियों की अनदेखी के कारण डेयरी संयंत्रों के करीब पांच वर्षों से जंग लग रहा है। डेयरी उच्चाधिकारियों से वार्ता करने पर वे कहते हैं कि अब इसका उद्घाटन होगा। 2012 के लिये कहा, 2013 के लिये कहा, लेकिन आज दिन तक इस परियोजना की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। डेयरी संचालन वर्तमान में एक निजी बर्फ फैक्टरी को किराये पर दे रखा है। सरकार की मंशा किराये पर देने की नहीं थी। लोगों को दूध के सीधे उत्पादन का लाभ मिले, यह परियोजना थी। इस योजना में सरकार को न तो कोई स्वीकृति लेनी है, न सरकार को कोई बजट लगाना है। सरकार को सिर्फ अपनी नेम-प्लेट लगाने का काम करना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप बताएं कि जल्द से जल्द कब तक इसको शुरू कर देंगे? आपका बोर्ड, नाम वहां लग जाए कि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे डेयरी प्लाण्ट का उद्घाटन कर दिया। यह आपसे मंशा जाहिर करता हूं कि आप इसका जवाब दें और हमारे राजगढ़ की जनता को इसका लाभ मिल सके, हमारे चूरू जिले को लाभ मिल सके। उच्चाधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण से इस संयंत्र का उद्घाटन नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे विशेष गुजारिश करता हूं कि आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी पूरे राजस्थान का भला करने जा रहे हैं और चूरू रो रहा है। देखो, क्या हो रहा है? पूरे राजस्थान का भला करने जा रहे हैं और चूरू के लोग, केवल दूध ... (व्यवधान) गरीब लोगों के दूध का धंधा होता है।

श्री अध्यक्ष: आप तो पुराने विधायक हैं, इस तरह बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। विराजिये। विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डिस्टर्ब कहां कर रहा हूं, जगा रहा हूं। जगा रहा हूं। सो रहे थे, जगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने जो बैठने की व्यवस्था की है, उस पर मुझे एतराज है। आपने ओला साहब के पास श्रवण लालजी को बैठाया है। श्रवणजी तो मूंछों पर यूं ताव दे रहे हैं और ओला साहब चुपचाप नीचे देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका आब्जेक्शन ठीक करके हम व्यवस्था ठीक कर लेंगे। क्योंकि आज ही उन्होंने ओथ ली है तो उनके बैठने की व्यवस्था आपकी राय के अनुरूप कर लेंगे। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजगढ़ शहर में डेयरी संयंत्र को चालू करने की बात कही है। मेरा आपसे निवेदन है, यह निश्चित रूप से सही है कि 2006 में इसकी स्वीकृति हुई और उसके बाद 2012 तक इसको चालू नहीं किया गया। तब इनकी सरकार थी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको गम्भीरता से लिया है और अभी जो बोर्ड की बैठक 13.08.2014 को हुई है, उसमें यह फैसला हुआ है कि दिवाली के बाद जब दूध सरप्लस होगा, दिवाली के बाद इस संयंत्र को चालू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार नौ महीने से क्या कर रही थी? (व्यवधान) क्या-क्या योजनाएं चालू कीं?

श्री अध्यक्ष: श्रवणजी, श्रवणजी। नहीं, यह रिकार्ड नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय विधायक, आपका अंकित नहीं हो रहा।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये। अंकित नहीं होगा, आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। जवाब आ गया। श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) आप बैठिये। आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं। आप पुराने विधायक हैं, आपको मालूम है कि परमीशन लेकर बोलना पड़ता है। श्रीहनुमान बेनीवाल।

खींवसर में नयी पंचायत समिति का निर्माण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का और पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर, का वर्तमान इलाका मूंडवा पंचायत समिति में आता है। मूंडवा पंचायत समिति की दूरी, अध्यक्ष महोदय, लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर है। नागौर और मूंडवा दोनों को अगर मिलाते हैं तो 47 और 39 मिलाकर 86 ग्राम पंचायतें दोनों पंचायत समितियों में आती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक दुर्भावना की वजह से खींवसर को पंचायत समिति बनने से रोका नहीं जाए। खींवसर के अन्दर एस.डी.एम. कार्यालय, पुलिस थाना, न्यायालय भी खुलने जा रहा है, उप कोष कार्यालय। केवल पंचायत समिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल बाद राजस्थान के अन्दर जब पंचायतों के पुनर्गठन के आदेश सरकार ने किये हैं तो राजस्थान के प्रत्येक गांव, ढाणी के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन के अन्दर यह भावना है, डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पंचायत समिति में काम के लिये जाना पड़ता है, दो सौ किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारा जिला रेगिस्तानी जिला है और मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से रेगिस्तानी है, लोगों को मूंडवा और नागौर आने में बड़ी दिक्कत रहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पांच हजार से साढ़े सात हजार की आबादी का पुनर्गठन का किया है, मैं उसमें भी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष शिथिलता देते हुएनई पंचायतें नागौर, मूंडवा के अन्दर बनें, नागौर जिले में नयी पंचायतें बनें। अध्यक्ष महोदय, मूंडवा पंचायत समिति का परिधि क्षेत्र कुचेरा नगरपालिका के पास जो अंतिम छोर है,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लगभग 165 किलोमीटर है। पंचायतों के उचित निरीक्षण, मानिटरिंग में काफी दिक्कत आती हैं। अध्यक्ष महोदय, खींवसर से जोधपुर का जो नेशनल हाई-वे 65 है, उससे दक्षिण की तरफ की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको मूंडवा पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास साधन उपलब्ध नहीं हों, अगर वह पंचायत समिति में जाना चाहता है तो उसको जाने में बहुत बड़ी कठिनाई आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खींवसर में खाली भारतीय जनता पार्टी हार गयी, मुझे नहीं हरा पाये, इसलिये पंचायत समिति नहीं बनाएं, ऐसी दुर्भावना से राजस्थान की सरकार को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, लोहावट के अन्दर तो तीन-तीन पंचायत समितियां बना रहे हैं। नियम-कायदों की धज्जियां उड़ गयीं जोधपुर के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: अब आप पटरी से उतर गये। आप अपनी बात कहते-कहते पटरी से उतर गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लेकिन खींवसर को पंचायत समिति बनाने में आपको भी मदद करनी चाहिए साथ में। खींवसर पंचायत समिति बने।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये। बस आपने अपना विषय रख दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बहुत बड़ा विकास नागौर जिले का होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मंत्रीजी का जवाब चाहूंगा कि आप हमारे साथ न्याय भी करोगे।

श्री अध्यक्ष: वे चाहें तो देंगे रिप्लाई। (व्यवधान) श्री पूरणमल सैनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इतना आप बता दें। आप हमेशा न्याय करते रहे हैं और अपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप करेंगे रिप्लाई? (व्यवधान) बैठिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, आ गयी आपकी बात। (व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट इसमें बता दें कि खींवसर की जनता को आप राहत प्रदान करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कहना कि राजनीतिक भेदभाव है, मैं सोचता हूं कि जो दिशा-निर्देश हमने जारी किये, वे राजनीतिक भेदभाव से नहीं किये, सारे राजस्थान को देखकर किये। पंचायत समिति बनाने में न तो ट्राइबल एरिया, न रेगिस्तानी एरिया और न जनरल एरिया में कोई अंतर ही किया। जहां पर पचास से अधिक पंचायतें हैं और ढाई लाख से अधिक आबादी है, उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, यह प्रावधान किया हुआ है। मैं सोचता हूं कि उस परव्यू में अगर आपकी खींवसर आती है तो जरूर बनेगी। उसमें भी अगर आपको कोई असंतोष है तो कलक्टर को 11 तारीख तक अपना जो भी आपको असंतोष था, वह वहां पर दिया होगा। उसके बाद उनको देखने का अधिकार है। उसके बाद भी अगर कहीं उसमें असंतोष रह जाता है तो सम्भागीय आयुक्त का फिर से है। उसके बाद भी आपको कोई असंतोष रह जाता है तो मेरे स्तर पर बनी हुई कमेटी को फिर उसमें सुधार करने का अधिकार है। मैं हाउस को आश्वस्त करता हूं कि पंचायतें न बी.जे.पी. हैं, न कांग्रेस हैं, पंचायतें गांव के विकास का आधार स्तम्भ हैं और उसको ध्यान में रखकर हमने बनाने का प्रयास किया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकिण्ड, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। (व्यवधान) सिर्फ एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। विराजिए। नहीं, जवाब आपका आ गया। कुछ बाकी नहीं रहता। श्री पूरणमल सैनी। कुछ बाकी नहीं रहता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जिला कलक्टर के वहां पर समितियां बनी थीं तो सारे विधायकों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलाया।

श्री अध्यक्ष: कुछ बाकी नहीं रहता है, सारा जवाब आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मुझे छोड़कर। सिर्फ खींवसर के विधायक को इसलिए नहीं बुलाया कि वह सरकार के निशाने पर है और बाकी 9 विधायकों की राय ली गयी।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया। खींवसर के माननीय विधायक, पर्याप्त जवाब आ गया। आप उन तक पहुंच जाइए न, उन्होंने रास्ता खोल दिया।

पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों के लिए नये मापदंड लागू करने से उत्पन्न स्थिति

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के तीसरे सत्र में नियमों के नियम-50- स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि निजी महाविद्यालयों के प्रति कालेज निदेशालय ने जो अव्यावहारिक आदेश दिये हैं, वे इनके अस्तित्व को खतरे में डालने से कहीं कम नहीं हैं।

जैसे मैं आपसे निवेदन करूं कि पहले कालेज निदेशालय द्वारा निजी क्षेत्र में महाविद्यालय चलाने के लिए पांच हजार वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती थी उसको बदल कर कालेज शिक्षा निदेशालय ने अब आठ हजार वर्ग मीटर कर दिया। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कालेज का कैम्पस जहां पर भी कहीं बना था, उसके बाएं और दाएं दूसरे कई मालिक आ गये, उस कैम्पस को ऐसी परिस्थिति में कहां कैसे बढ़ाया जा सकता है? निश्चित रूप से आठ हजार वर्गमीटर भूमि का उस निजी महाविद्यालय के लिए एक्वायर करना कठिन कार्य है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले पांच लाख रुपया की एफ.डी.आर करके मान्यता प्रदान की जाती थी, अब वह राशि बढ़ाकर को-एजुकेशन के लिए दस लाख की फर्मा दी गयी और गर्ल्स कालेज के लिए पहले दो लाख रुपये की होती थी जो चार लाख की फर्मा दी गयी। यह निश्चित रूप से निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए अव्यावहारिक है। ये मापदंड काफी कठिन हैं। इतनी फीस उन लोगों के पास आती नहीं है तो निश्चित रूप से उनका अस्तित्व खतरे में है।

तीसरा इसी में मैं कहना चाहूंगा कि निरीक्षण शुल्क पहले तो कहीं पांच हजार रुपये होता था, उस निरीक्षण शुल्क को भी बढ़ाकर पहले बारह हजार किया और अब साढ़े सत्रह हजार कर दिया। हर वर्ष जब निरीक्षण करवाते रहेंगे, साढ़े सत्रह हजार रुपये। राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों, प्रिंसिपल्स के द्वारा यह किया जाता है, उनको राज्य सरकार के द्वारा पेमेंट/तनख्वाह दी जा रही है तो फिर निजी शिक्षण संस्थाओं से यह पैसा क्यों वसूला जाए? निश्चित रूप से इसको भी गलत करार दिया जाए।

चौथा मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने कहा है शास्ति के रूप में कि

(श्री पूरणमल सैनी)

पांच वर्ष या पांच वर्ष से अधिक जिन निजी शिक्षण संस्थाओं को चलते हुए हो गये और उनको परमानेंट एन.ओ.सी. जारी नहीं की गयी है, उनको पांच वर्ष तक के लोगों को डेढ़ लाख रुपये जमा कराना होगा और इससे ज्यादा समय जिन कालेजों को चलते हुए विदाउट परमानेंट एन.ओ.सी. के हो गया, उनको पौने दो लाख रुपये जमा कराना होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): एक मिनट, साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): तो पौने दो लाख रुपया जमा कराना होगा। यह शास्ति भी मैं समझूं कि उन निजी महाविद्यालयों के लिए बहुत ज्यादा होगी। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में जो नए कालेज आते हैं, उनके लिए तो ये मापदंड रखे जा सकते हैं लेकिन परम्परागत रूप से चल रहे महाविद्यालयों के लिए पहले वाले नियमों को ही यथावत् रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल। बस, विराजिए आप। आप जवाब देंगे क्या? डाक्टर साहब, क्षमा चाहता हूं, एक मिनट विराजिए। मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो निजी महाविद्यालय पुराने चल रहे हैं, जिनकी टैम्परेरी एन.ओ.सी. है, उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों के लिए हमने अतिरिक्त निदेशक, कालेज शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है, जो-जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। मैं आपको यहां विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा। पर जो नए महाविद्यालय खुलेंगे, उनके लिए ये नए मापदंड लागू होंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 'न्याय' नहीं होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, मैं यही कह रहा हूं कि अन्याय नहीं होगा। अन्याय नहीं होगा। सारी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, शांत रहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पर भी अतिरिक्त मुख्य सचिव का असर पड़ गया क्या?

श्री अध्यक्ष: सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक, विराजिये।

किशनगंज, शाहबाद और उदयपुर में कुपोषण से आदिवासी बच्चों की मौत

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे गम्भीर मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके कारण किशनगंज, शाहबाद और उदयपुर में भारी कुपोषण के कारण, माल-न्यूट्रिशन के कारण बच्चों की मौत हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज क्षेत्र के माइथा गांव की एक महिला का बयान छपा है। कजोड़ी बाई ने बताया कि क्या करें, खाने को कुछ नहीं है तो बच्चों को क्या खिलाएं। पहले जब सरकार थी तो पेट भर घी, तेल, शक्कर व दाल मिल जाती थी, अब वह भी उपलब्ध नहीं है। जो मजदूरी होती है उससे परिवार का पालन नहीं होता है, ऐसे में बच्चों को क्या खिलाएं? शाहबाद क्षेत्र के मामूनी के निकट रहने वाली एक महिला ने अपने बच्चे को जो दो साल का होने के बावजूद छह किलो वज़न का ही था, उसको छाती से चिपकाते हुए कहा कि पूछ-परक करने को तो कई आते हैं लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। पहले बच्चा कैलवाड़ा में भर्ती था, दो दिन पहले एक अधिकारी ने उसको जबरन बारां भिजवा दिया। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से परिजनों को जो कुछ मिलता है, वह भी परिवार के यापन के लिए घर का मुखिया ले जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी गम्भीर है और पिछले पखवाड़े में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं माल-न्यूट्रिशन के कारण। ऐसा है कि बारां अस्पताल में 20 बैड पर, जो जानकारी हमको मिली है, 62 बच्चे ऊपर-नीचे पड़े हुए हैं जिनमें दस-बारह की तो हालत बड़ी खराब है। कुपोषण। यह भूख है।

इसी ढंग की स्थिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में है। उदयपुर में भी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुपोषण से पीड़ित 12 बच्चों को मंगलवार को एम.बी. हास्पिटल के बाल-चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बच्चों की हालत देखकर चिकित्सक हैरान रह गये। कमजोरी के चलते तीन साल का बच्चा चलना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है।

(डा. किरोडी लाल)

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी मौतें कुपोषण के कारण, माल-न्यूट्रिशन के कारण हो रही हैं, यह भुखमरी की स्थिति पैदा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है कि सरकार का कोई मंत्री, कोई जन-प्रतिनिधि, स्थानीय सांसद या विधायक भी वहां उनकी पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंचा है। माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह वहां से एम.पी. हैं, उन्होंने भी सुध नहीं ली है। सरकार का कोई प्रभारी मंत्री भी नहीं गया। प्रभारी सैक्रेटरी भी नहीं गया। ऐसी भुखमरी की कगार पर पहुंचे परिवार वालों की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की।

यहां तक भी मैं चार्ज लगाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो विशेष भोजन की व्यवस्था ऐसे गरीब परिवारों को की थी, उसको भी इस सरकार ने कर्टेल कर लिया है जिसके कारण महा-भुखमरी की स्थिति राजस्थान के इस इलाके में पैदा हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार को जानकारी है, बड़े पैमाने पर पिछले पखवाड़े में विशेषकर जो भुखमरी की स्थिति पैदा हुई है उसके पैदा होने के क्या कारण हैं? क्या आपके पी.डी.एस. के गेहूं या चावल का वितरण सही ढंग से नहीं किया जा रहा? क्या सहरिया आदिवासी क्षेत्र में जो सरकार की विशेष योजनाएं चलती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई कर्टेलमेंट हो गया? यह गम्भीर स्थिति है। आज के जमाने में कोई लोग भूखं से मरें या माल-न्यूट्रिशन से मरें तो वह ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा आपके जरिए कि सरकार इसमें रेस्पांड करे और उचित व्यवस्था करे ताकि भुखमरी से या माल-न्यूट्रिशन से किसी गरीब की मौत नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आप रेस्पांड कर रहे हैं?

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य, सनसनी फैलाना आपकी फितरत रही है, उसी तरह सनसनी फैलाना चाहते हैं।

समाचार पत्रों में किशनगढ़ और शाहबाद के लिये 6 सितम्बर को एक समाचार प्रकाशित हुआ था, 'दो बच्चों की मृत्यु माल-न्यूट्रिशन से'। अध्यक्ष महोदय, उसी दिन राज्य सरकार में एम.टी.सी. के प्रभारी डा. देवेन्द्र शर्मा को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शाहबाद भेजा गया और उसके पश्चात् हमारे उच्च अधिकारी भी वहां गये। इन दोनों बच्चों की मृत्यु के बारे में विस्तृत जांच हुई। जिला कलक्टर महोदय ने जांच की, उसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग और मुख्य चिकित्सा अधिकारी बारां, तीनों मौके पर गये। इनके परिजनों से मिले। ग्राम पंचायत के सरपंच, पूर्व सरपंच, पंच, उन सबके बयान रिकार्ड हुए हैं। बयानों के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, राहुल पुत्र सिंधिया और कल्लो पुत्र अजयपाल, इन दो के बारे में हुआ है। राहुल एक लड़काजो 18 महीने का था, इसके दाहिने हाथ में फोड़ा था। अध्यक्ष महोदय, 13.5.2014 को शाहबाद चिकित्सालय में भर्ती हुआ, 6 किलो इसका वज़न था, सिर्फ 4 हीमोग्लोबिन था। वहां यह भर्ती रहा 14-15-16 को, और उसके बाद जब इसको कहा कि इसके एब्सेस हो गया था हाथ में, तो इसको बारां चिकित्सालय में ले जाओ, तो प्राइवेट हास्पिटल में गये। मध्य प्रदेश में पोहरी एक जगह है, वहां भर्ती रहा और उसके पश्चात् इसकी 5.9.2014 को मृत्यु हुई।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, कल्लो, यह हरिनगर की रहने वाली है, 18 महीने की है। 6.9.2014 को इसकी मृत्यु हुई। यह भर्ती हुई थी, उसके बाद अपने घर चली गयी। उसके बाद उसकी मां उसको दूध पिला रही थी, दूध सांस में अटक गया, उसके कारण से इसकी मृत्यु हुई।

अध्यक्ष महोदय, सरकार गम्भीर है और सरकार ने बड़े चिकित्सालयों में 40 कुपोषण केन्द्र और 60 जो हमारे रैफरल चिकित्सालय हैं, उनमें माल-न्यूट्रिशन सेंटर खोल रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कुपोषण की बात कर रहे हैं जिसको हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने कभी राष्ट्रीय शर्म कहा था। निश्चित तौर पर देश के पैमाने पर कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें ग्रेड-थर्ड और ग्रेड-फोर्थ के कुपोषित बच्चे हैं, उनको चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है और सरकार की योजना के अनुसार इनके माता-पिता, जो इनके साथ रहते हैं, उनको 130 रुपये प्रति दिन इस बात के लिये दिये जाते हैं। खाना-पीना सारा सरकार मुफ्त करती है। शाहबाद, किशनगढ़ के किसी भी सहरिया एरिया में सरकार ने किसी भी जनकल्याणकारी कार्य को बंद नहीं किया है। वहां पर्याप्त व्यवस्था है। इसलिये यह सारा आरोप जो आपने लगाया है, उसे मैं सिरे से खारिज करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया नियम 50 के तहत कुपोषित बच्चों की मृत्यु के सन्दर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बात अभी मंत्रीजी ने कही, वह बिलकुल गलत है। पूरे राज्य में बारां जिले में 22,373 सहरिया हैं, उदयपुर और किशनगंज में केथूड़ी जाति के 1134 परिवार हैं। कुपोषित बच्चे जो चिह्नित किये गये हैं, वे इन्हीं जातियों में किये गये हैं। अभी सहरिया क्षेत्र में 1250 बच्चों को चिह्नित किया गया है कि कुपोषण से ये बीमार हैं। 62 बच्चे बारां में भर्ती में हैं, करीब 250 बच्चे सहित, टोटल एम.टी. सेंटरों सहित भर्ती हैं। अभी पटारी गांव में नामदेव का लड़का और हरिनगर में राहुल और कल्लो, तीन की मौत हो गयी और 12 बच्चे उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में भर्ती हैं। तो राज्य में जो कुपोषण की समस्या ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस विषय का जवाब आ चुका है।

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने जो लिखा है, उसी संदर्भ में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विषय का जवाब आ चुका है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सदस्य, कुपोषण में और बीमारी में अन्तर बताओ। मौसमी बीमारी अलग चीज है, कुपोषण अलग है। (व्यवधान) भुखमरी से और कुपोषण से कोई नहीं मरा है। एक भी नहीं मरा है।

श्री रमेश (सपोटरा): क्या बोलना चाहता हूं, यह सुन तो लो। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आपके कार्यकाल की पोजीशन देखिए, पूरा पैरालिसिस सिस्टम कर दिया था आप लोगों ने। हमने तो फिर कमेटी बनाकर ठीक किया है इसको। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कांग्रेस के राज में घास की रोटियां खायी हैं सहरियों ने और कांग्रेस के राज में मरा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कुपोषण से कोई नहीं मरा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं-नहीं, साहब, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात सुन लीजिये। नहीं, बिलकुल नहीं चलेगा यह।

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री रमेश (सपोटरा): जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। यह मैं किसी राज्य सरकार पर दोष नहीं डालना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार का दोष है। लेकिन राज्य की सरकार की मंशा होनी चाहिये कि इस कुपोषण को कैसे रोका जाए। वह आपका महत्वपूर्ण बिन्दु है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आ चुका है, आप बैठिये। यह दुराग्रह नहीं चलेगा आपका। आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आइन्दा आपको कभी बोलने के लिये खड़ा नहीं करूंगा। बैठिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: यह क्या मतलब हुआ जब जवाब आ गया?

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कंट्रोल कीजिए, बैठ जाइए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका एक शब्द अंकित नहीं हो रहा, बैठ जाइए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। सारा सदन सुन रहा है। यह दुराग्रह नहीं चलेगा आपका, बैठिये। आप बैठिये। यह नहीं चलेगा। बैठिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये, हो गया आपका।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, बैठिये। मैं कह रहा हूं, आप विराजिये। मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता, रोकिये उनको। पर्याप्त जवाब आ गया है।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप चुप रहिये। आपको नाम लेकर ही पुकारना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इतना गुस्सा ठीक नहीं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, एक बार बैठना चाहिये। आसन का आदेश भी कुछ होता है। बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। हमको व्यवस्था चलानी है और प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन कर रहा हूं। यह देखिये आप, और फिर आप कहते हो, गुस्सा करते हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने रखा है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: आ गया न जवाब।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : सहरिया का पिछली बार भी हमारा जब शासन था उस वक्त में हमने वहां हर परिवार में जाकर उन परिवारों की मदद की है। आज वह स्थिति वापस पैदा हो गयी है। सरकार का ध्यान उस तरफ जाना चाहिये और पूरी गहराई से उनकी मदद करनी चाहिये। वे भूख से मर रहे हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरे मुद्दे पर अध्यक्ष जी ने मेरे को पुकारा है तो मैं अपनी बात कह लूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट, सिर्फ तीन मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

उत्तराखण्ड त्रासदी के पीड़ितों के आश्रितों हेतु घोषित पैकेज समाप्ति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड में जून, 2013 में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आयी थी और बाढ़ के कारण से हजारों-हजारों लोग लापता हो गये या दिवंगत हो गये थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार के मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत साहब वहां गये, तीन दिन रहे, मंत्री भी गये और राहत पहुंचाने का काम किया। यहां आने के बाद में उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की जो लोग मृतक हो गये उनके आश्रितों के लिए और जो स्थायी रूप से लापता हो गये उनके आश्रितों के लिए। 29.07.2013 को हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश और निर्देश पर आदेश निकाला जिसमें जो लोग मृतक हो गये उनके आश्रितों के लिए पांच लाख रुपये उत्तराखण्ड सरकार ने दिया उसके अलावा राजस्थान सरकार ने पांच लाख रुपये, का पैकेज दिया। जो लोग वहां भर्ती रहे उनके इलाज के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी और इसके साथ-साथ में जो बड़ा पैकेज था उसमें उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया। अगर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं लेना चाहता तो उसके लिए अलग से एक पैकेज की घोषणा की। अनुकम्पा नियुक्ति में तीन लोगों को नौकरी भी मिल गयी। जिन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति नहीं ली उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर चार हजार रुपये प्रति माह वेतन और जो बच्चे थे, अगर उनके आश्रित बालिका है तो उसको चार हजार रुपये वेतन के साथ-साथ में चार लाख रुपये एक-मुश्त और 1500 रुपये प्रत्येक बालक को भरण-पोषण का दिये जाने का निर्णय लिया गया, जिसका इम्प्लीमेंट भी हो गया। उसके साथ में माता-पिता संयुक्त रूप से दोनों को, अगर वे उसी बेटे पर आश्रित थे जो खतम हो गया या लापता हो गया, उनको दो हजार रुपये प्रति माह, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक, अगर उच्च शिक्षा करना चाहता है तो उसको 25 हजार रुपये, अगर कोचिंग में पढ़ कर जाना चाहता है तो उसको 50 हजार रुपये एक-मुश्त और उनको सब को बी.पी.एल. मानते हुए एक बहुत बड़ा पैकेज हमारी सरकार ने दिया था।

लेकिन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने आने के बाद

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में उस उत्तराखण्ड की त्रासदी के लिए हमारी सरकार ने जो पैकेज दिया था, उसको समाप्त करने का निर्णय लेकर तीन लोग जिनको सरकारी नौकरी मिल गयी थी, उन सरकारी नौकरी वालों को वापस टर्मिनेट करने के आदेश निकाल दिये। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में जो त्रासदी हुई वो भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है।

श्री अध्यक्ष: यह विषय जम्मू-कश्मीर का नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने जो दिया है, उसी पर बोलें। नहीं, यह नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, हां। यही तो पैकेज दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको तीन मिनट दिये हैं, चार मिनट हो गये, बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो, मैं मेरी बात पर आता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने तीन मिनट दिये, चार मिनट हो गये, बैठिये आप। तीन मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, बैठिये। बिलकुल नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। तीन मिनट नहीं दिये, साहब। मैं कहता हूं, यह सरकार इस तरह की संवेदनहीन सरकार है ...

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी दो मिनट की बात, आपके आदेश से खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: मेरी उदारता का बहुत दुरुपयोग हुआ है आज। आज मेरी उदारता का जितना दुरुपयोग हुआ है ...(व्यवधान) कभी नहीं हुआ। बैठिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इससे संवेदनहीन सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमने कभी देखी नहीं, उत्तराखण्ड के आश्रितों को जो दिया था उस पैकेज को निरस्त कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उदारता से सब ले लिये विषय ...(व्यवधान) बैठाओ इनको, यह आपके वो हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और नरेन्द्र मोदीजी प्रधान मंत्रीजी के जन्म दिन पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, हो गया आपका। आपका विषय हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार से पैसे इकट्ठे करने की +++ कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष: आपका विषय हो गया। एक शब्द अंकित नहीं हो इनका।

बैठिये आप, बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आपकी बात मान कर तीन मिनट दिये, इनको बैठाइये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इनको बैठाइये। (व्यवधान) यह आपके मुख्य सचेतक हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ज्यादा नहीं दे सकता, बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। यह अनुशासनहीनता है, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने तीन मिनट दिलाये, छह मिनट ले लिये। आपके प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। मेरी बिना अनुमति के नहीं बोल सकते, बैठिये। यह आपके सचेतक हैं। बैठिये आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, तीन मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बात सुनने के तौर-तरीके हैं विधान सभा में। विधान सभा में बात कहने की प्रक्रियाएं हैं, तौर-तरीके हैं। यह तो शून्यकाल में एक विशेष जो अधिकार दे रखा है विधायकों को, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

मैंने आज बहुत उदारतापूर्वक शुरू में कहा, तीन-तीन मिनट के बजाय आधा घंटा बोल रहे हैं, पांच मिनट बोल रहे हैं, दस मिनट, और कोई बैठने को तैयार नहीं। क्या मतलब है यह? कोई मानने को तैयार नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप क्या कहेंगे, मुझे बताओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: करो, करो, वाकआउट करो। हां, वाकआउट करो। (व्यवधान) हिम्मत हो तो वाकआउट करो, भई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता, आपके पक्ष को कंट्रोल कीजिए फिर मुझे कहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला था कल जिस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल चर्चा हो चुकी, आप भी बोले थे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर पर ये पूरी राजनीति कर रहे थे, वहां जो उत्तराखण्ड के अन्दर हुआ, वो बात बिलकुल सही है। सरकार को सोचना चाहिए। उसमें हमने जो आदेश दिया, उस पर एक व्यवस्था दी। उस त्रासदी में मृत्यु हुई जिन परिवारों की, हमने उनको इतना बड़ा पैकेज दिया, उस पैकेज को इस सरकार ने एक आदेश के साथ कैंसिल कर दिया। उसके बारे में कोई सुनना ही नहीं चाह रहे।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, कल भी आप इस विषय पर बोल चुके, आपके विधायक भी बोल चुके, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी भी बोल चुके। कल यह

(श्री अध्यक्ष)

विषय यहां पर आ चुका था, फिर भी मैंने अलाउ किया तो इसका मतलब यह थोड़े ही कि आप अनलिमिटेड बोलते चले जाओ। नहीं, अब नहीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्रीमती गोलमा ...(व्यवधान) गोलमाजी, आपका पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे इस लैटर को आप पढ़ा हुआ मान लेना। (व्यवधान)

(श्रीमती गोलमा, माननीय सदस्य का नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख जो पढ़ा हुआ माना गया)

बांदीकुई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा के सरपंच द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की विशेष जांच

[केशव बाड़ी योजना- इस योजना के तहत ग्राम झूंथाहेडाकलां के मंगलराम पुत्र श्री मनफूल, हरिकिशन पुत्र किशोरी लाल, हरिकिशन पुत्र किशोरी बैरवा, बनवारी पुत्र कालूराम (सरपंच का भाई), गिरधारी पुत्र कालूराम (सरपंच का भाई), श्रीनारायण पुत्र मूल्या आदि को केशव बाड़ी योजना के तहत भूमि समतलीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था। बिना कार्य कराये ग्राम सेवा सहकारी समिति बैजूपाड़ा के ग्राम सेवक/सचिव से सांठ-गांठ कर सारा भुगतान सरपंच द्वारा उठा लिया गया। इनमें से कुछ लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन आज तक जांच नहीं करायी गयी और मजदूरों को भुगतान आज तक नहीं मिला। सरपंच ने अपने भाइयों बनवारी पुत्र कालूराम एवं गिरधारी पुत्र कालूराम को समतलीकरण का कार्य देकर फर्जी भुगतान उठवाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है।

ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा में वर्ष 2011 से 2014 के अन्तर्गत एसएफसी/ टीएफसी/निर्बंध योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत हुई थी लेकिन सरपंच प्यारेलाल

मीना द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया। जिस स्थान पर कार्य स्वीकृत हुआ उसे अन्य स्थान पर करवाया गया और कई कार्य तो ऐसे हैं जिन्हें आज दिनांक तक नहीं करवाया और भुगतान उठा लिया गया। पंचायत समिति बांदीकुई के पत्र क्रमांक 19, दिनांक 27.05.2011 से टंकी निर्माण भोपा बस्ती के पास बैजूपाड़ा में 40 हजार रुपये स्वीकृत। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 92, दिनांक 8.02.2012 के द्वारा नवीन हैण्ड पम्प निर्माण, सिक्का ढाणी बैजूपाड़ा हेतु 68 हजार रुपये स्वीकृत किये गये। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 201, दिनांक 16.03.2012 के द्वारा हैण्ड पम्प निर्माण रामसिंह मीना की ढाणी झूंथाहेड़ाकला हेतु 68 हजार रुपये स्वीकृत। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 504-33 दिनांक 10.12.2012 के द्वारा टंकी निर्माण पोटोल्या ढाणी भोमिया के स्थान के पास हेतु 58 हजार रुपये स्वीकृत। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 504-33 दिनांक 10.12.2012 के द्वारा टंकी निर्माण मुख्य सड़क हरिकिशन प्रधान के मकान के पास हेतु 58 हजार रुपये की स्वीकृति। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 504-33, दिनांक 10.12.2012 के द्वारा टंकी निर्माण खारी कोठी स्कूल के पास 59 हजार रुपये की स्वीकृति कर भुगतान उठा लिया गया और आज दिनांक तक उक्त कार्य नहीं कराये गये। इसी तरह पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 602-6 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा 2 लाख रुपये की स्वीकृति बोरवैल मय टंकी निर्माण बत्तूलाल मीणा की ढाणी के पास आम रास्ते पर की गयी किन्तु उस स्थान पर कार्य नहीं कराकर स्वयं के मकान के पास निर्माण कार्य करवाया गया। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 235-240 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा 98 हजार रुपये रास्ता दुरुस्तीकरण मुख्य सड़क से ख्याली के मकान तक ग्राम कंचनपुरा को दो बार कागजों में स्वीकृत कर भुगतान उठा लिया गया, किन्तु आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण है। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 601-06 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा 1,72,000/- रुपये की स्वीकृति ग्राम बैजूपाड़ा में सूर्यप्रकाश राव के मकान के पास बोरवैल मय टंकी निर्माण दो बार कागजों में स्वीकृत कर भुगतान उठा लिया और आज तक सूर्यप्रकाश राव के मकान के पास कोई बोरवैल व टंकी का निर्माण नहीं हुआ। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 4890-95 के द्वारा 1,80,000/- रुपये बोरवैल मय टंकी निर्माण भिधवा की ढाणी हेतु स्वीकृत किये गये, कार्य आज तक नहीं हुआ और भुगतान उठा लिया। इसी प्रकार से पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 3061-65 दिनांक 7.08.2014 के द्वारा 2-2

लाख रुपये ग्राम बैजूपाड़ा की ढाणी पर बोरवैल मय टंकी निर्माण हेतु स्वीकृत कर भुगतान उठा लिया और उक्त राशि में केवल कुण्डा का निर्माण कराया गया।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा के ग्राम बैजूपाड़ा में पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 388-92 दिनांक 01.10.2013 के द्वारा 2 लाख रुपये दिनेश शर्मा के मकान से चंदर खटीक तक सीसी रोड निर्माण, पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 388-92 दिनांक 01.10.2013 के द्वारा 2 लाख रुपये सीसी रोड निर्माण मुख्य सड़क से हाट्या के मकान तक स्वीकृत कर भुगतान उठा लिया और आज दिनांक तक कार्य नहीं कराया गया। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 4795-99 दिनांक 4.10.2013 के द्वारा 2,75,000/- रुपये अपूर्ण सीसी रोड ठाकुरजी के मंदिर तक दो बार एसएफसी/टीएफसी में भी स्वीकृत करवाये गये और इसी सीसी रोड को विधायक कोष वर्ष 2013-14 में 3.50 लाख रुपये स्वीकृत करवाकर सरपंच द्वारा तीन बार भुगतान उठा लिया गया। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 368-42 दिनांक 4.10.2013 के द्वारा 2 लाख रुपये ग्राम बैजूपाड़ा में बैरवा बस्ती के पास नाले की सुरक्षा दीवार व रपट का निर्माण हेतु स्वीकृत किए थे लेकिन आज तक नहीं करवाया गया।

ग्राम झूथाहेड़ाकलां में एक ग्रेवल रोड नरेगा के तहत स्वीकृत हुई थी जिसका कार्य मजदूरों से न कराकर ट्रैक्टर आदि से कराया गया। जेसीबी मालिक मानसिंह मीणा झूंथाहेड़ाखुर्द से करवाया और फर्जी मस्टरोल भरकर भुगतान उठा लिया गया। इसी प्रकार ग्राम बैजूपाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के लिए नरेगा में 3.51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई जिसमें एक भी मजदूर नहीं लगाया गया और सारा कार्य ट्रैक्टर एवं जेसीबी से कराया गया। जेसीबी मालिक भगवान सहाय झूंथाहेड़ाकलां एवं ट्रैक्टर चालक प्यारे लाल मीणा कोठीन, मनीराम मीना कोठीन, पांच्या पुत्र राधाकिशन मीना कोठीन, भगवान सहाय झूंथाहेड़ाकलां एवं स्वयं सरपंच के ट्रैक्टर के द्वारा 2 दिन में कार्य पूरा करके जीएसएस बैजूपाड़ा से भुगतान उठा लिया गया। ग्राम बैजूपाड़ा में सीसी सड़क निर्माण हरि रावत की दुकान से मुरारी तक, कुशल सिंह से श्रवण कुम्हार तक एवं राधा मोहन की दुकान से राधेश्याम प्रजापत तक घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और एक ही बरसात में सड़क टूट गयी। सीसी सड़क निर्माण मुख्य रास्ते से हरकेश मीना के मकान की ओर ग्राम कंचनपुरा हेतु विधायक कोष से 5.00

लाख रुपये में मात्र 50 फीट का किया जो मौके पर मौजूद है और भुगतान पूरा 5.00 लाख रुपये का उठा लिया गया।

पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 504-33 दिनांक 10.12.2012 के द्वारा 58 हजार रुपये ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा में एक कुण्डा स्वीकृत किया गया जिसे ग्राम ढिगारिया कपूर में कानजी पटेल के नदी वाले मकान पर बनाया गया। पंचायत समिति के पत्र क्रमांक 95, दिनांक 8.2.2012 के द्वारा 55 हजार रुपये कुण्डा निर्माण राजाराम मीणा की ढाणी आम रास्ते में ग्राम कोठीन हेतु स्वीकृत किये गये लेकिन इस कार्य को ग्राम ढिगारिया में राजाराम मीणा के घर के पास निर्मित कर दिया गया और भुगतान उठा लिया गया। इस प्रकार एक ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा दूसरी ग्राम पंचायत के ग्राम में जाकर अपने रिश्तेदारों को लाभ देने की दृष्टि से निर्माण करा दिया गया। झूंथाहेड़ाकलां के रामसिंह के घर पर ग्राम पंचायत की तरफ से हैंड पम्प बोर काटा गया जिसका भुगतान भी उठा लिया गया लेकिन हैंड पम्प आज तक नहीं लगा। ग्राम झूंथाहेड़ाकलां के बैरवा मोहल्ले में एक हैंड पम्प स्वीकृत हुआ जिसे कैलाश मीणा (चौकीदार) के यहां बैजूपाड़ा में लगा दिया, इस प्रकार स्वीकृत स्थान पर हैंड पम्प नहीं लगाये गये।

अत: ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा (पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा) के सरपंच श्री प्यारेलाल द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये भारी भ्रष्टाचार की विशेष जांच करवाई जाए।]

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी। माननीय गृह मंत्रीजी। नहीं, आप बैठिए। आपके तो बहिर्गमन कर गये। आप डिसिप्लिन में रहिए, वे वाकआउट कर गये हैं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी डिसिप्लिन में रहिए। वे आपको बाहर निकाल देंगे ...(व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): आपने अलाउ किया था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): आपने कहा था। इतना बड़ा गम्भीर मुद्दा है और आपने मुझे कहा था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके साथी चले गये सभी। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बैठा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप कांग्रेस से वाकआउट कर गये क्या? (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): बाद में कर जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कांग्रेस से वाकआउट कर दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं अलाउ करूंगा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): आपने सवेरे कहा था।

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी वाकआउट कर गयी है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनको बोलने दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक भी बोलना चाहते हैं। अच्छा बोलिए, यह बात भी सही है। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पार्टी के साथ नहीं हैं। यह अपने साथ हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): आप कुछ भी समझें ...(व्यवधान) एक मिनट, सीरियस इश्यू है। बड़ी कृपा की हमारे ऊपर भरतपुर में। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह बुलाने आ गये। ले जाओ इनको। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान) यह विधान सभा है, यहां हाथापाई हो रही है। (व्यवधान) विधान सभा में हाथापाई हो रही है। हाथापाई कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए। (व्यवधान) मैं आपको इजाजत देता हूं। आपने कृपा की कि आपने वाकआउट नहीं किया इसलिए आपको इजाजत देता हूं।

सूचना

भरतपुर के महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के चिह्न (लोगो) में सूरजमल के प्रतीक का अभाव

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): धन्यवाद। आपने सवेरे वादा कर लिया था मुझे टाइम देने के लिए, मैं बहुत ही गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूं। मुख्य मंत्री महोदया ने बड़ी उदारता से भरतपुर की जो यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम महाराजा सूरजमल के नाम से रखा। बड़ी कृपा की, हम लोग कृतज्ञ हैं। सरकार के कृतज्ञ हैं। लेकिन आज अभी मुझे मालूम पड़ा है कि जो वहां लोगो बनाया जा रहा है, वह वी.सी. की मनमानी से बनाया जा रहा है, उसमें महाराजा सूरजमल का कहीं जिक्र नहीं है। महाराजा सूरजमल वह हस्ती थे जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए बहन, बेटी का नहीं डोला नहीं दिया, वह शक्ति थी जिन्होंने अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ाई लड़ी, लोहा लिया। आज जाट इतिहास को मिटाने का प्रयास है। लोगो में केवल एक दीपक लगाया जा रहा है, उनकी पूरी जीवनी का विवरण नहीं दिया जा रहा है। इस पर मैं स्ट्रांग आब्जेक्शन करता हूं और जो मैं वाकआउट नहीं कर सका उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, अब क्या लेना है ...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य (स्थगन प्रस्ताव)

उत्तराखण्ड त्रासदी के पीड़ितों के आश्रितों हेतु घोषित पैकेज की समाप्ति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तराखण्ड त्रासदी के बारे में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, +++ का, मैं सोचता हूं कि इसको करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: यह +++ शब्द ड्राप कर दिया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विषय उनका था। वास्तव में जिस पैकेज की उन्होंने घोषणा की, मैं सोचता हूं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसने, जितना पैकेज उत्तराखण्ड ने नहीं दिया, केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, उससे भी अधिक पूर्व सरकार ने घोषणा की। उसका हमने अक्षरश: पालन किया, वह पैसा साढ़े 8 लाख रुपया जो उनको कुल मिला, उसमें से 5 लाख अकेले राजस्थान का है, 2 लाख केन्द्र का है और उत्तराखण्ड का मात्र डेढ़ लाख रुपया है। हमारी सरकार ने इस त्रासदी में जो लोग मरे हैं, उनको अनुकम्पा नियुक्ति देने के बारे में भी अपनी घोषणा की थी। इस त्रासदी के बारे में, चूंकि त्रासदी आज यह है, कल छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई बस एक्सीडेंट होगा, कोई नाव एक्सीडेंट होगी, यह एक अगर आधार बन गया तो हमने जानकारी की कि और किसी राज्य में भी इस प्रकार का कोई पैकेज दिया गया क्या। मैंने सभी राज्यों से रिपोर्ट मंगायी है, किसी भी राज्य ने, मैंने कोई एक दिन में इसको समाप्त नहीं किया है, पहले विषय की जानकारी लेने का प्रयास किया। झारखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम इन सबसे रिपोर्ट मंगायी। इन्होंने अपने हिसाब से जो सहायता दे सकते थे वह दी। लेकिन किसी को भी अनुकम्पा नियुक्ति के बारे में किसी का भी नहीं था। न केन्द्र सरकार का था, न ही किसी का था। अगर हम उत्तराखण्ड त्रासदी के कारण से देते हैं तो भविष्य में जहां-जहां भी छोटी-मोटी घटनाएं होंगी, वहां सब जगह अनुकम्पा नियुक्ति का रास्ता आज या कल खुलेगा। उसको ध्यान में रखकर जो भी बाकी पैकेज दिया, शिक्षा में, बाकी सब सुविधा में, शत-प्रतिशत पिछली सरकार की हमने पालना की है। उत्तराखण्ड ने घोषणा करने के बाद भी उसको आधा कर दिया। हमने आधी नहीं की। केवल अनुकम्पा नियुक्ति का ही कि ऐसा मापदंड न बने। भविष्य में कोई मोटर साइकिल एक्सीडेंट या कुछ हो जाएगा तो त्रासदी के कारण से हर व्यक्ति अगर अनुकम्पा नियुक्ति की स्थिति में आएगा और उसमें अगर मांग उठ जाएगी तो उसको रोक पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। जिस प्रकार से भी सरकार मदद कर सकती है, वह करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि शायद हिन्दुस्तान का पहला प्रधान मंत्री होगा जिसने अपनी सारी की सारी सेना को लगाकर लोगों को बचाया है। उसके बाद भी उनको +++ कहकर पुकारे प्रतिपक्ष का सदस्य और वह भी सचिव महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैंने वाकआउट नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वाकआउट नहीं किया लेकिन आप बीच में नहीं बोल सकते ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं दूंगा परमीशन ...(व्यवधान) आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): महाराज साहब ने जो महाराजा सूरजमल के बारे में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं उस पर आ रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर बेनीवाल, बैठिए।

भरतपुर के महाराजा विश्वविद्यालय के चिह्न (लोगो) में सूरजमल के प्रतीक का अभाव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने महाराज सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर के बारे में उनके लोगो में महाराज सूरजमल के इतिहास को छिपाने की बात कही। उनके अलगाव करने की बात कही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराज सूरजमल का शौर्य का इतिहास, बलिदान का इतिहास सब लोग जानते हैं। इसी कारण से पिछली सरकार जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमारी नेता वसुंधराजी ने उनके नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। यह दुर्भाग्य रहा कि उसके पश्चात सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस दल में महाराज विश्वेन्द्र सिंहजी विराजे हैं, जो डीग से आते हैं, उनका नियंत्रण उस पार्टी में कहीं था नहीं, इसलिए पूरे 5 साल ही पूरा विश्वविद्यालय ठंडे बस्ते में रहा। उसमें जो कुलपति लगे हैं, वह पिछली सरकार के द्वारा लगाये गये कुलपति हैं। फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराज सूरजमल के इतिहास को, बलिदान को, त्याग को, शौर्य को और बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ी गयी लड़ाई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को, उन सारी बातों को देखते हुए उनके नाम से जो विश्वविद्यालय है, उसमें उनका इतिहास बिलकुल इंद्राज रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने जो जिक्र किया था वह लोगो का जिक्र किया था। लोगो में दीपक का चिह्न आ रहा है। लोगो में महाराजा सूरजमल का प्रतीक आना चाहिए। उन जैसा सुंदर और उन जैसी रौबीली मूंछों वाला चिह्न कहीं नहीं है। बात लोगो की थी।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

क्राप कटिंग आधारित फसल बीमा योजना की विसंगतियां

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया वसुंधरा राजेजी द्वारा प्रदेश के किसानों की ओर विशेष ध्यान देते हुए किसानों की खरीफ और रबी की फसलों का क्राप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम राशि का भुगतान करवाने की व्यवस्था की गयी थी जिससे गरीब किसानों को काफी मदद मिली थी। प्रदेश के किसानों ने इस योजना को खूब सराहा था। तेरहवीं विधान सभा के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खरीफ एवं रबी फसलों के बीमा क्लेम के मापदंड बदलकर क्राप कटिंग के स्थान पर मौसम आधारित बीमा लागू कर दिया था जिसके पीछे उनकी मंशा किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने व बीमा कम्पनियों को फायदा पहुंचाने की लगती है।

वर्तमान में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया वसुंधरा राजेजी ने प्रदेश के किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए बीमा क्लेम के मापदंडों को बदलते हुए क्राप कटिंग आधारित बीमा योजना को पुन: लागू करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के साथ ही किसानों को भी निश्चित रुप से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है। परन्तु वर्तमान में क्राप कटिंग आधारित बीमा पालिसी में भी कुछ विसंगतियां रह गयी हैं जिन्हें समय रहते ठीक किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के किसानों को सम्बल प्रदान किया जा सके। इससे किसानों की खेती के प्रति रुचि बनी रहेगी और किसान अपनी मेहनत से प्रदेश में खेती को नए आयाम प्रदान कर सकेंगे।

(श्री कैलाश चौधरी)

वर्तमान पालिसी में केन्द्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध किए जाने वाले ऋण का मात्र 20 से 25 प्रतिशत राशि के बराबर का ही बीमा लागू होता है जो कि किसानों के ऊपर वज्रपात से कम नहीं है। यदि एक किसान द्वारा अपनी जमीन पर केसीसी पर या सहकारी ऋण के रूप में 1 लाख रुपये का ऋण लिया गया है तो बीमा कम्पनियों द्वारा 20 से 25 हजार के बराबर ही बीमा किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार से प्रदेश के किसानों के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। किसानों के साथ हो रहे इस तरह के अन्याय को रोका जाना चाहिए। केन्द्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण के बराबर की राशि का ही बीमा किया जाना चाहिए तथा बीमा क्लेम राशि का आकलन भी उसी राशि के अनुसार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

जोधपुर शहर के मुख्य चिकित्सालयों की व्यवस्था में सुधार व छोटी एम्बुलेंस की आवश्यकता

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों-महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल एवं मथुरादास माथुर अस्पताल में समुचित चिकित्सा स्टाफ एवं बिल्डिंग निर्माण, वार्ड निर्माण के साथ चिकित्सकीय उपकरणों इत्यादि का टोटा है। बिल्डिंग निर्माण सम्बन्धी कई कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं जबकि दिन प्रति दिन रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए जोधपुर शहर में स्थित कई राजकीय अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, डिस्पेंसरी इत्यादि में समुचित चिकित्सक, चिकित्सा स्टाफ एवं मेडिकल सम्बन्धी लैब इत्यादि लग जाते हैं तो उक्त तीनों बड़े अस्पतालों पर बढ़ते मरीजों के दबाव में काफी कमी आएगी।

जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में कार्यरत डिस्पेंसरियों, अस्पतालों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने एवं केवल मात्र सामान्य रोगों का उपचार होने से आम मरीजों को इन तीन अस्पतालों की ओर रुख करने पर

(श्री कैलाश भंसाली)

मजबूर होना पड़ता है। इसका उदाहरण है कि नवचौकिया में प्रसूताएं नहीं आती हैं क्योंकि वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं। मधुवन डिस्पेंसरी बहुत ही छोटी है। यहां पर 30 बैड का अस्पताल बनाया जाता है तो उक्त तीनों बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा क्योंकि यह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ऐसे ही रेजीडेंसी रोड डिस्पेंसरी का भी विस्तार किया जाए तो काफी हद तक इस भार को कम किया जा सकता है। जोधपुर चूंकि महानगर एवं सम्भाग है इसलिए आसपास के कई बड़े जिलों से भी वहां के चिकित्सक मरीजों को जोधपुर में रैफर करते हैं। ऐसी स्थिति में तीनों बड़े अस्पतालों में मरीजों की तादाद अधिक रहती है। अत: मेरा आपसे आग्रह है कि जोधपुर शहर में स्थित राजकीय चिकित्सालयों का भी वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनीकरण एवं समुचित चिकित्सा स्टाफ के साथ मेडिकल उपकरण दिये जाते हैं तो आम जन को राहत मिलेगी।

इसी के साथ जोधपुर जिले में वर्तमान में 108 बड़ी गाड़ियां कार्यरत हैं जो शहर के बाहरी इलाके एवं खुले हुए स्थानों से मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने का कार्य करती हैं, किन्तु शहर के भीतरी इलाकों की गलियां इतनी सकड़ी हैं कि इन गाड़ियों का जाना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त या बीमार व्यक्ति को समय पर प्रारम्भिक चिकित्सा नहीं मिलने से वह काल के ग्रास में चला जाता है। इस सम्बन्ध में आपसे आग्रह है कि जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्रों हेतु 2 छोटी-108 आबंटित की जाएं एवं उनका स्थान घण्टाघर एवं सिवांची गेट रखा जाए। उक्त दोनों स्थलों से शहर के भीतरी क्षेत्र की दूरी मात्र 5 से 10 मिनट की होगी। उक्त स्थल पर खड़ी रहने से आपातकालीन स्थिति में आमजन को चिकित्सा सुविधा सही समय पर मिल सकेगी।

आपसे गुजारिश है कि आप उक्त समस्याओं पर गौर फर्मा कर जल्द से जल्द अस्पतालों में समुचित चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, आधुनिक उपकरण इत्यादि के साथ 2 छोटी-108 एम्बुलेंस जोधपुर को मुहैया करवाकर जोधपुर की जनता को राहत पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर क्षेत्र में विद्यालयों के समानीकरण से आक्रोश

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

(श्री शंकर सिंह)

सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु विद्यालयों के अधिग्रहण का कदम स्वागत योग्य था लेकिन स्थानीय ब्लाक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा एवं नियमों को ताक में रखकर ब्यावर क्षेत्र में दो-दो किलोमीटर दूर स्थित वन क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी राजस्व गांवों के 135 विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया है, इससे ब्यावर क्षेत्र के लगभग 50 गांवों के विद्यालय बंद हो जाएंगे। इस तरह के विद्यालय समानीकरण से शहरी ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता के मन में भारी आक्रोश है।

अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ब्यावर क्षेत्र के जिन 135 विद्यालयों को अधिकारियों की लापरवाही से बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है, उस आदेश को आम जनता एवं गरीब जनता के बच्चों के भविष्य हेतु निरस्त कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीराम भींचर।

मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया में नरेगा योजना में सामग्री बिलों का गलत भुगतान

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया में मनरेगा योजना में सामग्री बिलों के गलत भुगतान की जांच कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं। पंचायत समिति मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया में वर्ष 2009-10 में मनरेगा योजना में ग्रेवल सड़क निर्माण नान्दोली मेड़तिया से बडू सरहद तक, ग्रेवल सड़क निर्माण नान्दोली मेड़तिया से धान्धोली, ग्रेवल सड़क निर्माण धान्धोली से ततारपुरा तक, खुर्रा व नाली निर्माण गणेशाराम बाबल के घर से मेन गुवाड़ तक कार्य स्वीकृत हुए थे। सभी स्वीकृत चारों कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया द्वारा मैसर्स कड़वा कंस्ट्रक्शन, नान्दोली मेड़तिया ने सामग्री की आपूर्ति कर सम्बन्धित कार्यों के सामग्री के बिल-वाउचर ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत

(श्री श्रीराम भींचर)

प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा पंचायत समिति, मकराना कार्यालय में प्रस्तुत किये। कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत बिल-वाउचर के आधार पर सामग्री बिलों के पेटे राशि का भुगतान ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर दिया गया।

ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया की सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स कड़वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, नान्दोली मेड़तिया को नहीं कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एवं भारी कमीशन लेकर मेड़तिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सिरसू को सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर भुगतान की गई राशि मेड़तिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सिरसू से वसूल कर मैसर्स कड़वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, नान्दोली मेड़तिया को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। सरपंच, ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया व ग्राम सेवक, पदेन सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की स्थिति भी स्पष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर जिले में चारे एवं पानी की व्यवस्था

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले में अकाल की विभीषिका में चारे एवं पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि जैसलमेर जिला विगत वर्ष भी अकाल की चपेट में रहा था। किसानों द्वारा पशुओं के लिए वर्ष भर जैसे-तैसे चारे एवं पानी की व्यवस्था की गयी थी तथा अकाल के अंतिम दो माह में राज्य सरकार द्वारा पशु शिविर खोले गये थे जिससे भी किसानों एवं पशुपालकों को कुछ राहत प्राप्त हुई थी। वर्षा की आस में ही पशु शिविर नहीं चलाये गये। उसके बाद राज्य सरकार ने ही पशु शिविर बंद करने के आदेश जारी कर दिये। परन्तु इस वर्ष जैसलमेर जिले का अधिकांश क्षेत्र इन्द्रदेव की नाराजगी झेल रहा है। जिले में 80 प्रतिशत से भी अधिक भू-भाग में वर्षा न के बराबर हुई है और चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। वर्षा नहीं होने से किसानों द्वारा खेतों में बिजाई प्रारम्भ करते ही भीषण रेतीली

(श्री छोटू सिंह)

आंधियों व तूफान ने फसल को उगने ही नहीं दिया। पटवारी मौके पर जाकर देखते हैं तो खेतों में धूल की चादर भरी पड़ी है जिससे उनको यह भी पता नहीं चल पाया है कि बिजाई हुई थी या नहीं। किसानों को दोहरे संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ किसानों द्वारा लाखों रुपये कीमती बीज से फसलों की बिजाई की गयी तो दूसरी तरफ हजारों किसानों द्वारा फसल बीजी गई थी या नहीं, यह भी गिरदावरी रिपोर्ट में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मौके पर रेत की चादर अटी पड़ी है। वर्षा नहीं होने से अभी से ही पशुओं के सामने चारे-पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। चूंकि आगे की वर्षा में पूरा वर्ष शेष पड़ा है, ऐसे में किसानों व पशुपालकों के सामने अकाल की भयंकर विपत्ति उत्पन्न हो गयी है एवं पशुओं के लिए चारा एवं पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। चूंकि राज्य सरकार के विशेष आदेश से गिरदावरी प्रोग्राम समाप्त हो गया है जिससे भी संकट का भयावह सच सामने आ गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जैसलमेर जिले में पशुओं के लिए चारे व पशु आहार की माकूल व्यवस्था के लिए चारा डिपो एवं पशु शिविर की स्वीकृति की जाए एवं पशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार की व्यवस्था की जाए। सभी पंचायत मुख्यालयों पर तत्काल ही चारा डिपो के आदेश जारी किये जाएं। दूरस्थ ढाणियों सहित प्रभावित सभी गांवों में पेयजल की माकूल व्यवस्था हेतु प्रभावी कदम उठाये जाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सबसे अधिक प्रभावित गांवों को प्राथमिकता देकर विभीषिका की स्थिति एवं आवश्यकतानुसार वर्ष भर की योजना बनाकर स्थानीय निवासियों एवं पशुधन के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सेवण घास प्रचुर क्षेत्रों में पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की जाकर वहां पशुओं के लिए पशु हौद बनाकर उसमें नजदीकी पाइप लाइनों से कनेक्शन दिया जाए अथवा टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाए।

प्रशासन व सरकार द्वारा समय पर उचित व प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो आने वाले समय में स्थिति बेहद ही खराब हो सकती है। अत: सरकार से अनुरोध है कि पशु डिपो, पशु शिविर एवं पेयजल की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कार्मिकों के रिक्त पद

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों, अभियंताओं व कार्मिकों के रिक्त पदों के कारण क्षेत्र में विकास व जन हित के कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

वर्ष 2013 में नगर सुधार न्यास, अजमेर को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण में क्रमोन्नत किया गया था। सरकार द्वारा प्राधिकरण का गठन किये जाने से क्षेत्रवासी अत्यन्त उत्साहित व आशान्वित हुए थे कि इससे क्षेत्र के सर्वांगीण व सुनियोजित विकास के कार्यों को गति मिल सकेगी तथा आमजन के लम्बित कार्यों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। परन्तु प्राधिकरण के गठन के उपरान्त नवसृजित पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं की गयीं जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को कोई उल्लेखनीय गति नहीं मिल पायी है और न ही आमजन के नियमन, भू-रूपांतरण जैसे कार्यों का निस्तारण हो पाया है। क्षेत्रवासियों के बड़ी संख्या में नियमन व अन्य प्रकरण वर्तमान में लम्बित पड़े हैं जिनके लिए उन्हें बार-बार अजमेर विकास प्राधिकरण में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना, डीडीपुरम योजना में भूखण्डधारियों को भूखण्डों के कब्जे नहीं मिल रहे हैं। कई खातेदारों को भूमि के बदले भूमि अथवा निर्धारित मुआवजा तक नहीं मिला है। प्राधिकरण की योजना-क्षेत्र की कालोनियों में भी सड़क, नालियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय अवस्था में है।

वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण में सचिव, आयुक्त, सहायक लेखाधिकारी, विधि लेखाधिकारी, निदेशक नगर नियोजक, निदेशक वित्त व विधि जैसे अधिकारियों के प्रमुख पद रिक्त पड़े हैं। इनके अतिरिक्त सहायक नगर नियोजक, उप नगर नियोजक, वरिष्ठ व कनिष्ठ प्रारूपकार, सर्वेयर, ट्रेसर, भवन निरीक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक, अन्वेषक के भी बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं।

प्राधिकरण में अधीक्षण अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के 36 पद रिक्त पड़े हैं जिनके कारण क्षेत्र में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। साथ ही क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी भी प्रभावी मानिटरिंग नहीं हो पा रही है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि अजमेर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों, अभियंताओं व अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां कराने की कृपा करें जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिल सके व पिछले लम्बे समय से अटके पड़े जन हित के कार्य तथा क्षेत्रवासियों के नियमन आदि के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

रेवदर उप आगार से बसों का संचालन

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत रेवदर उप आगार के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेवदर उप आगार से स्वीकृत शिड्यूल के अनुसार बस सेवा नहीं चलाकर मात्र 5 या 6 रूट चला रखे हैं। क्षेत्र की जनता बेहद परेशान है। मेरे विधान सभा क्षेत्र व आसपास के लगते क्षेत्रवासियों की मांग है कि उप आगार में स्वीकृत शिड्यूल के अलावा भी लम्बी दूरी की बस सेवा शुरू की जाए। मेरे क्षेत्र की अधिकांश जनता इलाज, रोजगार, व्यापार इत्यादि कार्यों के लिए गुजरात व महाराष्ट्र एवं आगे दक्षिण भारत तक जाती है, इसलिए रेवदर व आसपास के क्षेत्र के बड़े गांव से पालनपुर, मेहसाणा, अहमदाबाद, नवसारी, सूरत, वापी, मुंबई, पूना, नासिक इत्यादि शहरों तक बस चलायी जाएं।

मेरे क्षेत्र में ग्रामीण बस सेवा का मात्र एक रूट चल रहा है, वह भी सुचारु नहीं है। शेष अन्य रूट हैं- (1) सिरोही से रेवदर वाया रामपुरा, डोडूआ, कालन्दी, सिलदर, दांतराई, घाण, मलावा, रेवदर तक (2) सिरोही से रेवदर वाया मोकरोडा, उडवारिया सिरोडी गुलाबगंज, पामेरा, पोतीन्तरा नगाणी, दादरला जोलपुर देडोल से रेवदर तक (3) भटाणा से सुन्दामाता (दातलावास) - मारोल, मीठन, रेवदर मलावा, घान, दातराई, सिलदर, जसवन्तपुरा से सुन्दामाता तक (4) अनादरा से बड़गाम (जालौर) वाया हांथक, मालगाव, पोलीटरा, नागाणी, डागराली, ईदरला, घान, दांतराई, निम्बज, रायपुर से वडगांव तक।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त ग्रामीण बस सेवा शुरू कराएं। मेरे क्षेत्र के जीरावल गांव तक गुजरात रोडवेज की एक बस दोपहर अहमदाबाद से रवाना होकर रात्रि 9.00 बजे जीरातल तक आकर रात्रि विश्राम करती है, जिसे वहां से 6 किलोमीटर बढ़ाकर दांतराई ग्राम में रात्रि विश्राम करवाया जाए तो

(श्री जगसी राम)

करीब 15 गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा। यह बस जीरावल से सुबह 6.00 बजे अहमदाबाद के लिए जाती है। सुबह इतनी जल्दी दांतराई से जीतरावल आने का कोई साधन नहीं है। अतः इसे आगे बढ़ाया जाए। एक बस सूरत से सुन्दामाता गुजरात रोडवेज की चलायी जाए वाया पालनपुर, भटाणा, रेवदर, दांताराई, जसवंतपुरा से सुन्दामाता तक, जिसका समय दोनों तरफ से सांयकालीन रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री दर्शन सिंह।

पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम में देरी

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा गत वर्ष 11 अक्टूबर, 2013 को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित की गयी थी परन्तु इसका परिणाम 11 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त आज दिन तक घोषित नहीं किया गया है, जबकि विभाग द्वारा परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को जारी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के हजारों युवा शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश के बेरोजगार शिक्षकों के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ से निजात दिलवायी जाए तथा अविलम्ब परीक्षा परिणाम घोषित करवाये जाने की कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी में बूंदी शहर की चारों ओर की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। बूंदी शहर के कोटा से बूंदी प्रवेश, जयपुर से बूंदी प्रवेश व चित्तौड़ से बूंदी प्रवेश की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं तथा शहर के आम बाजारों की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं। बारिश में तो आमजन की जान पर बन जाती है। बूंदी शहर

(श्री अशोक डोगरा)

से होकर निकल रहे राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-12 पर सथूर चुंगी नाका से बाइपास, मीणा मंदिर होते हुए मण्डी तिराहे से सिलोर तिराहे तक सड़क जर्जर अवस्था में है। इस सड़क पर दिन भर में हजारों छोटे-बड़े वाहन निकलते हैं तथा आये दिन दुर्घटना व जाम के हालात रहते हैं। हाइवे अथोरिटी द्वारा इस सड़क पर गड्ढे भरने के लिए सूखी मिट्टी डाली गयी जिससे डस्ट के कारण आगे चलने वाला वाहन दिखाई नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में विभाग द्वारा सड़क पर लाल डस्ट डाल दी गयी तो वाहनों के गुजरने से चारों ओर धूल ही धूल उड़ रही है। इस मार्ग पर विकास नगर कालोनी आवासीय बस्ती, मोटर यूनियन, सैकड़ों दुकानें तथा मीणा समाज, गुर्जर समाज, बैरवा समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल हैं जिनमें बैठना मुश्किल हो रहा है। मकानों में मिट्टी ही मिट्टी उड़ कर आने से सांस लेना मुश्किल हो रहा है तथा बच्चों व बुजुर्गों को दमे की शिकायतें हो रही हैं। दिनांक 15 सितम्बर को इस बाबत प्रभावितों ने हाइवे जाम किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया, पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। इस सड़क की तत्काल मरम्मत/नवनिर्माण करने की आवश्यकता है।

बूंदी शहर के कोटा रोड, खोजागेट रोड, इन्द्रा बाजार तथा समूची पुरानी बूंदी जो परकोटे में है, चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। नगर परिषद/सार्वजनिक निर्माण विभाग बारिश का हवाला देकर कोई कार्य नहीं करना चाह रहे हैं जिससे आमजन में सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। बूंदी शहर के अस्पताल/कलेक्टरेट के बाहर की सड़कों की दुर्दशा को देखकर आमजन में काफी आक्रोश है। यहां से सर्किट हाउस, कोतवाली होते हुए देवपुरा रेलवे स्टेशन जाने वाली पूरी सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है। इसी सड़क पर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हायर सैकण्डरी स्कूल (छात्र) तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में यह कहें कि बूंदी शहर में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

आज के समय बूंदी शहर की सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण मांग यहां की सड़कों की तत्काल मरम्मत/नव निर्माण की है जो जितनी जल्दी हो उतना ही यहां की जनता के लिए सुकून भरा होगा तथा सड़कों का काम आज ही शुरू कराना उचित होगा।

(श्री अशोक डोगरा)

अत: इस गम्भीर विषय पर कार्यवाही कर सड़कों के निर्माण/मरम्मत से जनता में सरकार के प्रति आक्रोश समाप्त हो सकेगा तथा दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

अनूपगढ़ से सूरतगढ़ सड़क मार्ग का नवीनीकरण

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ से सूरतगढ़ सड़क मार्ग के नवीनीकरण पर चर्चा करने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ से सूरतगढ़ सड़क मार्ग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है जिसकी हालत काफी खराब है। इस मार्ग के अन्तर्गत रामसिंहपुर, विजयनगर, जैतसर, सूरतगढ़ आदि मण्डियां आती हैं जिन पर रोडवेज के अलावा निजी बसें, ट्रक व निजी वाहन आदि भारी संख्या में चलते हैं। सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर ही खड़े रहते हैं जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3-4 घण्टे का समय लगता है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गये हैं जिनकी समय पर मरम्मत भी नहीं की गयी है। सम्बन्धित विभाग को बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी इस सड़क का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। यह सड़क अनूपगढ़, रायसिंहनगर एवं सूरतगढ़ तीन विधान सभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है जिससे इनके अन्तर्गत आने वाले व्यापारी, किसान, मजदूर आदि अन्य वर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: उक्त वर्गों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उक्त सड़क का नवीनीकरण करने हेतु सम्बन्धित विभाग को यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु आदेश फर्माएं ताकि जनता को राहत मिल सके। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटारामजी।

सिरोही की शिवगंज तहसील का पैंथर जोन से मुक्ति

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज तहसील के दर्जनों गांवों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पैंथर जोन घोषित

(श्री ओटाराम)

किया गया है जिसके कारण इन गांवों के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज तहसील के गोडाना, धुबाणा, बादला, देवली, चोटिला, चूली, राडबर, छीबागांव सहित दर्जनों गांवों को पैंथर जोन में शामिल किया गया है। इन दर्जनों गांवों के पशुपालकों के पशु-चराई के लिए इस जोन की भूमि का ही सहारा है लेकिन पैंथर जोन घोषित होने के कारण शिवगंज तहसील के दर्जनों गांवों के लोगों के लिए जीविकोपार्जन की भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है।

महोदय, इस गम्भीर मामले को आपके ध्यान में लाकर निवेदन है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र को पैंथर जोन से मुक्त किए जाने के आदेश प्रसारित कर लोगों को राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

आयल मिलों पर रिवर्स इनपुट टैक्स

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आदरणीय अध्यक्ष महोदयजी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा काटन एवं आयल मिलों पर आरोपित रिवर्स इनपुट टैक्स के विरोध स्वरूप हनुमानगढ़ जिले के व्यापारियों ने दिनांक 25.09.2014 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। उनका यह कहना है, जो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को अवगत करवाना चाहती हूं, कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 से अनुचित रूप से कर मुक्त खल बिनौला पर रिवर्स इनपुट टैक्स काटन एवं ऑयल मिलों पर आरोपित किया गया है। कर विभाग द्वारा काटन एवं आयल मिल मालिकों की तरफ बहुत बड़ी डिमांड निकाल रखी है। इस दिशा में राजस्थान के समस्त मिल मालिकों द्वारा राज्य सरकार व वाणिज्यिक कर विभाग से वार्ता कर समाधान के प्रयास किये गये। कर विभाग द्वारा मिल मालिकों की तरफ बकाया डिमांड को जमा करवाने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य के मिल मालिक अपने व्यवसाय का संचालन करने में अत्यधिक परेशानी महसूस कर रहे हैं।

मेरा अध्यक्षजी से अनुरोध है कि जब खल पर कोई टैक्स नहीं लगता तो आयल मिलों पर आरोपित रिवर्स इनपुट टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। इसके लिए व्यापारियों को मानसिक तनाव से मुक्त करवाने की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मलिंगाजी, मैं आपको दो मिनट दूंगा लेकिन ये जो पर्ची पर चार वक्ता हैं, उनका वक्तव्य आने के बाद दूंगा। दो मिनट आपने मांगे हैं। पर्ची के माध्यम से श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

(13.00 बजे)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जालौर हेतु नर्मदा पेयजल योजना की डीआर एफआर एवं क्लस्टर योजना की धीमी प्रगति

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है, पांच-पचास किलोमीटर पर नदियां बह रही हैं। राजस्थान का जालौर जिला जो पानी पीने के लिए तरस रहा था, 2003 में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी जालौर जिलेवासियों की व्यथा को सुनकर गुजरात से बात करके नर्मदा का पानी जालौर जिले में लायीं, उसके लिए तो उनको धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि सांचौर को सिंचाई हेतु और जालौर जिले के 729 गांवों में पेयजल हेतु पानी की यह योजना बनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है जालौर का कि 2005-06 में वित्तीय स्वीकृति के बाद सांचौर में सिंचाई हेतु पानी तो आ गया और पानी पूरा जालौर जिले के लिए आ गया, लेकिन 2008 में हमारी सरकार नहीं आयी। दुर्भाग्य के साथ इन शब्दों में पूर्ववर्ती सरकार की निंदा करता हूं कि उन्होंने जालौर जिले के 729 गांवों के लोगों के ऊपर कुठाराघात किया जिनमें 80 प्रतिशत गांव फ्लोराइडयुक्त पानी पीते हैं, टैंकरों से पानी मंगाकर पीते हैं। उस योजना को पूर्ववती सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब योजना इस सरकार के आते ही वापस जीवित की गयी और मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार बजट के अन्दर भी उस प्रोजैक्ट को लिया गया। एफआई, ईआर और डीआर तीन प्रोजैक्ट के माध्यम से 729 गांवों को पेयजल मिलना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007 में सारी पाइपलाइन बिछ गयीं, दुर्भाग्य से इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने के कारण अब वह काम प्रारम्भ हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पानी एक तरफ तो सांचौर में इतना है कि वहां की जमीन खराब कर रहा है, अथाह

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पानी है। जितना सांचौर को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उससे कहीं गुना ज्यादा वहां पर होता है। दूसरी तरफ बाकी जालौर जिले की जनता प्यासी है। पूर्ववर्ती सरकार ने उसको रोका, उससे कम से कम 100 करोड़ रुपये का अधिभार बढ़ गया। उस योजना का रिवाइज एस्टीमेट बना, उसमें 100 करोड़ रुपये जनता के ज्यादा लग गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एफआर प्रोजेक्ट है, जो मेरी आहौर की जनता को पानी मिलना है और जालौर विधान सभा क्षेत्र में भी पानी मिलना है, उसका जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, उसको तुरन्त प्रभाव से पास किया जाए।

इसके साथ ईआर प्रोजैक्ट में जो पालड़ी सोलंकियान के अन्दर अलाटमेंट के लिए सरकारी जमीन है, उसकी फाइल कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस भूमि अलाटमेंट के लिए तुरन्त कार्रवाई करके हमारे यहां पर पानी भिजवाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आहौर की 80 प्रतिशत जनता के पास पीने का पानी कहीं न कहीं ट्यूबवैलों से जाता है, लेकिन ट्यूबवैलों में पानी सूख-सा गया है इसलिए यह जो एफआर प्रोजैक्ट है, वह कम्पनी आईवीआरसीएल बहुत धीमी गति से काम कर रही है, उस कम्पनी को पाबंद किया जाए। जो काम उनको आगे आने वाले तीन सालों में करना था, उस बात के लिए आज पांच साल का समय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कार्रवाई को अतिशीघ्र कराएं। उस कम्पनी को भी पाबंद किया जाए और वित्तीय स्वीकृति देनी है, वह भी की जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए पानी वेस्ट जा रहा है, मेरी जनता को पानी पीने को मिल जाए, यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

नगर परिषद, चौमूं में समुचित पेयजल आपूर्ति का अभाव

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 4.10.2012 की कैबिनेट मीटिंग में ऐसा निर्णय किया जिसकी वजह से राजस्थान की सात नगरपालिकाओं में पेयजल आपूर्ति का काम पीएचईडी

(श्री रामलाल शर्मा)

देखता था, वह बिना किसी प्रबन्धन के नगरपालिकाओं के सुपुर्द कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 74वां संविधान संशोधन हुआ उस संशोधन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय ही इस पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करें। इस संविधान संशोधन की मूल भावना थी, अध्यक्ष महोदय, वह मूल भावना यह थी कि पहले डिपार्टमेंट उस पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करे और समुचित व्यवस्था करने के बाद उसको स्थानीय निकाय को ट्रांसफर करे ताकि उसकी देखरेख वह करे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि अब तक न तो पीएचईडी के द्वारा और न ही स्थानीय निकाय के द्वारा पेयजल की कोई व्यवस्था की गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि मेरे चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में 70,000 की आबादी है और 70,000 की आबादी के लिए मात्र तीन एसआर बनी हुई हैं। पेयजल आपूर्ति का और कोई माध्यम नहीं है। आज स्थिति यह आ गयी कि पीएचईडी को एक सिंगल फेस ट्यूबवैल के लिए भी कहते हैं तो वे कहते हैं कि नगरपालिकाओं को पेयजल आपूर्ति हस्तान्तरित कर दी गयी है तो पीएचईडी बोरिंग करने के लिए असमर्थ है। अब, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बताएं कि पीएचईडी बोरिंग करने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय निकाय कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है। 70,000 की आबादी को पानी पिलाने के लिए आज कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जिस दिन पीएचईडी आफिस के बाहर कोई प्रदर्शन नहीं हो। आम जनता परेशान है। यह एक नीतिगत निर्णय है, पूर्ववर्ती सरकार जो निर्णय करके गयी थी, उस निर्णय की पुनरावृत्ति करके या तो पीएचईडी को इस पेयजल की आपूर्ति सुपुर्द की जाए और अगर आप पीएचईडी को पेयजल की आपूर्ति सुपुर्द नहीं करते हो तो स्थानीय निकाय को बजट आबंटन किया जाए।

35 करोड़ रुपये की एक योजना पूरे नगरपालिका क्षेत्र की बनी है, आज चार महीने उस योजना को बने हुए हो गये। चार महीने में जितने भी अधिकारी थे, उन सबसे मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क किया लेकिन वे यही बात कहकर टालमटोल कर रहे हैं कि यह नीतिगत निर्णय है। जब तक सरकार नहीं करेगी, तब तक हम करने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस नीतिगत निर्णय को आप परिवर्तित करके पेयजल की व्यवस्था कराएं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

जोधपुर एवं पाली जिले के प्रदूषित पानी से बाड़मेर में फैल रहा प्रदूषण

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली और जोधपुर का रंगीन और प्रदूषित पानी है, वह सिवाना तहसील के पातों का बाड़ा गांव तक आ चुका है और जोधपुर का पानी हमारे डोली गांव के किसानों की करीब 10,000 बीघा जमीन में फैल चुका है। जोधपुर का पोल्यूटेड और रंगीन पानी और पाली का रंगीन पानी, हम दोनों तरफ से इस प्रदूषित वाटर से घिर चुके हैं। किसानों के कुओं में पातों का बाड़ा के अन्दर पानी का रिसाव होने से वह पानी पीने लायक नहीं रहेगा, किसान बहुत चिंतित हो रहे हैं। जोधपुर शहर का पानी और फैक्ट्रियों का पानी, जोजरी नदी से होते हुए हमारे डोली गांव में उसने पहले भी पांच सालों में तबाही मचायी। पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया। उससे पहले हमारी सरकार ने सालावास के अन्दर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था, वह इन्होंने पांच साल में पूरा नहीं किया और उसी कारण से बिना ट्रीट किया हुआ पानी अभी तक हमारे यहां आ रहा है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाड़मेर एक महत्वपूर्ण जिला है, माननीय वसुन्धराजी ने, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने मरु विकास बोर्ड बनाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन यह विकास? हम ग्रेनाइट दे रहे हैं, हम लिग्नाइट दे रहे हैं, हम गैस दे रहे हैं, हम तेल दे रहे हैं, सब कुछ है, अरबों की आय हमारे बाड़मेर जिले से हो रही है। यहां तक कि हम सीमा के प्रहरी हैं। इतने मजबूत लोग हम सीमा पर लड़ रहे हैं। प्रदूषित पानी का, इस पोल्यूशन का स्थाई हल नहीं होगा, तब तक हमारे बाड़मेर का विकास नहीं हो सकेगा। मेरा आपके माध्यम से पुरज़ोर शब्दों में निवेदन है कि इसका स्थाई हल निकाला जाए। इस पानी को पांच साल तक हम भुगतते रहे। यहां नाकोड़ा तीर्थ करने के लिए लोग आते हैं, ब्रह्म धाम तीर्थ करने के लिए आते हैं, वो रोडें बंद हो गयीं। वो रोड इन्होंने शुरू की और हमारे समय पूरी हुई और अब तो ठीक है। लेकिन यह जो जोधपुर का रंगीन प्रदूषित वाटर है, इससे हमारे डोली गांव के किसानों की फ़सलें खराब हो गयी हैं। मैं आपके माध्यम से उनके मुआवजे के लिए भी निवेदन करता हूं कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन किसानों को मुआवजा दिया

(श्री अमराराम)

जाए। किसी प्रकार से समस्या का समाधान किया जाए। पश्चिम की तरफ इस पानी का ढाल है। जोधपुर हो, चाहे पाली हो सारा पानी कच्छ की खाड़ी में जाता है। इसलिए पहले ढाल ऐसा बना हुआ है इसके लिए चाहे कितना ही रुपया लगे, लेकिन योजना बनाई जाए। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने गंगा के प्रदूषित वाटर को शुद्ध करने के लिए योजना बनायी, काशी के अंदर भी योजना बनायीं, लेकिन हमारे लिए यह काशी क्या, यह गंगा क्या? हमारे लिए यह लूणी नदी और यही जोजरी नदी। और यह प्रदूषित नहीं हो इसके लिए किसी भी सूरत में स्थाई योजना बनाई जाए। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम जोधपुर में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपसे निवेदन करूंगी कि दो मिनट मेरे को ज्यादा लग जाएं तो आप टोकना मत। क्योंकि मैं भूल जाती हूं फिर मेरी बात।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट नहीं, तीन मिनट ज्यादा ले लें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात कहना चाहूंगी। आज कुदरत अच्छी रही कि मेरी पर्ची खुल गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर विभाग के अन्दर सब स्थान खाली पड़े हैं, मैं उसके लिए कहना चाहूंगी। जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर शहर है मगर जोधपुर शहर की स्थिति अधिकारी नहीं होने से दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है, सुधरती नहीं जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने नगर निगम बनाया था। नगर निगम बनने के बाद कुछ आफिसर्स हुए, मगर आज की तारीख के अन्दर और पिछले साल भी जोधपुर के अन्दर आयुक्त के 5 में से 4 पद खाली पड़े हैं। अब कैसे जोधपुर शहर का विकास होगा, क्या सफाई होगी वह तो भगवान ही जानता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का एकमात्र पद रिक्त पड़ा है, ओएस का एकमात्र पद रिक्त पड़ा है, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी पद पड़े हैं। आरआई के 5, सह आरआई के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

4, एसएसए के 3 पद रिक्त पड़े हैं। एक सीनियर हैल्थ आफिसर का, 1 हैल्थ आफिसर का, एक मुख्य सफाई निरीक्षक का, 3 सेनिटरी इंस्पेक्टर के, 73 जमादार के, सफाई कर्मचारियों के 2115 पद रिक्त पड़े हैं। अब कैसे जोधपुर शहर का विकास होगा, कैसे जोधपुर शहर में काम होगा, यह आपको देखने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण का भी यही हाल है। उपायुक्त अर्थात् आरएएस के कुल 9 पदों में से 7 पद रिक्त हैं। तहसीलदार का एक पद, उप नियोजन का एक पद, सहायक नगर नियोजन के दो पद, अमीन के सभी चौदह पद और पटवारी के तेरह पद रिक्त चल रहे हैं। लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी के दोनों ही पद, वरिष्ठ लेखाधिकारी के बारह पद रिक्त हैं। सहायक अभियंता (सिविल) के नौ पद रिक्त हैं, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 24 पद तथा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के आठ पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इतने पद रिक्त पड़े हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये पद अतिशीघ्र भरे जाएं ताकि जोधपुर के विकास के अंदर चार चांद लग सकें।

शिक्षा विभाग में जोधपुर में एकमात्र अधिकारी, उसका मैं नाम तो नहीं लूं, मगर एक अधिकारी अतिरिक्त चार्ज देकर चल रहा है। उप निदेशक के दोनों पद रिक्त पड़े हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक का पद रिक्त है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के सभी पद रिक्त हैं, शैक्षणिक प्रकोष्ठ अधिकारी के तीन पद रिक्त हैं। यह तो शिक्षा विभाग, नगर निगम का और जेडीए का कह दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ऊर्जावान मिनिस्टर हैं, बहुत तेजी से भी बोलते हैं और अपनी बात जोर शोर से कहते हैं, मगर जोधपुर के बारे में इनको भी सोचना पड़ेगा। मेडिकल कालेज जोधपुर में प्रोफेसर के चौदह पद रिक्त हैं। एसोशिएट प्रोफेसर के 100 में 66 पद रिक्त हैं, सहायक प्रोफेसर के 70 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हास्पिटल के अन्दर हम जावें और डाक्टरों को डांट-वाट लगाएं, कहें कि काम नहीं होता है। तो वो कहेंगे, काम कहां से करें हमारे तो सारे ही पद रिक्त पड़े हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी यह कहते थे कि जब अपनी बात कहने बैठो तो मौका आए तो चूकना नहीं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करूंगी, जब बजट सैशन चल रहा था, आपने मुझे यह वायदा दिया था कि मैं मथुरादास माथुर के अन्दर डिलीवरी होने की व्यवस्था तुरन्त करुंगा और मैं खुद आऊंगा। मैं एकदम विश्वास में आ गयी कि आप तो आएंगे। मगर अभी तक आपका आना हुआ नहीं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपकी बात को मैं हमेशा सही मान लेती हूं और सही मानती हूं। मगर अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगी, मैं आपको सही कह रही हूं, मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं हास्पिटल के अन्दर जाती हूं। महाराजा उम्मेदसिंहजी का बनाया हुआ हास्पिटल, आज उस हास्पिटल की स्थिति देखें। मैं पिछली सरकार में भी ऐसे ही कहती थी और आज भी मेरी सही बात है जो मैं कह रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहती हूं कि मेरे यहां बहुत ईजी अप्रोच है। मैं किसी को रोकती भी नहीं हूं, सब आकर मिलकर जाते हैं। हर टाइम, रात-दिन जब डिलीवरी होती है तो लोग बुलाने आते हैं कि आप हास्पिटल चलो। मैं उनके साथ जाती हूं, एक-एक पलंग पर दो-दो, तीन-तीन महिलाएं सोती रहती हैं। मेरे को बड़ा इस बात का दु:ख होता है। मैं पिछली सरकार में भी खूब बोली थी मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं हमारे चिकित्सा मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भरोसा लेकर चल रही हूं कि आप इनकी तुरन्त व्यवस्था करेंगे। एमडी हास्पिटल जो 100 पलंग का है, उसको आप तुरन्त चालू करें, वहां स्टाफ दें। बाकी सारी व्यवस्था वहां हुई हुई है, सिर्फ आप स्टाफ दो और आकर फीता काट दो ताकि उधर के लोग उधर ही अपना इलाज करवा सकें। जोधपुर एक ऐसा शहर है जहां पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग आते हैं, उनको कोई असुविधा न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और इनको कहना चाहूंगी, काटेज वार्ड, महाराजा उम्मेद सिंहजी के बनाये हुए काटेज वार्ड को आप देखें। उनको सोनोग्राफी में लगा दिया। लोग तो काटेज वार्ड के लिए तरस रहे हैं और आप सोनोग्राफी में लगा रहे हो। मैंने पिछली सरकार में भी यह बात उठायी थी, उन्होंने नहीं सुनी, मगर आप तो हमारी बात सुनें। देखिए, मैं इनको भी कहने से चूकी नहीं हूं और मैं मेरी बात को सही कह रही हूं। मेरी आत्मा में पानी आता है क्योंकि जोधपुर शहर का एक ऐसा हास्पिटल है जिसमें बच्चों का हास्पिटल पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं है जैसा यह हास्पिटल है। उसकी तो मैं प्रशंसा करुंगी उम्मेद हास्पिटल के लिए मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रही हूं और मथुरादास हास्पिटल जो बना है उसका आप आकर फीता काटो और

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वहां पर स्टाफ दो। इसी तरीके से सूरसागर क्षेत्र के अन्दर जो डिसपेंसरियां हैं जिनको सैटेलाइट कर दिया है उनको स्टाफ दो और सैटेलाइट नहीं हुए हैं उनके लिए भी आप स्टाफ दो। मेरी बात से आप नाराज भी मत होना, बुरा भी मत मानना। मेरी जो पीड़ा है, वह मैंने रखी है और मेरे क्षेत्र की समस्या है वह रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते-कहते अब तो पड़-दादीसा बन गये हैं, अब भी इनकी सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सुन रहे हैं, आप विराजें। माननीय विधायक मंलिगा आपने दो मिनट मांगे हैं, मैं आपको तीन मिनट दूंगा लेकिन तीन मिनट में घंटी बजा दूंगा, आप विराज जाएं, यह आपसे निवेदन है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पार्टी वालों को खुश करो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) पट्टी बांधने वाला कम्पाउंडर नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री मलिंगा, आप बोलिये।

सूचना

धौलपुर की बिगड़ती कानून-व्यवस्था

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में कहीं न कहीं एक न एक मर्डर एक-दो दिन के बाद में होते रहते हैं। आज की रात भी बाड़ी के अन्दर एक मर्डर हुआ है। लोग चक्का जाम करके बैठे हैं, हास्पिटल का घेराव करके बैठे हैं और सरकार का कोई ध्यान नहीं है धौलपुर की तरफ, कभी उत्तर प्रदेश के नामी बदमाश आ जाते हैं। कभी मध्य प्रदेश के नामी बदमाश आ जाते हैं। हरियाणा के पचास-पचास हजार रुपये के नामी बदमाश धौलपुर जिले में बड़े आराम से खुले आम घूम रहे हैं और बड़े आराम से शराब की तस्करी और कर रहे हैं। यही नहीं कि वो आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं, वहां पर आने के बाद में वो शराब की तस्करी भी करते हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

अभी शराब की एक गाड़ी पकड़ी गयी, एक टैम्पू में शराब पकड़ी गयी। पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है कि किस की शराब है, किस नामी बदमाश की है। उस व्यक्ति पर पन्द्रह हजार रुपये का मध्य प्रदेश, मुरैना जिले की पुलिस का इनाम है, वही व्यक्ति धौलपुर जिले में शराब की तस्करी कर रहा है। आराम से सरेआम बैठ कर थानेदार के थाने में जाकर डीएसपी के कार्यालय में बैठ कर अपनी दलाली करता है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कहीं कानून-व्यवस्था खराब नहीं हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है तो सरकार एक मिनट में उस पर झूठे मुकदमे लगा देती है। कोई भी आंदोलन में गया तो उसको लेकर एक वीडियो कैसेट बनाएंगे, उस वीडियो कैसेट को दिखाएंगे कि देखो, मैं आपका नाम इस आंदोलन में लिखा दूंगा। ये धौलपुर जिले की पुलिस के काले कारनामे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि धौलपुर जिले की कानून-व्यवस्था को सुधारा जाए। आये दिन जंगल में जाओ तो किसी व्यक्ति की पकड़ हो जाती है। रोजाना की मोटरसाइकिल चोरी। रोजाना की फिरौती। रोजाना की लूट। आये दिन मर्डर होते हैं। हमारी सरकार और हमारी धौलपुर की पुलिस आराम से बैठी है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि धौलपुर जिले से हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी भी हैं, उनको तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए। उनको यह भी ध्यान देना चाहिए कि गुर्जर आंदोलन के पीरियड में स्वयं हमारी मुख्य मंत्रीजी के महल को उड़ाने की धमकी दी गयी थी।

(13.22 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

वह व्यक्ति आज जेल के अन्दर सलाखों के पीछे है। उसका एक भाई भी इनामी बदमाश है, उस व्यक्ति को पुलिस ने समझौता करके हाजिर कर लिया। पर उसके पास जो ए.के. 47 हथियार थे, उन हथियारों को पुलिस ने आज तक जमा नहीं कराया। वही हथियार लेकर आये दिन गुंडागर्दी हो रही है। धौलपुर जिले की पुलिस ने कहीं पर भी अंकुश नहीं लगाया।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धौलपुर जिले की पुलिस के जितने थाने हैं चाहे एसपी है, आप पूरे जिले का मोबाइल टेप करवा लो, मंत्री महोदय, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा कि आपकी पुलिस कितनी गुंडों से मिली हुई है। जिस पर 15 हजार रुपये का इनाम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पड़ोसी राज्य के मुरैना

(श्री गिर्राज सिंह)

जिले के एसपी को, वो कहीं बिहार से आये हुए हैं, उन्होंने एक गुंडा नहीं छोड़ा मुरैना जिले में। लेकिन सारे गुंडों को धौलपुर में हमारी पुलिस ने पनाह दे रखी है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं अब इसमें बीजेपी का नाम लूं कि बीजेपी के पीरियड में क्राइम हुआ या कांग्रेस का नाम लूं लेकिन पिछले एक-डेढ़ साल में क्राइम बढ़े हैं धौलपुर जिले में। हमारी सरकार के पीरियड में भी थोड़ा बढ़ा था। हमारे यहां एसपी लगा था राहुल प्रकाश, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमारे धौलपुर जिले में क्राइम को खतम किया। विकास कुमार जी ने खतम किया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फिर आप ऐसा कोई धौलपुर जिले के लिए एसपी दें, राहुल प्रकाश या विकास कुमार जैसा, जिससे धौलपुर जिले की कानून-व्यवस्था सुधरे। वर्ना एक दिन हम लोग आंदोलन करेंगे तो आपसे और तो कुछ बनेगा नहीं, हम लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे और मुकदमे दर्ज करके हम लोगों को जेल में डालेंगे। मैं इससे कतई डरने वाला नहीं हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना पहुंचाना चाहता हूं सरकार को, सरकार यह नहीं सोचे कि हम चुप बैठने वाले हैं। मैं कतई एक मिनट भी चुप नहीं बैठूंगा चाहे मेरे को ये जेल में डालें। चाहे मेरे पर कितनी ही कड़ी से कड़ी धारा लगाएं, मैं इसके लिए तैयार हूं। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अधिसूचनायें। वित्त एवं आबकारी विभाग। श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/2014-91 दिनांक 31.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा-7(2) के अन्तर्गत कतिपय फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-92 दिनांक 1.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या : एफ.12(69)वित्त/कर/2014-93 दिनांक 1.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत ब्याज की दर निर्धारित की गई है;
4. अधिसूचना संख्या : एफ.2(25)वित्त/कर/2014-94 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा रतनगढ़ में रेलवे ब्रोड गेज लाइन हेतु अवाप्त की गई भूमि के बदले रीको द्वारा आबंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
5. अधिसूचना संख्या : एफ.2(25)वित्त/कर/2014-95 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा रतनगढ़ में रेलवे ब्रोड गेज लाइन हेतु अवाप्त की गई भूमि के बदले रीको द्वारा आबंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या : एफ.2(25)वित्त/कर/2014-96 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा रतनगढ़ में रेलवे ब्रोड गेज लाइन हेतु अवाप्त की गई भूमि के बदले रीको द्वारा आबंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या : एफ.1(15)वित्त/कर/2014-97 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या : एफ.1(15)वित्त/कर/2014-98 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक और उप महानिरीक्षण, पंजीयन एवं मुद्रांक को नियुक्त किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या : एफ.2(36)वित्त/कर/2014-99 दिनांक 14.8.2014 जिसके द्वारा डीडवाना विकास परिषद समिति के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

10. अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2013-100 दिनांक 19.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2013-101 दिनांक 19.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-102 दिनांक 30.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या : एफ.24(5)वित्त/कर/2014-103 दिनांक 5.9.2014 जिसके द्वारा फिल्म 'मेरीकोम' को दिनांक 5.9.2014 से 4.9.2015 तक के लिये मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है; एवं
14. अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/2009-104 दिनांक 9.9.2014 जिसके द्वारा जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ निष्पादित लोन एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है ।

आबकारी विभाग

1. अधिसूचना संख्या : प.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-II दिनांक 7.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम-69-ख के अन्तर्गत राज्य के भीतर परिशोधित स्पिरिट या एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के परिवहन के लिये संदेय परमिट फीस के संदाय से, इसके द्वारा छूट प्रदान की गई है;
2. अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2004 पार्ट-II दिनांक 21.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.1(87)ई. एण्ड टी./59जे दिनांक 30.11.1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं
3. अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2011 दिनांक 2.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब लाइसेंसेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

प्रतिवेदन

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 व 2011-12

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियॉं और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 । माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ऑन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति: अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, काल कर लिया।

श्री सभापति: नहीं, मैंने काल नहीं किया है। आपको काल नहीं किया अभी मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति: हां, बोलिये।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर विचार से पूर्व सदस्यगण को दो दिवस पूर्व उपलब्ध कराया जाना चहिए

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है कि प्रक्रिया

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-66 में यह स्पष्ट प्रावधान है, आज सुबह विधान सभा में हम लोग जब आये तो हमारी टेबलों पर यह विधेयक हमको मिला है। आज से पहले यह विधेयक, माननीय मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे कि सर्कुलेट नहीं हुआ है। विधेयक आप सर्कुलेट करें दो दिन पहले, ताकि हम उसमें अमैंडमेंट दे सकें। यह एक खंडित विधेयक आप लाये हैं जो कि पूर्व विधायकों के परिवार से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन है कि सिर्फ पूर्व विधायक के परिवार से ही नहीं, पूर्व विधायक जो आज हैं उनके सम्बन्ध में भी अनेक सुविधाएं हम दे रहे हैं पर सुविधाओं में अवरोध हैं। हम उनको मेडिकल पेंशन दे रहे हैं, पूर्व विधायक को मेडिकल पेंशन के लिए एक किताब दी जाती है और फिर वो विधायक डायरी लेकर घूमता रहता है। विधान सभा के सचिवालय से पहले उनको दस हजार की मंजूरी होती है कि उनके मेडिकल बिल दस हजार तक के हो सकते हैं, फिर दस हजार, फिर पांच हजार। मैं निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो आपने मेडिकल फैसिलिटी सारे राजस्थान में फ्री कर दी जिस पर पांच सौ-साढ़े पांच सौ करोड़ का खर्चा है, तो जो भी पूर्व विधायक पांच सौ-सात सौ हैं, वो भी तो मुफ्त दवा लेने के अधिकारी हैं और जब मुफ्त दवा लेने के अधिकारी हैं तो यह सीमा पच्चीस हजार और तीस हजार की क्यों?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था पर बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं व्यवस्था में यह निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, अब शब्द तो अध्यक्ष जी निकल ही रहा है, साहब। पता नहीं, क्यों निकल रहा है।

श्री सभापति: मैं अभी सक्षम पति हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आप हमको अमैंडमेंट अलाउ कर दें। माननीय सभापतिजी, हमने अमैंडमेंट आपको भेजा हुआ है, सचिव महोदय के पास मेरा अमैंडमेंट है, तो या तो हमको अमैंडमेंट अलाउ कर दें, ताकि हम इस विधेयक की सीमा तक जो बात हमें कहनी है, हम कह दें।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराज जाएं। मंत्रीजी, आप कुछ कहेंगे व्यवस्था के बारे में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी, निश्चित तौर पर प्रक्रिया के नियम 66 में यह प्रावधान है कि दो दिन पहले इस बिल को सर्कुलेट किया जाए। लेकिन, सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को रेजुडुअल पावर है 307 और 308 में। कल कार्य सलाहकार समिति में जब सभी दलों के लोग थे, उस समय यह बात भी उठी थी। आज तक, सभापति महोदय, यह परम्परा नहीं रही, विधान सभा में अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन के सम्बन्ध कभी आज तक विचार-विमर्श हुआ नहीं। इसलिए सभी दलों की सहमति से यह बात रखी गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की पुरानी बजट घोषणा है, बार-बार पूर्व विधायक, और, सभापति महोदय, आप जानते हो कई पूर्व विधायकों के परिवारों के हालात ऐसे हैं, इसलिए एक यह थोड़ा-सा, सिर्फ एक हजार रुपये पेंशन बढ़ाने की बात है।

मैं स्वीकार करता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत-सी सुविधाएं देय हैं, उन पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। आपने पूर्व विधायकों की पेंशन के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य के लिए मेडिकल फैसिलिटी की बात की है, उस पर सरकार गम्भीरता से बात करेगी। यह तो परम्परा के अनुसार कार्य सलाहकार समिति के अन्दर रखा गया था और सहमति के आधार पर तय हुआ था कि आज सर्कुलेट करें और आज इसको पारित करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जैसा संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, आम तौर से इस प्रकार के जब कभी अमेंडमेंट या बिल आते हैं तो कभी चर्चा नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट का रिप्लाई दिया था तब उन्होंने यह बात कही थी, उसके अनुरूप आप यहां पर लाये। यह बात भी सही है, चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी थी फेट अकम्प्ली। लेकिन सभापति महोदय, यह जो आप ला रहे हैं...

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराज जाएं। देखिये, यह चर्चा आप कर रहे हैं अंतिम स्टेज की। आपने जो अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पहले आप उस पर निर्णय कर लें।

श्री सभापति: मैं पहले उसका डिस्पोजल करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो आपने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है वह तो स्वीकार इसलिए नहीं हो रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने

(श्री सभापति)

आज सुबह प्रात:काल 10.00 बजे तक के लिए संशोधन देने का समय दिया था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकिण्ड, सभापति महोदय, हमारे पास जो सकुर्लर आया है, वह सर्कुलर विधान सभा से सिर्फ तीन विधेयकों के लिए आया है, मैं पढ़ देता हूं।

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 – उपरोक्त विधेयकों पर यदि माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो गुरुवार दिनांक 18 सितम्बर के मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसमें इस वर्तमान बिल का कोई सन्दर्भ नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सकुर्लर आपका है, वर्तमान बिल का सन्दर्भ नहीं है। मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं।

व्यवस्था

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की सदन द्वारा स्वीकृति पश्चात् विषयों पर विचार नियमानुकूल

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, आप जो कह रहे हो, वह बात बिलकुल सही है कि इसमें तीन का विवरण है लेकिन कल सदन ने जब कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया था, उस प्रतिवेदन में राजस्थान विधान सभा के अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन, उसको भी कार्य सलाहकार समिति ने स्वीकार किया। माननीय अध्यक्ष ने जो अपन को, यह नवां प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति का है उसमें नीचे लिखा है, 18 सितम्बर, 2014 को सदन में विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों पर, उसमें फिर अपने आप यह विधेयक शामिल हो गया है इसलिए इस आपत्ति को तो मैं निरस्त करता हूं, जो यह आपने संशोधन दिया है वह तो आपका अस्वीकार है।

अब दूसरी स्थिति अपनी यहां पर यह रहती है कि जिस समय पुर:स्थापित करते हैं उस समय आम तौर पर हम व्यवस्था का प्रश्न उठाकर पुर:स्थापन से उसको नहीं रोकते हैं। अब अपने पास दो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं,

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य राजाखेड़ा से आने वाले हैं उनसे और माननीय मंत्री से मैं सहमत हूं कि हमारे यहां पर आम तौर पर यह व्यवस्था है कि इस प्रकार का जब बिल आता है तो उस बिल पर सदन में चर्चा नहीं होती है और उस बिल को हम पारित करते हैं। लेकिन इस विषय पर चर्चा हुई कि नहीं, यह तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे या आप बताएंगे, विपक्ष के नेता बताएंगे कि अपन ने आपस में चर्चा की या नहीं की लेकिन आपको अगर कोई और आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, चर्चा करना चाहें तो थर्ड स्टेज पारित की है, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आज तक परम्परा यह रही है कि हमने इस पर चर्चा नहीं की। आप चाहें तो चर्चा कर लें, आप नहीं चाहें तो हमारी परम्परा के हिसाब से पालन कर लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, बेहतर यह होगा, आम तौर से चर्चा नहीं होती है।

श्री सभापति: नहीं होती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आदरणीय कटारियाजी यहां विराजमान हैं, जब पूर्व विधायकों का सम्मेलन हुआ था उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय भी पधारे थे, आदरणीय कटारिया जी भी गये थे। संसदीय कार्य मंत्रीजी के भी आने की बात थी, वहां घोषणा हुई थी, वे नहीं आये थे, उन्होंने अपना चार्टर पेश किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सहमति जतायी थी, आदरणीय कटारिया जी ने काफी हद तक कई मुद्दों पर सहमति जतायी थी और यहां तक कहा था कि हम सब जो यहां वर्तमान में बैठे हैं, हमको भी किसी न किसी दिन पूर्व होना ही है। आपने यह बात वहां कही थी। खैर, बहुत सारी बातें आयी थीं लेकिन कम से कम, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप इतना तो कर सकते हो, उनकी भावनाओं के अनुरूप और वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप कृपया मुख्य मंत्रीजी के, यहां पर चर्चा बड़ी अजीब लगती है कि वर्तमान के विधायक अपने बारे में कुछ मांग करें, मैं उसकी मांग नहीं कर रहा हूं, कई विधायकों की, पूर्व विधायकों की जो स्वर्गवासी हो गये हैं उनके परिवारों की स्थिति बहुत खराब है। आपकी भी नालेज में है। आपकी जानकारी के अन्दर भी है। कई पूर्व विधायकों के, कहते हुए यहां पर बड़ी शर्म आती है, वाकई में तकलीफ में हैं। आपने इस मंहगाई में यह मीगर, यह तुच्छ आपने उनकी पेंशन, आज के वर्तमान विधायक की एक टर्म की साढ़े सात हजार रुपये

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पेंशन है, आपने फिफ्टी परसेंट के हिसाब से उनकी साढ़े तीन हजार रुपये की, माननीय सभापति महोदय, यह फिगर आप देंखे।

श्री सभापति: मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप भी सहमत होंगे, बड़ा गम्भीर विषय है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है, आप पारित करा लें, इस स्टेज पर तो अमैंडमेंट क्योंकि बिना मुख्य मंत्री की अनुमति के, वह वित्त मंत्री भी हैं, आप इसको किसी भी अमैंडमेंट...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, सक्षम हैं, अमैंडमेंट मूव करने में मंत्रीजी सक्षम हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मुझे मालूम है लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं, यह सीमा में हैं।

श्री सभापति: इनके हाथ बंधे हुए हैं इनका मुंह थोड़े ही बंधा हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): श्रीमान, दस्तखत तो किसी और के होंगे। दस्तखत तो किसी और के होंगे। इनका मुंह चलने से तो कोई काम चलेगा नहीं, दस्तखत तो किसी और के होंगे। (व्यवधान) घोषणा भी करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं इनकी डिफिकल्टी को समझ रहा हूं। सरकार में रहा हूं, इनकी डिफिकल्टी को समझ रहा हूं। यह यहां घोषणा करने की स्थिति में भी नहीं हैं। जो वरिष्ठ मंत्रीजी बैठे हैं, सहमत होते हुए भी आज यह यहां कोई घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं। सत्ता पक्ष के भी बहुत माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वे भी मेरी बात से सहमत होंगे। आप सदन की भावना समझकर, पूरे सदन की, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भावना को समझते हुए कृपया मुख्य मंत्रीजी से यह अनुरोध कर दें, भविष्य के लिए भी, कि यह मीगर इम्प्लीमेंट थाउजेंड रूपीज का किया है, यह उचित नहीं है। इसको आप और बढ़ाने की कृपा करें जिससे कि पूर्व विधायकों की विधवाएं और उनके परिजन दो वक्त की रोटी खा सकें, यही मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, 30 जुलाई, 2014 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की थी पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की। निश्चित तौर पर सदन की भावनाएं और आज की बढ़ती हुई मंहगाई, सभापति महोदय, अभी जब सरकार उदयपुर सम्भाग में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गयी थी तो सागवाड़ा के पूर्व विधायक, आसपुर के पूर्व विधायक भीमराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनको मस्टररोल लिए हुए काम करते हुए देखा था। कई पूर्व विधायकों की हालत वास्तव में चिंतनीय है। सदन की भावना के अनुसार पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों की परिलब्धियां, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराऊंगा और आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके अन्दर जो कुछ भी बन पड़ेगा, चूंकि आज मुख्य मंत्रीजी से पूर्व चर्चा नहीं हुई इसलिए मैं आज के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जल्दी ही इस पर...

श्री सभापति: आज नहीं करना? पेश कर रहे हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज रख रहे हैं न, साहब।

श्री सभापति: रख रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैंने जो पाइंट आफ आर्डर मान्यवर के सामने रखा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई हजार से साढ़े तीन हजार किए जाने के मैं विरोध में नहीं हूं, मैं इसको कम मानता हूं। जब विधान सभा में किसी चीज को बढ़ाने का अवसर आया है तो वह बढ़ोतरी समीचीन होनी चाहिए, न्यायानुकूल होनी चाहिए। आपकी पेंशन जब पांच हजार थी तब परिजनों को, डिपेंडेंट्स को ढाई हजार मिलता था, यानि फिफ्टी परसेंट। आज पेंशन यदि साढ़े सात हजार है तो, मान्यवर, पौने चार हजार तो रामजी ने ही किये, आप उसको साढ़े तीन हजार कर रहे हैं। हमारा निवेदन यह है कि लंबी-चौड़ी बहस की आवश्यकता नहीं है। सभापति जी के ध्यान में है कि नियम 68 में, जब यह बिल इन्ट्रोड्यूज हो जाए, माननीय मंत्री महोदय को इन्ट्रोड्यूज करने दीजिए जब आपने मेरी आपत्ति खारिज कर दी है।

श्री सभापति: खारिज कर दी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इनको इन्ट्रोड्यूज करने दीजिए। फिर नियम 68 के तहत मुझे जो निवेदन करना है, वह मैं संक्षेप में कर दूंगा।

श्री सभापति: जी, माननीय मंत्रीजी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि ...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं नियम 68 के तहत जो प्रिंसिपल्स आफ बिल हैं, इस बिल के नीचे जो सिद्घान्त हैं, मैं उस पर बहुत थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: यह विचारार्थ के बाद करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, यह तो 67 में, साहब, एक मिनट।

श्री सभापति: मेरे हिसाब से तो मंत्रीजी जब यह प्रस्ताव करेंगे कि विचारार्थ लिया जाए, तब आप नियम 68 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ठीक है, ठीक है।

विधेयक पर विचार

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा अधिकारी तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, काफी कुछ बात तो हो ही गयी है कि जो बढ़ोतरी की गयी है, वह बढ़ोतरी अपर्याप्त है। बढ़ोतरी चूंकि अपर्याप्त है इसलिये हमारा निवेदन यह है, ओल्ड-एज पेंशन भी आज किसी को मिलती है तो एक हजार रुपये मिलती है। ढाई हजार से आपने साढे तीन किया है, हमारा निवेदन यह है कि राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए और राजस्थान के खजाने की परिस्थिति को देखते हुए इस बिल में कितना भार है, इस बिल में वित्तीय भार 19 लाख कुछ हजार रुपये का दर्शाया है, आप यदि एक हजार को कैलकुलेट करें तो कुल मिलाकर दो सौ, पौने दो सौ आदमी हैं जो पूर्व विधायक के परिवार यह पेंशन मिलने के लायक हैं। जो उन पर निर्भर रहने वाले हैं पूर्व विधायक, उनको पेंशन मिल रही है। यदि आप इसको एक हजार की जगह ढाई हजार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो वित्तीय भार है, वह 20 लाख से 50 लाख होता है। डेढा, तीस लाख और चाहिए। अब यह 50 हो सकता है, 52 हो सकता है, 48 हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि समग्र परिस्थितियों को देखते हुए आप डिपेंडेंट्स की पेंशन को पांच हजार रुपये, आपका बजट तो एक लाख छह हजार करोड़ पर है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, और लाख करोड़ का रिकार्ड टूटा है। इसलिये जो लोग राजनीति में लग रहे हैं, जन सेवा में लग रहे हैं, जिसको बहुत बदनाम करने की कोशिश न्यायपालिका द्वारा की जा रही है और तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, उन सब टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आप इस काम को, जो जन सेवा से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे सामाजिक ढांचें में मूलभूत परिवर्तनों से जुड़ा हुआ काम है, उनके परिजनों को पांच हजार रुपये की पेंशन देने की इस सदन की भावना से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कराएं और जब आप समग्र बिल लाएं पूर्व विधायकों के परिलाभों के सम्बन्ध में, तब निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें, मेरा यही निवेदन है। सभापति महोदय, पूरे सदन से निवेदन है और सरकार से निवेदन है।

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्तियां प्रकट की हैं और जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसके अनुसार सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। निश्चित तौर पर अभी जो वित्तीय ज्ञापन है, उसके अन्दर 19 लाख 56 हजार का ही भार है। इसको और कितना बढ़ाया जाए...

श्री सभापति: इसमें कितने लोगों को मिल रही है पेंशन?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं संख्या के बारे में अभी बता नहीं पाऊंगा। पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करके, उनसे चर्चा करके, इसमें आवश्यक संशोधन जितना हो सकेगा... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार। खण्ड-दो, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-दो स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-दो स्वीकार किया गया।

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी पारित कराने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, पहले कह दीं, अब उन बातों को दोहराने से लाभ नहीं है। सुराना साहब ने कह दिया, मैंने कह दिया।

श्री सभापति: मैंने कहा भी नहीं कि आप दोहराओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जी, सर।

श्री सभापति: मैंने यह भी नहीं कहा कि आप दोहराओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): धन्यवाद। इसे पारित किया जाए, साहब, और क्या? पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014, श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी, जिसके नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री सभापति: सूची बाद में देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी।

श्री सभापति: ठीक है। प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014, श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए। प्रस्ताव करिये, मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014, इसमें 1955 के राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 45 का एक संशोधन है और एक 1956 के अधिनियम की संख्या 15 की धारा 90 (क) का संशोधन है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में जो इसमें प्रावधान थे, उसमें इन संशोधनों के माध्यम से जो आंशिक परिवर्तन किया गया है, न्याय हित में है और राजस्थान के किसानों के हित में है। पहले जो 1955 की धारा 45 में उपबंध थे, उन उपबंधों में किसान अपनी जमीन को मैक्सिमम पांच साल तक के लिये किसी जोत पर या किसी काम के उपयोग के लिये पट्टे पर दे सकता था और ऐसे विषय जो राज्य सरकार में निहित किये गये हों, इनके लिये वह अधिकतम 15 वर्ष की अवधि तक दे सकता था। इसे संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने, चूंकि राजस्थान में मैक्सिमम भूमि मरुस्थलीय होने के कारण कृषि लायक नहीं है और जहां पर कृषि लायक जमीन नहीं है, कृषि से जमीन में आमदनी किसान का आधार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नहीं बन पा रही है, उस कृषि भूमि को किसी न किसी उपयोग में लेकर किसान के सामने आमदनी के अवसर खड़े हों, सरकार ने यह तय किया है। इस प्रकार की गुंजाइश राजस्थान के सामने है, भारत में राजस्थान राज्य कम औसत वर्षा के साथ अधिकतम तीव्र सौर ऊर्जा प्राप्त करता है और यहां पर कम कीमत पर अनुपयोजित मरु भूमि की बहुतायत है। इस देश में राजस्थान का सौर और वायु शक्ति के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरना सम्भव है। इन सारे प्रयोजनों के लिए कोई सौर ऊर्जा केन्द्र लगाना चाहता है, कोई वायु शक्ति केन्द्र लगाना चाहता है और वह किसान की भूमि किराये पर लेना चाहता है तो भू-स्वामी किसान को इसमें अब नए नियमों के संशोधन के प्रावधान के माध्यम से 30 साल तक अपनी भूमि को किराये पर देने का अधिकार दिया गया है और 30 साल पूरे होने पर वह उसको 10 साल और एक्सटेंड कर सकता है।

मैं समझता हूं कि यह न्याय हित में है, किसानों के हित में है। मरुस्थल में रहने वाला किसान जिसके पास कृषि है लेकिन वह आजीविका का आधार नहीं बन पायी पिछले पचास-साठ सालों में, अब वह धोरों की धरती जिसमें रेत है, किसान की आजीविका का आधार बनेगी। निश्चित रूप से यह बिल राजस्थान के किसान के जीवन के लिए कल्याणकारी साबित होगा।

दूसरा अमैंडमेंट इसमें आया है 1956 के अधिनियम संख्या-15 की धारा 90-क में, इसमें जो पहले भूमि के कन्वर्जन का प्रावधान था, माननीय सभापति महोदय, यह कन्वर्जन किसान की कमर तोड़ देता था। जब किसी उद्योग या अन्य प्रयोजन के लिए किसान अपनी भूमि का कन्वर्जन करवाने जाता था या किसान से भूमि किराये पर या पावर आफ अटार्नी या खरीद कर जब कोई व्यक्ति उस पर कन्वर्जन के लिए जाता था तो वह कन्वर्जन की प्रक्रिया अपने आप में ही इतनी लेंदी होती थी, कन्वर्जन आथोरिटी कभी पंचायत के चक्कर लगवाती थी भू-मालिक से, कभी वन विभाग के चक्कर लगवाती थी, कभी रेवेन्यू की एन.ओ.सी. चाहिए थी और कभी पोल्यूशन की एन.ओ.सी.। तमाम एन.ओ.सीज. लाते-लाते, लगातार सरकारी महकमों के चक्कर लगाते-लगाते इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति, किसी भी गैर-कृषि क्षेत्र के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रूप में उसका उपयोग लेने वाला व्यक्ति हताश और निराश होकर मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता था।

इसमें नये प्रावधान किये गये हैं कि जिस भूमि को सरकार ने तय कर दिया कि यह गैर-कृषि के लिए उपयोग में ली जाएगी, 40 साल तक किसान दे सकता है, उस पर अब किसी प्रकार की एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह अपने-आप में भ्रष्टाचार को खतम करने वाली प्रणाली है। भ्रष्टाचार को ही नहीं, यह एक तरह से मोटिवेशन है, प्रोत्साहन है उन लोगों को जो अपनी कृषि भूमि पर अकृषि, गैर-कृषि के लिए उद्योग लगाना चाहते हैं या नाना प्रकार की अकृषि गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों का मोटिवेशन करने के लिए 1956 की धारा 90-क का संशोधन किया गया है। राजस्थान के गरीब किसानों के पास जमीन तो है लेकिन सिंचाई नहीं। जमीन तो है लेकिन जमीन में कृषि पैदा करने के हालात और परिस्थितियां नहीं। न कोई इर्रिगेशन है, न सिंचाई है, न सिंचाई के संसाधन ही हैं और सिंचाई के संसाधन हैं तो उपजाऊ स्थिति की जमीन नहीं है। इन सारी विषम स्थितियों के बीच यह जो बिल आज राजस्थान की विधान सभा पारित करने जा रही है, यह राजस्थान के गरीब किसान की आजीविका के विस्तार को बढ़ाने का एक नया आधार तैयार करेगी। इसीलिए जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने की आज्ञा चाहते हुए इस विधेयक को पास करने का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री जोगारामजी पटेल। (अनुपस्थित) श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने हेतु मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

1955 के राजस्थान अधिनियम संख्या-3 की धारा-45 का संशोधन व अधिनियम संख्या-15 की धारा-90-क का संशोधन- माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन के जरिए सरकार 25 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का सपना लेकर चल रही है। खाली विधेयक को पारित कराने से या संशोधन के जरिए सरकार जो सपना साकार करने का सोच रही है, मुझे नहीं लगता कि यह कार्य जितना अपन सोच रहे हैं, उतना आसानी से हो सकता है। सरकार ने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बजट घोषणा में किसानों को सात घंटे बिजली देने की बात की थी रात को और दिन में साढ़े छह घंटे बिजली देने की बात की थी और सिंगल फेज 24 घंटे बिजली देने की राजस्थान के अन्दर बात की थी। नौ महीने के अन्दर अभी भारी कटौती बिजली के अन्दर हुई है। मेरे क्षेत्र में तो चार घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को नहीं दी गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बिजली पर बहस चल रही है क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट रुको, साहब, बिजली का ही तो मामला है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, माननीय सदस्य, एक मिनट। देखिये, जब हम किसी विधेयक पर चर्चा ...(व्यवधान) आप एक बार बैठ जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भूमिका तो बनाएं, साहब।

श्री सभापति: आप विराजिये। बैठिये, बैठिये। एक बार बैठिये। विराजिये। देखिये, किसी भी विधेयक पर जब चर्चा करते हैं तो उस विधेयक की परिधि में वह सब चीज आती है जो उस विधेयक से सम्बन्धित हो। आप अभिधृति विधेयक के बारे में और भूमि ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आगे यही तो बोल रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: हां, उस पर बोलिए लेकिन बिजली से सम्बन्धित नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो यहां पर तो चप्पलें फेंक दीं, साहब, लोगों ने विधान सभा में। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह जो इस संशोधन के माध्यम से ...(व्यवधान) डाक्टर साहब, आप ...(व्यवधान) 30 साल के लिए किसान अपनी जमीन लीज पर दे सकता है। माननीय सभापति महोदय, 30 साल के बाद दुबारा जो 10 साल का इसके अन्दर कहा गया है, हम चाहते हैं कि दुबारा 30 साल और इसके अन्दर बढ़ाया जाए ताकि किसान को उसका पूरा अधिकार मिले। अभी मैं फिर और लंबा भाषण दूंगा तो राठौड़ साहब खड़े हो जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिल पर बोलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, पहले बजट भाषण के अन्दर यह भी कहा गया था, क्या-क्या सपने राजस्थान को दिखाये? 70 हजार किलोमीटर सड़कें हम बनाएंगे। वह भी यहीं पर पास करवाया। मेजें थपथपायीं । 70 हजार करोड़ रुपये की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह सड़क भूमि पर ही तो बनेगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसमें 50 हजार किलोमीटर के पैसे लेंगे राजस्थान की जनता से और 20 हजार किलोमीटर बनाएंगे हम राज कोष से। लेकिन 9 महीने के अन्दर कोई सड़क का निर्माण राजस्थान के अन्दर नहीं हुआ और उसका नतीजा यह निकला कि राजस्थान की जनता ने तीन चौथाई बहुमत से आपको हरा दिया राजस्थान के अन्दर। चार में से तीन सीटें सत्ता पक्ष ने खो दीं। एक सीट भी आक्सीजन और वेंटिलेटर से आयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब इस विधेयक का दायरा बहुत बड़ा है क्योंकि भूमि पर चिकित्सा है, भूमि पर शिक्षा है, भूमि पर ही यातायात है इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक सारी चर्चा इस पर हो जाएगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संशोधन विधेयक को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: भूमि पर भार भी है कुछ। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, आप भी भूमि पर खड़े होकर ही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप भी सूरजगढ़ ही जाएं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं इस ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हनुमानजी भूमि के पुत्र हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक को ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ये तो पवन-पुत्र हैं, साहब। भूमि के पुत्र कहां से हो गये?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अंजनि पुत्र थे ये तो। हनुमानजी तो अंजनि पुत्र थे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: चलिये, अब आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप चले गये, अब दुबारा पुकारेंगे, आप बैठ जाएं। डाक्टर फूलचन्दजी भिण्डा। आखिर वकालत ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सैकण्ड के लिए उधर गया था।

श्री सभापति: वह एक सैकिण्ड में काम हो जाता है। 'अणि चुकी और धार मारी'।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956, इसके बारे में आप पहले केबिनेट मंत्री थे, माननीय भैरोंसिंहजी जब मुख्य मंत्री थे, तब भी प्रयास किया था। इसमें एक-दो धाराओं में हम संशोधन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं पहले कभी मंत्री था, मैं तो भूल चुका हूं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ऐसा है कि किसान के हित में किया जा रहा है। मेरा निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यह खंड-खंड में परिवर्तन नहीं किया जाए। मैं कह रहा हूं कि पूरे लैंड ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो चले गये उनको भूल गये आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, वह आपकी दवाई ऐसी है। चिकित्सा मंत्री हो न, आपकी दवाई के कारण से भूल गया हूं मैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पूरे राजस्व अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। (व्यवधान) 30-30 वर्ष तक केस चलते हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये बातें तो याद रखने की हैं। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसमें अभी पट्टे के अधिकार के बारे में 15 वर्ष से 30 वर्ष किया गया है, कुछ और उपबन्ध किये गये हैं। यह अच्छा किया गया है किसानों के लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको और

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आवश्यकता है चेंज करने की। जो ढाणी में कनेक्शन है उसमें राजस्व डिपार्टमेंट तो खसरा नम्बर में लिखता है कि यह आबादी भूमि में है और बिजली वाले कहते हैं कि यह आबादी भूमि में नहीं है। ऐसे भी किसानों को परेशान किया जा रहा है।

इसी प्रकार से माननीय भैरोंसिंहजी जब मुख्य मंत्री थे, तब यह प्रावधान किया गया था कि किसान अपनी इच्छा से नि:शुल्क 500 गज का पट्टा आबादी में लेगा। आबादी भूमि घोषित करेगा और वह सरकार नि:शुल्क करेगी। फिर भी उस ढाणी में जहां वह रहता है 500 मीटर में, उसके पशु रहते हैं, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। इस कारण से ऐसे प्रावधान भी किये जाने चाहिये।

अब इसमें प्रावधान किया है अकृषि कार्य के लिये, जिस प्रयोजन के लिये भूमि ली जा रही है किसान की, उसमें नियमों को शिथिल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी और कई प्रावधान, जैसे बिजली की सैंक्शन होती है कि 5 हजार की आबादी होगी तो उसको हम सिटी लाइन देंगे। ऐसा अपने टाइम में हुआ था लेकिन ढाणी को गिन लिया। अब ढाणी के जब कनेक्शन का वादा करते हैं, ढाणियों में कनेक्शन का प्रावधान नहीं है, ढाणी सैंक्शन नहीं है। 5 हजार की आबादी में ढाणियों की आबादी जुड़ गयी उसके बाद ये कहते हैं, ये तो गैर-आबादी है, मूल आबादी में नहीं है। यह भेदभाव किये जा रहे हैं। तो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, यह घोषणा की गयी थी कि हम लगभग ऐसे 2 हजार कानून जो अनुपयोगी हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के माध्यम से उनको ...

श्री सभापति: यह लैण्ड एक्विजिशन एक्ट नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके माध्यम से ही इसमें सुझाव दे रहा हूं कि केवल एक धारा को अभी चेंज किया जा रहा है, और भी प्रावधान किए जाएं। मैंने जनमत जानने की जो बात कही थी, वह इसलिये कही थी कि और चीजें जुड़ जाएं। इस कारण से मैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बाकी यह तो ठीक है न?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बाकी जनमत जानने की जो बात मैंने कही थी, मैं उसको विद्ड्रा कर रहा हूं और मैं इस चेंज का समर्थन कर रहा हूं।

श्री सभापति: विद्थड्रा करने का राइट नहीं होता, हाउस को होता है, अभी कराएंगे। श्री भंवर सिंह (अनुपस्थित), डा. किरोड़ी लाल जी (अनुपस्थित), श्री मोहन लाल जी गुप्ता (अनुपस्थित), श्रीमती शकुंतला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधिनियम 15 की धारा 90(क) की उप-धारा 5 (क) के अधीनस्थ राज्य सरकार द्वारा अभी जो विधेयक पारित हुआ है, उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूंगी कि शायद उसमें...

श्री सभापति: पारित नहीं हुआ, विचारार्थ है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): विचारार्थ है, मैं अपने विचार उसमें शामिल करना चाहूंगी। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में यह प्रारूप तैयार किया गया है जिसे वैबसाइट पर भी डाला गया था, अपलोड किया गया था। लेकिन राजस्थान एक किसानों का स्टेट है और ग्रामीण यहां पर ज्यादा हैं, इंगलिश में इसको अपलोड किया गया, तो उसे किसान नहीं पढ़ सकता, न उसकी जानकारी ले सकता है। वह इतना एक्टिव नहीं है कि उसका प्रारूप हिन्दी में तैयार कराएगा और फिर उस पर अपनी राय इसमें भेजेगा। तो, सबसे पहले तो यह हिन्दी में ही होना चाहिए था जिससे कि किसान भी उसमें अपनी इच्छाएं दे सकता, उसमें अपनी जो परेशानियां हैं, वे दे सकता। विभिन्न किसान संगठनों, संस्थाओं या कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग इस अधिनियम में चर्चा के लिए, सिर्फ और सिर्फ निजी जो कम्पनियां हैं, उद्योगपति हैं, भू-माफिया हैं, उनके अलावा किसी प्रकार से आमजन का मुझे कोई इसमें हित होता हुआ या किसी आमजन के किसान के हित को ध्यान में रखा हो, ऐसा मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है। केन्द्र सरकार के अधिनियम की तुलना में यह बहुत कम है। राज्य में कानून और मुआवजे के अतिरिक्त किसी प्रकार के लाभ का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री सभापति: यह वह बिल नहीं है। वह प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन इसमें भूमि के लिये दिया गया है कि जैसे 30 साल के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप डाक्टर साहब को बोलने दीजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 30 वर्ष के लिये इसमें पट्टे का

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जो दिया गया है कि यह 30 साल के लिये रख सकता है, तो ऐसे में तो नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कृषि प्रयोजन, कृषि भूमि, गैर-कृषि के लिए, अन्य प्रयोजनों के लिये इसमें और काम में अपने खुद के हिसाब के लिए, अपने खुद के प्रोफिट के लिए वह कुछ भी इसमें अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। यह तो इसी में लिखा हुआ है। खातेदारी और पूर्ण जोत, जैसा अभी भिण्डा जी कह रहे थे कि इसमें शामिल किया ढाणियों को, वह यह था कि आबादी से जोड़ा जाता ढाणियों को, वह भी इसमें शामिल किया जाता तो भी अच्छा होता। जैसा अधिनियम 1956(90) के द्वारा दिया गया, तदनुसार तो किसानों के लाभ से सम्बन्धित इसमें मुझे कोई भी एक पाइंट नजर नहीं आ रहा है। चाहे गैर-कृषक हों, चाहे खुद की खातेदारी की जमीन हो, या कृषि भूमि के उपयोग में ली जाने वाली जमीन हो, इसमें कोई किसी तरह का खुला हुआ ब्यौरा नहीं दिया गया है। सम्पूर्ण पट्टों के बारे में, जैसे पांच साल का इसमें दिया गया है जानकारी के लिए, लेकिन कोई उद्यमी अपना खुद का उसमें कोई कुटीर उद्योग धन्धा लगाना चाहे तो उससे सम्बन्धित भी इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है। अगर इसमें ये चीजें भी शामिल करते तो ज्यादा अच्छा होता। गैर खातेदारी अधिकारी भूमि सम्पूर्ण इसके लिये एक वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर नहीं देगा तो यह भी इसमें नहीं होना चाहिए था उपबन्ध। वह खुले, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता था। इसमें लिखा हुआ है, 90 की कृषि भूमि आकर्षण प्रयोजन के लिये उपयोग में, जबकि इसमें लिखा हुआ है निम्न शर्तों के अनुसार, अन्यथा उस भूमि या किसी भाग पर वह भवन निर्माण या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उस उपयोग में नहीं ले सकता। इन चीजों की इसमें पाबन्दी नहीं होनी चाहिये थी, किसान के हित से सम्बन्धित होना चाहिए था। इतना ही मैं इसमें कहना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री केसाराम जी चौधरी। आपका, घनश्याम जी, थर्ड स्टेज पर नम्बर आएगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक संख्या 21, राजस्थान भूमि विकास संशोधन अधिनियम, 2014 आज सदन में पेश किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, किसान अपनी कृषि भूमि को....(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने तो जनमत का दिया है, स्वागत का नहीं दिया। हां, बोलिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये बात दूसरी कहूंगा। मगर बिल आया तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसान अपनी कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन के लिए जो सरकार द्वारा विहित किये गये सौर और वायु शक्ति के लिये अनुज्ञा के बिना कृषि भूमि का उपयोग किया जा सकेगा, ऐसी भूमि जो किसान कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकता, या किसी दूसरे प्रयोजन में वह उपयोग में नहीं आ सकती है तो किसान उसको बिना अनुज्ञा लिए, मतलब सरकार से बिना परमिशन उसका कृषि, अकृषि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और किसान को उस जमीन का उपयोग करने का मौका मिलेगा। मगर, मेरा इसमें यह भी कहना है, इसमें साथ यह भी जोड़ा जाता कि कृषि उत्पादन के लिए अगर कोई जिंस, कृषि उत्पादन के लिए कोई इंडस्ट्रीज या उपयोग करने के लिए वह फैक्टरी लगाता है या किसी तरह का उद्योग-धन्धा उस जमीन पर करता है तो भी उसको अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसको भी इसमें साथ जोड़ा जाता तो किसान के हित में रहता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें यह और भी संशोधन करते तो अच्छा रहता। मगर जो राजस्थान बिजली की समस्या से ग्रसित है और उसमें जो समय लगता था...(व्यवधान)

श्री सभापति: इसलिए ऊर्जा के लिए छूट दी है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों के लिए जो छूट दी है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा लगाने के लिये जो समय खराब होता था, वह समय खराब नहीं होगा और किसान से सीधा 30 वर्ष के लिए उससे एग्रीमेंट लिखवाकर वह उद्यमी जो लगाएगा, उसको सीधा-सा सरल रास्ता मिल जाएगा जिससे राजस्थान में जो ऊर्जा की समस्या चल रही है, उससे राजस्थान को निजात मिलेगी। इसलिए मैंने जो संशोधन दिया है उसे मैं वापस लेता हूं और इस बिल की प्रशंसा करते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रमेश जी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 के सन्दर्भ में मेरा आपके माध्यम से

(श्री रमेश)

सरकार को कहना है, आपने 1955 के उपबंध 15 वर्ष से 30 वर्ष किये हैं कि 30 वर्ष के लिए किसान लीज पर दे सकेगा, यदि किसी व्यक्ति ने या किसी कम्पनी ने एक बार इस भूमि को ले लिया तो गरीब किसान अपनी जमीन वैसे ही नहीं ले सकता तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों से वापस कैसे ले सकेगा, एक सवाल मेरा यह है? दूसरा, इन्होंने कहा है कि दस वर्ष के लिए और बढ़ा देंगे तो और भी समस्या हो जाएगी।

इसमें जो प्रोविजन लाये हैं कि सोलर प्लांट लगाएंगे या पवन ऊर्जा का प्रोजैक्ट लगाएंगे, तो सरकार विशेष क्षेत्र के लिए किसानों को समझा कर वैसे ही भूमि ले लेती। एक तरह से तो यह भू-माफिया जैसा प्रकरण हो जाएगा कोई भी पावरफुल या दबंग व्यक्ति उसकी भूमि को ले लेगा, वो ना नहीं कर पाएगा और गरीब किसान भूमि से हाथ धो बैठेगा। पहले ही किसान आपदाओं से गरीब है, तो एक बार उसकी भूमि चली जाएगी तो वापस कैसे लेगा? तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान हित में, किसानों की सुरक्षा और किसानों को दोबारा जमीन दिलाने में भी ऐसा एक विचार करे या इस कानून में संशोधन करे। किसान हित को ध्यान में रखते हुए इस कानून को तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को जो संशोधित करने का बिल लाये हैं, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह बिल गरीब किसान के हित का बिल है।

आधे से अधिक राजस्थान का भू-भाग कृषि योग्य नहीं है, रेगिस्तान का भू-भाग है या बंजर भू-भाग है, बारानी है जिस पर वो बराबर खेती नहीं कर सकता है। मतलब खेती तो छोड़ो, अपनी जमीन की सार-संभाल भी नहीं कर सकता है। मैं यह मानता हूं कि उसका अकृषि निष्पादन के लिए, उसके उपयोग के लिए किसान का मालिकाना हक रह कर किसान की जमीन के अन्दर बहुत बड़ा उद्योग लगे चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि वो जमीन की बराबर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

हिफाजत भी नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ होता नहीं है। जमीन जो कृषि योग्य है उसमें खेती करे और जो अकृषि योग्य है वह इस उपयोग में लगे तो किसान निश्चित रूप से संबल होगा। कम्पनियां वहां लगाएंगी, उनको लीज पर देगा, तो एक तो यह कन्वर्जन की समस्या नहीं और लीज पर देने का मतलब है कि किसान का मालिकाना हक तो उस जमीन पर रहेगा। किसान का उस जमीन से मालिकाना हक नहीं जाएगा।

तो मालिकाना हक को रखते हुए जो बिल लाया गया है, यह निश्चित रूप से किसान के हित का बिल है, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री जोगाराम जी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार है, आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया। वैसे इस संशोधन बिल पर माननीय सदस्यों ने काफी अपनी बातें कही हैं लेकिन एक विषय सरकार द्वारा जानबूझ कर रखा गया या उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसके सम्बन्ध में पहले निवेदन करूंगा, उसके बाद आपसे दो-तीन बातें निवेदन करूंगा।

एक काश्तकार को उसकी भूमि का अन्य उपयोग करने हेतु इजाजत दी गयी है, सैक्शन 45 में प्रोविजो जोड़ा गया है, लेकिन यह प्रोविजो उन काश्तकारों के काम आएगा जो एस.सी. या एस.टी. के नहीं हैं। अगर कोई एस.सी. और एस.टी. का काश्तकार है तो उसके लिए प्रोविजन काम नहीं आएगा।

मैं निवेदन करूंगा, यह जो प्रोविजो चैप्टर डिवोल्यूशन, ट्रांसफर, एक्सेस एण्ड डिवीजन में जोड़ा है चैप्टर फोर्थ में, उसमें सभी तरह के काश्तकार हैं और काश्तकार को डिफाइन भी किया गया है। सैक्शन 38 से सैक्शन 49 तक लेंगे तो पर्टीकुलर जो अमैंडमेंट लाया गया है वो सैक्शन 45 में लाया गया है और 45 में यह रैस्ट्रिकशन दिया गया है कि पर्टीकुलर आपकी जो जमीन है, आप कितने समय के लिए उसको लीज पर, जिसको अपन किराये पर भी बोल सकते हैं, जिसको हालचाल पर भी बोल सकते हैं, सो मैनी वर्डस अलग-अलग एरियाज में हैं, आप कितने समय तक दे सकते हैं, उसके रैस्ट्रिकशन लगाये हुए हैं। उस समय को बढ़ाने के लिए यह प्रोविजन लाया गया है। इस लिहाज

(श्री जोगाराम पटेल)

से यह प्रोविजन ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही संशोधन सैक्शन 47, सैक्शन 46 ए में अगर लाया जाता तो कोई भी एस.सी. और एस.टी. का जो काश्तकार है वो भी अपनी भूमि को इसी परपज के लिए दे सकता था। इसमें संशोधन नहीं करने की वजह से वो सारे काश्तकार इस राइट से या इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। यदि उसकी जमीन इससे भी बैटर स्थान पर आयी हुई है जिससे विंड पावर का है या जो भी सरकार का उद्देश्य रहा है उस उद्देश्य को काम में लाने का है, प्रोग्रेसिव बिल के रूप में भी, इसे कह सकते हैं जो लाया जा रहा है, उसका सम्पूर्ण लाभ तभी मिलता जब सैक्शन 46 में भी यह अमैंडमेंट करें। सैक्शन 46 ए कहता है, "A special provision for making …"

श्री सभापति: आप ठीक हैं, आपकी बात ठीक है, मंत्रीजी नोट कर ही रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सैकण्ड, मैं ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापति: एस.सी., एस.टी. को नहीं मिलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसका बैनिफिट नहीं मिलेगा।

तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि ऐसा ही सैक्शन 46 ए में प्रोविजो अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी जमीन के उसके राइट पर कोई असर नहीं होगा, जिस तरह से दूसरे काश्तकार दे रहे हैं, वैसे के वैसे वो भी दे सकेगा।

तीसरा मेरा सब्मिशन यह रहेगा, इसमें एक प्रोविजो और लाना पड़ेगा क्योंकि एस.सी. और एस.टी. का जो काश्तकार है, एस.सी. और एस.टी. को ही दे सकता है इसलिए एक प्रोविजन और जोड़ना पड़ेगा कि कम्पनी को ला रहा है या इंडिविजुअल को ला रहा है या कोई सोसाइटी को ला रहा है, उसके लिए अगर प्रोविजन लाया जाता तो यह ज्यादा बैनिफीशियल होता।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह जो ओरिजिनल एक्ट है वो इंग्लिश में है।

श्री सभापति: आता नहीं है इस सदन में। इस सदन में ओरिजिनल एक्ट अंग्रेजी में नहीं आता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इस सदन में जो पास किया है वो अंग्रेजी में पास किया एक्ट …

श्री सभापति: नहीं, नहीं। अभी जो प्रस्तुत किया है, हिन्दी में है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जो राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 है ...

श्री सभापति: देखिये, माननीय सदस्य, अपने यहां पर पहले जो एक्ट थे, वो ओरिजिनल अंग्रेजी में प्रस्तुत किये हुए थे, लेकिन बाद में अपने यहां संशोधन हो गया कि राजस्थान की विधान सभा में अब चाहे कोई संशोधन विधेयक हो या विधेयक हो, वो मूल रूप से हिन्दी में प्रस्तुत होगा और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन उसके साथ होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तीसरा मेरा निवेदन यह था, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में अब सबसे ज्यादा आवश्यकता है या किसी स्टेट की प्रोग्रेस के लिए जो आवश्यकता है, ऐसी एनर्जी पैदा की जाए जो सबसे सस्ती हो और सबसे जल्दी पैदा हो सकती हो, और वह विंड पावर है, इसके लिए लाये। इसके लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, कभी भी आसन और बोलने वाले सदस्य के बीच में से नहीं जाते हैं। (व्यवधान) मैंने कह दिया है, अब आपको कहने की जरूरत नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो विषय रखूंगा। एक शंका वास्तव में वाजिब भी है कि एक काश्तकार द्वारा अपनी जमीन उसकी स्वयं की मर्जी से उसके द्वारा एग्जीक्यूट किये हुए किसी दस्तावेज के आधार पर, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो लीज हो, चाहे वो लाइसेंस्ड हो, कैसा भी हो, it may be a lease, it may be a licence or it may be registered or non-registered instrument, पर उसको रिटर्न का जो राइट है, क्योंकि इसमें तो 5 साल के बाद में उसको ट्रेसपासर माना गया है। अगर सैक्शन 45 में पर्टीकुलर पीरियड के बाद में आप लीज देते हो तो वह स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। उसको ट्रेसपासर माना जाएगा। इसमें चूंकि वह पर्टीकुलर राइट के तहत पजेशन में आएगा, it may be lease, और एक्सपायरी आफ लीज के बाद में उसका पजेशन अनआथोराइज्ड अवश्य हो सकता है। अनआथोराइज्ड पजेशन को रिटर्न पजेशन लेने के लिए उसको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा या ऐसी कोई रैमिडी अवेलेबल करानी पड़ेगी जो उस काश्तकार के लिए बेनिफीशियल नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें एक प्रोविजन और जोड़ा जाए कि after expiry of the particular period काश्तकार को किसी लिटिगेशन में नहीं जाना पड़े, उसको पजेशन वापस मिल जाए। रिटर्न भी मिल जाए तो जो लाइसेंसी है, उस पर ऐसी पैनल्टी या ऐसा

(श्री जोगाराम पटेल)

कोई प्रोविजन किया जाए ताकि वह स्वेच्छा से उस लैंड को रिटर्न कर दे। लैंड का जो पजेशन है वह रिटर्न कर दे। अदरवाइज काश्तकार जब तक कोर्ट में लड़े, 10 साल लड़े, 15 साल लड़े, 20 साल लड़े, तब तक लैंड को अगर लाइसेंसी अपने पास रख लेता है तो उससे काश्तकार को जो बेनीफिट हुआ है, उसको इतने पीरियड के बाद में नुकसान होने की संभावना है।

तीसरा मेरा निवेदन यह है...

श्री सभापति: चौथा आ गया। चौथा आ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): चौथा आ रहा है?

श्री सभापति: हां।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप बराबर गिन रहे हैं?

श्री सभापति: गिनना ही पड़ता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): काश्तकारी से ही सम्बन्धित है। मेरा यह निवेदन भी है कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 में 2005 में अमैंडमेंट होने के बाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जो सैक्शन 40 है जिसके तहत सक्सेशन के प्रोविजन बनाये गये हैं, उस सक्सेशन के प्रोविजन में होने की वजह से राजस्थान में अनेकों लिटिगेशन बढ़ गये हैं। केवल लिटिगेशन ही नहीं बढ़े हैं, परिवार टूटने के कगार तक पर आ गये हैं। कई रिश्तों में दरारें पड़ने की संभावना आ गयी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस स्टेज पर, थर्ड स्टेज वाली बात भी, आपसे परमिशन लेकर...

श्री सभापति: उस पर आप थर्ड स्टेज पर बोलना। अभी इस पर तो जनमत वाला आपका आ गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं थर्ड स्टेज पर इसमें निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन है कि मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया था, उसको मैं विद्ड्रा करने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: वह अभी नहीं, सदन देगा अनुमति। आसन नहीं देता। आप विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अनुमति चाहता हूं। अनुमति की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति: अभी विराजिये आप। इसमें तो आपका संशोधन नहीं है लेकिन आप थर्ड स्टेज पर बोलें। प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का है। श्री मानिक चन्द जी सुराणा। आप थे नहीं, दो बार नाम पुकार लिया, मोहन लाल जी आपका। अब थर्ड स्टेज पर दूंगा टाइम आपको। प्रवर समिति का पुकार लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, इस विधेयक पर अनेक माननीय सदस्यों के विचार मेरे से पूर्व इस सदन में व्यक्त किये गये हैं। मैं जो संशोधन किया गया है, संशोधन की हद तक इसके पक्ष में हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है, इसको प्रवर समिति को भेजने के लिए जो मैंने प्रस्ताव किया है, उसका कारण यह है कि आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट में उस व्यक्ति को जो सोलर प्लांट लगा रहा है, सोलर बिजली लगाएगा, उसको जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वह भूमि का रूपांतरण अपने आप हो जाएगा। यह प्रावधान तो बहुत स्वागत योग्य है। अन्यथा, यह प्रावधान श्रीमती वसुंधरा सरकार नहीं करती तो 25 हजार मेगावाट का सपना सपना ही रह जाता। जहां फाइल किसी एडीएम और किसी एसडीएम को कन्वर्जन के लिए जानी थी तो निश्चित रूप से उसका 2 वर्षों तक तो कोई निस्तारण होने का प्रश्न ही नहीं था। सभापति महोदय, आज हजारों नहीं, पचासों हजार फाइलें कृषि से आवासीय और कृषि से उद्योग में रूपान्तरण की आज राजस्थान के विभिन्न कार्यालयों में लम्बित हैं। नियम बहुत स्पष्ट हैं इसके बावजूद अधिकारी उनको लेकर बैठे रहते हैं क्योंकि उन सब फाइलों में काफी कुछ आमदनी की संभावनाएं हैं। यह जो संशोधन आप लैंड रेवेन्यू एक्ट के सम्बन्ध में भी इसमें लाये हैं, उसका तो मैं बहुत स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर भी ध्यानाकर्षित करता हूं कि जब तक वह कृषि खातेदार या भू-स्वामी कृषि के लिए 5 वर्ष की सीमा तक किसी को अपनी जमीन लीज पर दे रहा था, पट्टे पर दे रहा था, तब तक कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने पहले बिजली के लिए 15 वर्ष की सीमा की और अब सोलर के लिए 30 साल की सीमा की है, मेरा निवेदन यह है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प से मुक्त भी इसी विधेयक में करना चाहिए था। यह 30 साल की लीज है, ट्रांसफर आफ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रोपर्टी एक्ट में साल भर से अधिक की लीज का रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का सैक्शन 17 (1) डीबी इस बात को मेंडेट करता है कि यदि एक वर्ष से अधिक की लीज है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपकी बिना रजिस्ट्री कराई हुई लीजों की कोई वैधानिक मान्यता नहीं होगी। सभापति महोदय, इसलिए इसमें मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति में भेजें ताकि वह स्टाम्प एक्ट को भी एग्जामिन करे, रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी एग्जामिन करे। टिनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट दोनों के ही प्रावधानों को ला रहे हैं और उसको संशोधित कर रहे हैं, उसके साथ ही राजस्थान में स्टाम्प एक्ट, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन एक्ट उन दोनों एक्टों का भी इसमें जिक्र किया जाना और उनको रजिस्ट्री में शून्य वैल्यू पर रजिस्टर किया जाना और शून्य वैल्यू के स्टाम्प पर उसका दस्तावेज बनना, यह विचार अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं, मेरा निवेदन है कि यह प्रवर समिति में जाकर ही हो सकता है, दोनों, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प से मुक्त किये जाने पर ही जो आपका उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है और सदन का उद्देश्य है, राजस्थान में 25 हजार मेगावाट बिजली का जो टार्गेट माननीय वसुंधरा जी ने फिक्स किया है अपने कार्यकाल में, 2013-18 में, हम चाहते हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति तत्काल हो। आप महीने, 2 महीने के लिए इसको प्रवर समिति को भेजकर इसमें अमैंडमेंट कर लें और अमैंडमेंट करके स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस के सम्बन्ध में भी उसको मुक्त करें कि इसमें चाहे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, चाहे वह 20 हजार है, 50 हजार है, एक लाख है, दो लाख है, उस वैल्यू पर कोई स्टाम्प ड्यूटी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी।

सभापति महोदय, काश्तकार जब अल्पकालीन ऋण लेता है तो बैंक के नाम उसकी जमीन की रजिस्ट्री होती है, लेकिन वह सब जीरो स्टाम्प पर होती है, जीरो रजिस्ट्रेशन वैल्यू पर होती है। मैं ध्यानाकर्षित कर रहा हूं सरकार का कि इसमें कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए आप प्रवर समिति को सुपुर्द करने की कृपा करें। यदि नहीं भी करें तो मेरा निवेदन है कि इसको ध्यान में रख लें और एक अन्य विधेयक के द्वारा जो मैंने आपसे निवेदन किया है, उन बातों को भी इसमें समाहित करने की कृपा करें। इसी निवेदन के साथ, सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्रीमान प्रद्युम्न सिंह जी। श्रीमान प्रद्युम्न सिंह जी। (अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को प्रवर समिति को भेजे जाने के लिए मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन सरकार लेकर आयी है, क्या किसी किसान ने कभी कोई मांग की है? यह किसान के हित का बता रहे हैं, किसी किसान ने कोई मांग नहीं की। केवल मात्र सरकार उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान की जमीन हथियाने का एक मात्र साधन इस विधेयक के माध्यम से लाना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, किसान जिनके पास जमीन है, भोले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर साइड में जहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की अपार संभावनाएं हैं, वहां का किसान इतना भोला है, अनपढ़ है, कि उसकी जमीन उद्योगपति चुटकियों में इस अधिनियम की आड़ में 30 साल के लिए लीज पर ले लेंगे। दस साल और बढ़ा सकते हैं, चालीस साल के लिए ले लेंगे। किसान बरबाद हो जाएगा। निश्चित रूप से यह जो अधिनियम है...

श्री सभापति: मेवारामजी, क्या आप भोले हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भोले हैं तब तो रिफाइनरी जैसी चीज ले ही नहीं पाये, अटक गये।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, 'बोळे' नहीं 'भोले' बोल रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 'बोळे' तो नहीं हैं, 'भोले' हैं।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निश्चित रूप से किसान के साथ में बहुत बड़ी चीटिंग सरकार के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा की जाएगी, इस प्रकार का इस अधिनियम से आभास होता है। इसमें होना यह चाहिए, अगर आपको देना ही था तो किसान को पूंजीपति जो वहां सौर ऊर्जा उद्योग लगाना चाहता है, उसमें लाभ का हिस्सेदार भी बनाना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि 99 साल के लिए आपके विधायकों को भी मिला है, और को भी हाउसिंग बोर्ड मकान देता है, 99 साल की लीज के बाद भी कोई छोड़ता है?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कोई जमीन कभी नहीं छोड़ता है। मकान किसी ने छोड़े हैं क्या? माननीय सभापति महोदय, एक भी नहीं छोड़ता है। तीस साल, चालीस साल एक युग होता है, उसके लिए किसी पूंजीपति ने एक किसान की जमीन को अगर सस्ते में लीज पर ले लिया तो मैं समझता हूं कि वह किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भूमि अधिग्रहण कानून को आपने प्रवर समिति को सौंपा है, किसान से सम्बन्धित ही वह कानून है, किसान से सम्बन्धित ही यह कानून है, तो ये दोनों संशोधन जो हम करने जा रहे हैं, वे प्रवर समिति में जाएं, उन पर विचार हो।

अभी काफी एनजीओ और किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, विधान सभा के बाहर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमने मांग ही नहीं की, जबर्दस्ती सरकार यह कह रही है कि आप लीज पर दे दो। अभी जो माननीय सदस्य जोगारामजी कह रहे थे कि एससी एसटी के लिए भी ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ...(व्यवधान) वडेरा ने कितनी जमीन ली है किसानों की?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ...(व्यवधान) कितनी जमीन खा गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वडेरा ने तो नहीं ली, आप लेने जा रहे हो। इन कानूनों के माध्यम से किसान को बर्बाद करने जा रहे हो आप। क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ...(व्यवधान) आपने किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है। वडेराजी के नाम से किसानों की लाखों-लाखों बीघा जमीन खा गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको सपने में भी वडेराजी आते हैं क्या? (व्यवधान) परसों पता नहीं चला क्या 16 तारीख को आपको कि वडेराजी ने क्या किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। आप इधर देखें। (व्यवधान) देखिये, बोलने दीजिये। प्रजातंत्र में सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुनने की नहीं। माननीय सदन की नेता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि परसों के रिजल्ट को उन्होंने शिरोधार्य किया है, स्वीकार किया है तो आप भी थोड़ा-सा संयम रखो। निश्चित रूप से यह किसानों के....

श्री सभापति: यह समय संयम का नहीं है, कुछ ऐसा समय आ गया है कि कुछ लोगों को बोलना पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नौ महीने हो गये संयम करते-करते लेकिन फिर भी राठौड़ साहब किसी को मौका देना ही नहीं चाह रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूं। काफी यहां हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं, जिनका मंत्रिमण्डल में अगर नम्बर आता तो उनका लाभ हमें मिलता, पूरे प्रदेश को मिलता और यह दुर्गति सरकार की नहीं होती। लेकिन अब करना ही चाह रहे हैं राठौड़ साहब, अंतिम कील ठोककर जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो हम क्या करें?

श्री सभापति: आप अपने सब्जैक्ट पर आ जाइये। इस सब्जैक्ट पर बहुत लोगों को बेचैन किया आपने, अब आप सब्जैक्ट पर आ जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही सब्जैक्ट ही नौ महीने से चल रहा था, इसलिए दो बात मैंने आपकी अनुमति से कह दीं, माफी चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मूर्ति मंदिर की जमीन है, किसान 1955-56 से लेकर आबाद है उस पर, वह काश्त कर रहा है, लेकिन उसको खातेदारी अधिकार नहीं है।

श्री सभापति: यह इसमें नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसका भी है क्या इसमें?

श्री सभापति: न, न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें नहीं दे सकता। यह सौर ऊर्जा पर लीज पर दे सकता है क्या?

श्री सभापति: न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं दे सकता। एससी, एसटी वाला भी नहीं दे सकता। मूर्ति मंदिर वाला भी नहीं दे सकता।

श्री सभापति: वह बात मंत्रीजी स्पष्ट करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी से ही निवेदन कर रहा हूं, यह स्पष्ट करें। इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं, कालीचरणजी सराफ होते तो स्पष्ट कुछ भी नहीं होता। निश्चित रूप से यह किसान के...

श्री सभापति: कालीचरणजी बिलकुल स्पष्ट हैं। वह कुछ छिपा कर नहीं रखते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह भी मौका नहीं दे रहीं मैडम, वर्ना तो पूर्ण स्पष्ट है। उनको भी मौका नहीं मिल रहा, आठ-नौ महीने हो गये तड़फते हुए।

श्री सभापति: आप विराजें। हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अन्त में दो बात निवेदन करके कि यह जो कानून है वह किसान के विरोध का है, किसान को ठगने का है, किसान की जमीन को हड़पने का है, इसलिए लैंड एक्वीजिशन एक्ट के साथ में इसको भी प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अब इसका माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिये। फिर तीन बार में इस पर अनुमति, पहले तो जिन माननीय सदस्यों ने जनमत का प्रस्ताव किया है, वे यह कहेंगे कि हमको अनुमति दी जाए वापस लेने की, उस पर सदन की अनुमति लेंगे। फिर जो जनमत जानने का प्रस्ताव लिया है, उस पर प्रश्न करेंगे और उसके बाद में प्रवर समिति पर प्रश्न करेंगे। आप इनका जवाब एक साथ दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। मैं उन दस विद्वान माननीय सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान लैंड लॉ अमैंडमेंट बिल....

श्री सभापति: आप 'विद्वान' सदस्यों को तो हाथ से रोक रहे हो, धन्यवाद कहां दे रहे हो? आपने मोहनलालजी को रोक दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप सबका जवाब एक साथ दिलवा देते, थर्ड रीडिंग पर...

श्री सभापति: थर्ड रीडिंग पर तो आप बोलेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं, उसके बाद फिर जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान) ऐसे प्रश्न थोड़े ही होगा।

श्री सभापति: आप इनको बोलकर लाजवाब कर देंगे तो ये जवाब कहां से देंगे, आप अभी तो बोलेंगे तब पता चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस अति महत्वपूर्ण राजस्थान लैंड ला अमैंडमेंट बिल पर अपने विचार व्यक्त किये। माननीय सभापति महोदय, मूलत: राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 उसकी धारा 45 में एक नया प्रोविजो जोड़ने का संशोधन सरकार इस बिल के माध्यम से लेकर आयी है। इसके साथ ही राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 उसकी धारा 90(क) में उप-धारा 5 के बाद उप-धारा 6 से पहले एक नई उप-धारा 5क) को जोड़ने का प्रस्ताव सरकार लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 45(क) में जो संशोधन लेकर आयी है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

'परन्तु यह और है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (5क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोजन के लिए, खुद काश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को तीस वर्ष तक की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को दस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।'

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के पीछे मूल जो उद्देश्य है वह आप जानते हैं कि राजस्थान के अन्दर इस वक्त जिस प्रकार की स्थिति है, सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश के अन्दर डैस्टीनेशन बन सकता है। हमारी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कम बरसात है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार है, असिंचित भूमि भी हमारे यहां पर्याप्त है, सूर्य की किरणों की तीव्रता भी है। इस वक्त राजस्थान में जिस प्रकार का सौर ऊर्जा उत्पादन का वातावरण बना है, वर्तमान में विकासकर्ताओं ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में बीस हजार मेगावाट सौर क्षमता उत्पादन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पच्चीस लाख मेगावाट सौर ऊर्जा के संयंत्र राजस्थान में लगे जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2014-15 के अपने बजट में भी की। इसमें निवेश 1,75,000 करोड़ का आने की सम्भावना है। लाखों लोगों को इसके अन्दर रोजगार मिलने की सम्भावना है।

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले राजस्थान के अन्दर राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो 2007 बनी थी, उसके अन्दर भी भू-राजस्व अधिनियम में Allotment of Land for setting up of power plant based on Renewable Energy Sources Rules, 2007 बने हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा भी की कि अब 45 (1) में 5 वर्ष का पहले एनेबलिंग प्रोविजन है कि इससे ज्यादा लीज दे नहीं सकते, उसमें दूसरी चीजों को भी शामिल किया जाए। वर्तमान में, माननीय सभापति महोदय, जो प्रावधान है, उसके अनुसार कोई भी खातेदार अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी पार्ट को एक बार में 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सब्लैट नहीं कर सकता। यह प्रोविजन है, परन्तु इसके साथ यह प्रोविजन पिछली बार संशोधन करके डाल दिया गया था कि कृषि कार्य सम्बन्धी, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनस ऊर्जा उत्पादन के लिए, जूली फ्लोरा प्लांटेशन को प्रयुक्त किए जाने के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए सबलैट जमीन अपनी कर सकेगा और 15 वर्ष उसको बढ़ा सकेगा। इसके पीछे सरकार का मकसद एक ही है कि आज जो सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो विकासकर्ता है, उसको भूमि की जरूरत है। पिछली सरकार ने 50 हजार बीघा लैण्ड बैंक बनाने की बात की थी। यह दुर्भाग्य है कि वह लैण्ड बैंक ऐसी जगह बनाया जहां एक भी विकासकर्ता ने एक इंच जमीन भी नहीं ली। उस लैण्ड बैंक की बजाय विकासकर्ता ने सीधे जमीनें खरीदीं। उन जमीनों की चर्चाओं के बारे में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, कई बड़ी-बड़ी कंपनियां आयीं और कई बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सस्ती दर पर किसान से जमीनें खरीदीं और महंगे दामों पर सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को बेचीं। यह जमीन अगर किसान अपनी बेचे, उससे अच्छा पहली बार यह प्रोविजन किया गया कि किसान अपनी जमीन को बेचने की बजाय उसको अकृषि कार्य के लिए तो अलग लेकर आये हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के 90(क) की धारा 5(क) में, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में 90(क) की धारा 5 के बाद धारा 6 से पूर्व नयी उपधारा 'क' को जोड़ा गया है। उस नई धारा 5(क) में क्या है- ''इस धारा में अन्तर्विष्ट अन्य किसी उपबंध के होते हुए भी कृषि भूमि का उपयोग ऐसे गैर कृषिक प्रयोजन के लिए जो राज्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुज्ञा के बिना किया जा सकेगा।'' यानी राज्य सरकार अगर चाहेगी तो कुछ मामलों के अन्दर कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिए प्रैस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन जारी करके किया जा सकेगा। सभापति महोदय, अब दो ही चारे रहते हैं, अगर हमें सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना है तो या तो सोलर ऊर्जा के लिए राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराए या सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता किसान से क्रय करे। अब इस प्रोविजन के बाद उसको 30 वर्ष तक लीज पर जमीन देने का अधिकार हो जाएगा और 10 वर्ष तक उसको बढ़ा सकेगा।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि लीज में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) में प्रावधान है कि एक वर्ष से अधिक लीज का रजिस्ट्रेशन है, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और यह सब राशि लगेगी, उसके अन्दर भी इसमें छूट होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी सरकार सौर ऊर्जा नीति, 2014 जारी कर रही है उसमें इन सारे प्रोविजंस को शामिल करने का काम सरकार करेगी। इन सबके पीछे एक ही मकसद है कि अपनी जमीन का मालिकाना हक भी किसान के पास रहे और वह लीज देकर इसमें भी करे।

इसके अलावा कृषि कार्य को अकृषि कार्य करने के लिए जो वर्तमान में प्रोविजन है, उसके 90(क) के अन्दर, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का 90(क) का एक भाग है उसमें तो प्रतिषेध किया गया है और 90(क)(2) से लेकर 90(क)(9) तक एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, कृषि कार्य को अकृषि कार्य करने के लिए उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर नहीं गुजरेगा तो धारा 90 के अनुसार वह अतिक्रमी माना जाएगा और उसको बेदखल किया जा सकता है। अब 90(क)(2) में वह विहित रीति से आवेदन-पत्र देगा। 90(क)(3) के अन्दर राज्य सरकार विहित रीति से उसकी जांच करेगी। अनुज्ञा दे सकती है, अनुज्ञा से इंकार भी कर सकती है।

(14.43 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

90(क)(4) के अन्दर वह व्यक्ति भूमि के किसी भाग के लिए कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद 90(क)(4)(1)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में उसके लिए राशि जमा कराने का प्रावधान है, प्रीमियम राशि और दूसरी। इसी तरह 90(क)(6) और 90(क)(8) में इन सब चीजों का प्रावधान किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने में किसान को काफी समय लग जाएगा।

अब जो प्रोविजन सरकार लेकर आयी है, उसमें मात्र तहसीलदार को किसान को सूचना देनी है कि मैं मेरी भूमि अकृषि कार्य के लिए इतने वर्ष के लिए लीज पर दे रहा हूं। मात्र सूचना देनी है। राजस्थान काश्तश्कारी और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के इस संशोधन के बाद खातेदार अपनी भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए लीज कर सकेगा और उसे 10 वर्ष तक बढ़ा सकेगा। एक मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए 2.5 हैक्टेयर भूमि चाहिए, सभापति महोदय, मैं समझता हूं, यह बड़ा ही एनेबलिंग प्रोविजन इसमें लेकर आये हैं, यह प्रोग्रेसिव है। इससे न केवल सोलर ऊर्जा उत्पादकों और विकासकर्ताओं को एक अच्छा मार्ग मिलेगा कि वे जल्दी ही इसमें कार्य करके कार्यवाही कर सकें, बल्कि किसान को भी इसमें लाभ मिलेगा ताकि वह अपनी भूमि को लीज पर दे सके।

इसके अलावा लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 46(ए) में, राजस्थान टिनेंसी एक्ट में एससी, एसटी की जमीन को नान एससी/एसटी को लैटिंग, सबलैटिंग के लिए प्रतिषेध किया गया है। निश्चित तौर पर प्रतिषेध किया गया है। हमारे इस प्रोविजन में भी जो सबलैटिंग है, उसमें भी प्रतिषेध है। आज अगर एससी/एसटी की लैण्ड को हम किसी प्रयोजन के लिए देना प्रारम्भ कर देंगे तो एससी, एसटी की लैण्ड के बारे में पहले लोगों ने कहा कि जमीन का उपयोग जब भी अकृषि कार्य के लिए किया जाता है तो उसका एक प्रोसेस है, लेकिन सबलैटिंग में दूसरे परपज के लिए करेंगे तो यह जमीन उनके हाथ से निकलने की संभावना है। परन्तु फिर भी इस पर विचार करेंगे इसमें क्या किया जा सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो संशोधन सरकार लेकर आयी है, यह प्रोग्रेसिव है, किसान के हित में है, इससे राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा।

पिछली बार जो कुछ हुआ, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। पिछली बार भी राज्य सरकार सोलर एनर्जी पालिसी लेकर आयी थी और 10 परसेंट डीएलसी पर जमीन आबंटन करने की बात कही थी। उसके अन्तर्गत सीलिंग एक्ट के अन्दर भी एक संशोधन लेकर आ गये थे। सीलिंग एक्ट की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धारा 17(5) और 17(6) में 2012 में सरकार संशोधन लेकर आयी थी, वह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लेकर आयी थी। उसमें कुछ कम्पनियां जो दिल्ली की कम्पनियां थीं, उन्होंने पहले जमीन खरीद ली थी, सीलिंग एक्ट की परिधि में वे आ रही थीं, उनका बचाव करने के लिए रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से संशोधन लेकर आयी। इस सरकार का मकसद यह नहीं है। पिछली बार जिस प्रकार सौदे हुए, 47 जमीनों के सौदे की जानकारी तो मुझे है जिसमें 18 हजार बीघा जमीन दिल्ली की कम्पनियों ने खरीदी जिसमें नार्थ इण्डिया आईटी पार्क्स, रियल अर्थ एस्टेट, स्काइलाइट हास्पिटेलिटी, ब्ल्यूवाइड ट्रेडिंग, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर, लम्बोआर्ड आर्टस, ग्रीनवेव्स, लाइफलाइंस, इन सबके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में वे लोग हैं, माननीय सचेतक महोदय, जिनका सम्बन्ध किसी न किसी तरह से आपकी राजनैतिक पार्टी से है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बार्डर की जमीन खरीदी है, वह भी बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह भी बता दूंगा। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये दोनों संशोधन जो लैण्ड टिनेंसी एक्ट में और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर सरकार लेकर आयी है, ये किसान के हित में हैं, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, इसलिए इसमें जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव आये हैं मेरा निवेदन है कि उनको खारिज किया जाए।

श्री सभापति: प्रवर समिति वाला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रवर समिति वाला जो प्रस्ताव तीन माननीय सदस्यों ने रखा है, उसको भी खारिज किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री केसाराम जी चौधरी और शंकरसिंह जी राजपुरोहित और जोगाराम जी पटेल को अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की आज्ञा दी जाए, आप सहमत हैं?

प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री केसाराम चौधरी, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, श्री जोगाराम पटेल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मुझे परमिशन दी जाए, मैंने प्रवर समिति को विधेयक को भेजने का प्रस्ताव किया है उसको मैं विड्रा करने की परमिशन चाहता हूं।

श्री सभापति: अब क्योंकि सदन ने ध्वनिमत से इस बात को अस्वीकार ही कर लिया है तो शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। कोई बोलना चाहें तो?

खण्डश: विचार। एक मिनट, आप विराजो। खण्डश: विचार कर लेते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): विचारार्थ पर बोल रहा हूं, खण्डश: पर तो आप कर लीजियेगा, खण्डश: पर कोई मतलब नहीं है, नीतिगत बात जो हमें कहनी हैं वो दो मिनट में कह लेंगे।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजें। जब पारण की स्टेज पर आएंगे, उस वक्त आपको मैं समय दूंगा।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, आपकी इजाजत से।

श्री सभापति: सुओमोटो इजाजत नहीं मिलती, आप विराजो। मैं जब नाम पुकारूंगा तब आप बोलना। श्री नरपत सिंह जी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, किसी भी एक्ट को अमैंड करते हैं तो 2-3 एक्ट को क्लब करके कभी अमैंडमेंट नहीं होता। क्या यह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमैंडमेंट) बिल के नाम से जाना जाएगा? यह अमैंडमेंट बिल है टिनेंसी एक्ट का, अमैंडमेंट बिल है रेवेन्यू एक्ट का। सभापति महोदय, यह टाइटल इसलिए गलत है। दोनों का छोटा होता लेकिन टाइटल अलग होते तो निश्चित तौर पर इसमें सार्थक रहता, क्योंकि रेवेन्यू एक्ट वाला पार्ट रेवेन्यू एक्ट में जाता और टिनेंसी एक्ट वाला पार्ट टिनेंसी एक्ट में जाता। डिफरेंस कितना है? पहले भी "Notwithstanding anything contained in any other provision of this Section, the agricultural land

(श्री नरपत सिंह राजवी)

may be used without permission for such non-agricultural purposes as may be prescribed by the State Govt." पहले भी ये प्रोविजन्स थे। लेकिन परमिशन देने की प्रक्रिया इतनी गड़बड़ है, उस मैकेनिज्म को तो आप सुधार नहीं पाये और एक नया अमैंडमेंट लेकर आ गये। पूरे राजस्थान में अनप्लांड डवलपमेंट हुआ है एक एग्रीमेंट के आधार पर गृह निर्माण सहकारी समितियों को देने का, उस समय के मुख्य मंत्री माननीय माथुर साहब ने जब दिया तो सीलिंग लॉ को बाई पास करने का रास्ता खुल गया। आज तक इतनी सरकारें रह गयी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी रही है और कांग्रेस की भी रही है, पर नियमन पूरा नहीं हो पाया है। क्या भू-माफिया की एक्टिविटी इससे नहीं बढ़ेगी? मुझे संशय है। 90 ए में "Restrict the use of land for non-agricultural purposes except with the written permission of the Govt." और वो अथोरिटी आप बनाएंगे। मंत्रीजी, अभी आपने कहा है कि सिर्फ तहसीलदार को सूचना देनी है, तो इसमें लिखते कि तहसीलदार को सूचना देने के बाद आपको कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। रिटिन परमिशन लेनी है, मींस प्रोसेस भी आपको ले-डाउन करना है कि इसको आपको एप्लीकेशन देनी है। रूल्स इसमें आप अलग बनाएंगे नहीं, अलग रूल्स इतने अन-टाइटल्ड। कामन टाइटल एक्ट का हो नहीं सकता और उसके अन्दर आप एक ऐसा पेंडोरा बाक्स खोल देंगे कि जैसे जयपुर की हालत बिगाड़ी है, गृह निर्माण सहकारी समितियों के एक आदेश के कारण एग्रीमेंट से आज भी पुरानी डेट में प्लाट्स बिक रहे हैं, वो की वो स्थितियां वापस होनी हैं।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि यह आपने जूलीफ्लोरा को आइडेंटिफाई करके टिनेंसी एक्ट में क्या लिखा है? "State Govt. or any authority appointed by it or for the purpose of plantation of Prosopis Juliflora." क्या यह प्लांटेशन वाला पार्ट अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं आता है? यह अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से बाहर निकाला हुआ है आपने? अध्ययन किया नहीं और अधिकारियों ने भेजा और आपने दस्तखत करके भेज दिया।

श्री सभापति: यह कानून तो हमने पिछली निवर्तमान सरकार के सत्र में पास किया है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं तो मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आप क्यों दे रहे हैं?

श्री सभापति: नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उस वक्त आप भी सम्माननीय सदस्य थे और यह संशोधन पास हुआ था उस समय।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं सदस्य उस वक्त भी था और आज भी हूं। सभापति महोदय, उस समय आप बोल रहे थे और आपके भी जो खुटखुटाहट थी वो ही आज वापस है। वो कोई चेंज नहीं हो गयी।

श्री सभापति: उसमें तो सीलिंग से भी उनको मुक्त कर दिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): +++

श्री सभापति: आसन इस प्रकार की बात को अंकित नहीं होने देगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): खजूर, ओलिव्ज, ये हार्टिकल्चर के पार्ट हैं। हार्टिकल्चर में जूलीफ्लोरा को भी अलाउ कर दें। साथ में अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ जाएगी तो रजिस्ट्रेशन की और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। पीरियड जरूर आपने बढ़ाया है। मुझे हिन्दुस्तान का पूरा इतिहास उठाकर बता दें कि एक भी इण्डस्ट्री जिसमें कैपिटल इन्वैस्टमेंट हो गया, सौर ऊर्जा का आप नाम ले रहे हैं तो जूलीफ्लोरा कहां सौर ऊर्जा में काम आएगा? आप उदाहरण दे रहे हैं जूलीफ्लोरा का। बायोमास का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए तो आप एरिया रिजर्व कर दें कि यहां पर जूलीफ्लोरा होगा, जिसने भी लीज पर जमीन ली है वह इस कम्पनी को बेचेगा, लेकिन यह सम्भव नहीं है। जूलीफ्लोरा तो इलैक्ट्रिफिकेशन, बायोमास का नाम लेते। उसके आधार पर आप सोलर एनर्जी को कहां से ले लेंगे? जयपुर डिवीजन में सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने का कहीं है क्या? जिसको भी दिखता है जैसलमेर और बाड़मेर दिखता है चाहे पाकिस्तानी हो चाहे लॉ बनाने वाले हों। गैर खातेदार को एक साल का दे नहीं सकते, यह तो पहले भी है। एक बार पजेशन लेने के बाद चाहे एक साल का लीज ले। मुझे ध्यान है, यहां पर इसी सदन में पूर्व मंत्रीजी थे और गन्दे पानी का लीज/लाइसेंस लिखा हुआ था और नगर निगम को मुंसिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा था उसको खाली कराने के लिए। क्योंकि गन्दे पानी में प्लांटेशन और सब्जियां उगायी जाती हैं वो हैल्थ के लिए अच्छी नहीं थीं। तो खाली कराने का मैकेनिज्म आपके पास है नहीं। अगर 15 साल का दे दिया और रिन्यू नहीं किया तो सात करोड़ रुपये-साढ़े सात करोड़ रुपये पर मेगावाट जो खर्च करने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है, उसका ब्रेक-इवन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

साढ़े सात साल पर आएगा, 10 साल में आएगा। पीपीएफ 6 रुपये यूनिट हो गयी, शायद उससे भी कम हो आने वाले समय में, तो खाली करने का मैकेनिज्म कोई अलग से डवलप किया है क्या? वर्ना वो रेवेन्यू बोर्ड से होने के बाद भी हाई कोर्ट से कम वह छूटेगा नहीं। उस आदमी की जनरेशन तो खत्म हो जाएगी, उसके बच्चों को लाभ मिलेगा। टिनेंसी एक्ट में 400 गज में ऑलरेडी मकान बनाने का अधिकार है, 140th or 400 sq. yards whichever is less, वो अधिकार भी आपने छीन लिया। यह एक्सप्रेस प्रोविजो इसमें करते कि उसके ऊपर लागू नहीं होगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय थोड़ा पढ़ तो लिये होते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सूरजगढ़ चुनाव में लगे हुए थे सफलता के लिए, इसीलिए नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप तो नहीं थे? धन्यवाद। खुद की भूमि पर इण्डस्ट्री लगाने का प्रोविजन मेरे खयाल से 1993 या 1994 में जब माननीय भैंरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे, तब किया हुआ था कि कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन बाद में करा लेना लेकिन इण्डस्ट्री लगा सकता है। सभापति महोदय, रूरल लैण्ड पर चाहे को-आपरेटिव बैंक हो, चाहे और हों, अगर इण्डस्ट्रियलाइजेशन का लोनिंग है तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं टोकना नहीं चाहता पर यह किस सैक्शन में किया हुआ था कि इण्डस्ट्री पहले लगा लेना, कन्वर्जन बाद में करा लेना?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वो भी बता दूंगा पर अभी तो इसी पर बोल लूं। वो भी बता दूंगा। वो प्रोविजन किया हुआ है। तो खुद की भूमि पर एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी, गंगानगर में फिशरीज के लिए 1927 से अलग से पानी निर्धारित था फिशरीज और बांध के लिए। अलाइड एक्टिविटी है यह, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। तो डिस्टिंग्विश तो करना पड़ेगा। भू-निर्माण गृह निर्माण सहकारी समिति, उसका एक का भी परमिशन से है क्या लैण्ड यूज? अभी तक नियमन चल रहा है। प्रोविजंस हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी वीक है। वह हो नहीं पा रहा है चाहे वह पोलिटिकल वीकनैस के कारण से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनैस के कारण से हो। सभापति महोदय, कुछ चेंजेज इस टाइटल में मेरे खयाल से तो जनरल

(श्री नरपत सिंह राजवी)

नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद मंत्रीजी ठीक समझते हैं तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, धन्यवाद।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, अभी विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनका जवाब तो मूल रूप से सरकार को देना है। लेकिन कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह जानकारी के तौर पर अर्ज करूंगा कि सन् 1999 में राजस्थान लाज एक्सटेंशन एक्ट आया और उस एक्ट में जेडीए एक्ट को अमैंड किया गया, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को अमैंड किया गया, जिला परिषद एक्ट को अमैंड किया गया और लाज अमैंडमेंट एक्ट, पांच-छह एक्ट्स को उसमें अमैंड किया गया। उसमें टिनेंसी एक्ट भी था और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट भी था। मेरे ध्यान में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें हाई कोर्ट में यह मुद्दा गया हो कि पांच-छह एक्ट्स को एक साथ अपन संशोधित नहीं कर सकते। खैर, फिर भी मुद्दा उठाया गया है और गम्भीरता से उठाया गया है, इसलिए माननीय मंत्रीजी उसका जवाब देंगे।

मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में सिर्फ यह लाना चाहता हूं, कानून जब हम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोलर प्लांट लगे और 30 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए उसका रिन्युअल हो तो लूणी से आने वाले माननीय सदस्य श्री जोगाराम जी पटेल ने जो मुद्दा उठाया है, धारा 42 टिनेंसी एक्ट के प्रावधान में साफ लिखा है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति और एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को किसी को भी सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता और यदि ऐसा करता है तो वाइड है, एब-इनीशियो वाइड है। क्या हम चाहते हैं कि सोलर प्लांट लगाने के लाभ से हमारे अनुसूचित जाति के भाई और अनुसूचित जनजाति के भाई वंचित रहें? क्योंकि 45 में अमैंडमेंट कर रहे हैं, सैक्शन-42 में भी करना बहुत आवश्यक था। यह हमारा विधि विभाग है और लॉ डिपार्टमेंट का जो भी काम है तो उनको ध्यान से देखना चाहिए। आखिर हम सोलर प्लांट खाली गैर अनुसूचित जाति के लिए थोड़े ही लगा रहे हैं। इसका लाभ किसी को भी मिले, इस दृष्टि से सैक्शन-42 को भी इसमें समाहित किया जाना आवश्यक था और...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 46-ए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): चलिये, 43-ए। वे सब कनैक्टेड सैक्शंस हैं जो अनुसूचित जाति के द्वारा दिये गये किसी भी गिफ्ट, रिक्वैस्ट और ट्रांसफर को नलिटी (Nullity) घोषित करते हैं। माननीय सदस्य श्री जोगाराम जी पटेल सही कह रहे हैं कि वह 43-ए हो गया होगा।

मैं निवेदन करता हूं कि हम किसी डिबेटिंग सोसायटी में नहीं हैं। हम कोई कालेज की डिबेटिंग सोसायटी में नहीं हैं कि इसमें एक पक्ष यह कह रहा है इसलिए दूसरे पक्ष को इसका विरोध करना ही करना है। हम ना पक्ष में नहीं है, ध्यान रखें। और हम अर्ज कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के 17(1)(डी) में कोई भी लीज मान्य नहीं होगी जब तक वह रजिस्टर्ड नहीं है और रिक्विजिट स्टाम्प ड्यूटी पर नहीं है। आपके पास एडवोकेट जनरल हैं, आपके पास ढेरों तो एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, आखिर विधि परामर्शी होगा, आपका लॉ सैक्रेटरी है, आप उनसे सलाह करें कि यह आवश्यक नहीं है क्या। और आवश्यक नहीं है तो आप देखना, यदि आप इसी तक सीमित रहते हैं तो इसका लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बिलकुल नहीं मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ अन्य जातियों को ही जिनकी भूमियां हैं, उन्हीं को मिलेगा और सोलर प्लांट वहीं लगेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा भ्रमित कानून हम नहीं बनाएं कि जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग वंचित हो जाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सैक्शन 43-ए और 42 और 17 (1)(डी) रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट के प्रोविजन्स को भी, जिस तरह से अल्पकालीन निर्णयों में बैंकों के पक्ष में रजिस्ट्री होती है, मोर्गेज होती है, उसको हमने जीरो स्टाम्प पर कर रखा है और जीरो रजिस्ट्रेशन फीस उसकी है, तो इस एक्ट में यह लिखने में कहां दिक्कत है कि यह भी जीरो स्टाम्प और जीरो रजिस्ट्रेशन फीस में होगा? मेरा निवेदन है कि आप इन मुद्दों को ध्यान में रखें। सरकार के समझ में आए तो संशोधन दूसरे बिल के माध्यम से ले आएं, हमें जिद नहीं है कि इसी में डाला जाए। आप किसी अन्य संशोधन से ले आएं पर यह आवश्यक संशोधन है और हो सकता है, आपको शायद आर्डिनेंस के द्वारा भी इन संशोधनों को लाना पड़े। इसी निवेदन के साथ, सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने समय दिया।

श्री सभापति: और कोई सदस्य बोलना चाहें? श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, विधायी कार्य में हमारा इंट्रेस्ट ज्यादा होना चाहिए, दो-तीन बातें आपके सामने रखूंगा, तब आप कहेंगे कि नहीं, वाकई बात वाजिब है। एक विषय तो यह था कि इस प्रोविजन का फायदा सभी काश्तकारों को मिलना चाहिए चाहे वे किसी भी कास्ट से आते हों। सरकार के ध्यान में यह बात आयी, इस सम्बन्ध में जरूर विचार करेगी और कोई उचित निर्णय लेगी।

दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है, मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक कृषि भूमि किसी पर्टिकुलर टाइम पर विद परमिशन अदर दैन एग्रीकल्चर के काम में ली जाती है तो आज तक का यह सैटल्ड लॉ हो गया है अपटू सुप्रीम कोर्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह केस से लगाकर आज तक के केस में सैटल्ड लॉ हो गया है कि वह लैण्ड फिर as defined in section-5(24) में लैण्ड नहीं है। वैसे धरती सब धरती होती है, लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भूमि कौन होगी, वह डिफाइन किया हुआ है सैक्शन 5(24) में। अगर वह भूमि नहीं रहेगी तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। इसीलिए यह भूमि चाहे किसी भी काश्तकार की है, विद परमिशन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज डीड होगा, एक लीज डीड होगा, एक लाइसेंस होगा और उस परमिशन के तहत एक काश्तकार इस भूमि का पजेशन दूसरे किसी व्यक्ति को देगा और वह एग्रीकल्चर परपज के लिए नहीं देगा, अदर दैन एग्रीकल्चर परपज के लिए देगा तो वह भूमि नहीं रहेगी और उसकी कोई भी कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत या राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत नहीं होगी। वह अदर दैन एग्रीकल्चर लैण्ड है, सैक्शन 5(24) में डिफाइन की हुई है, चाहे उसको आबादी लैण्ड कह दो, चाहे उसको और कोई रूप दे दो। डेफिनिशन वाली एग्रीकल्चर लैण्ड के अलावा so many lands are there और जब वह एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं रहेगी तो उसका रिटिन पजेशन मिल जाएगा तो किसको मिलेगा? यदि वह नहीं दे रहा है तो क्या लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजनों के तहत जो अथोराइज्ड परसन है, it may be ACM, it may be SDO, it may be anybody, उस कोर्ट में जाएगा या फिर उसको स्टाम्प ड्यूटी भरकर लैण्ड की वैल्यू करके सिविल कोर्ट में पजेशन के लिए जाना पड़ेगा? मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, इस बारे में कृपया थोड़ा-सा गम्भीरता से विचार करें। ज्योंही आपने उसको परमिट किया कि आप इस भूमि का उपयोग अदर दैन एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो आपने उसको परमिट किया कि इस भूमि की

(श्री जोगाराम पटेल)

नेचर चेंज होनी है। उस भूमि की नेचर चेंज एग्रीकल्चर से अदर दैन एग्रीकल्चर के लिए हो गयी और वह 20 साल रहेगी, 10 साल आपने और बढ़ा दी, 30 साल लगातार रहेगी और 30 साल लगातार अगर वह रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ला सैटल कर दिया कि उसको हम एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर लैण्ड उसी को मानेंगे जो एग्रीकल्चर के यूज में आ रही है।

ये केसेज कहां से गये, जो शहरी सीमा के आसपास बस्तियां बस गयीं या जो अदर दैन कुछ यूज हो गये और उन्होंने रेवेन्यू कोर्ट में जाकर दावा किया? उन्होंने कहा कि, साहब, यह लैण्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा, साहब, यह खतौनी है। खतौनी में एग्रीकल्चर लैण्ड लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर लैण्ड लिखने से एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं है। हम एग्रीकल्चर लैण्ड उसको मानेंगे जो रीयल में एग्रीकल्चर के यूज में आती हो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): गैर मुमकिन दर्ज होगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गैर मुमकिन दर्ज तो नहीं होगी जब तक काम्पीटेंट अथोरिटी का कोई आर्डर नहीं हो। लेकिन भले ही वह रेवेन्यू रिकार्ड में है, जिसको हम रिकार्ड आफ राइट्स कहते हैं, जिसको आप खतौनी कहते हैं, कहीं जमाबन्दी कहते हैं, उसमें भले ही वह दर्ज एज एग्रीकल्चर हो गयी हो, लेकिन उसकी नेचर कोर्ट के लिहाज से मानी जाएगी अदर दैन एग्रीकल्चर। फिर उसका अगर रिटिन पजेशन नहीं लिया, आपको जाना पड़ेगा तो रिटिन पजेशन के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट में जाना उस काश्तकार के बस का रोग नहीं होगा चाहे 10 बीघा है, चाहे 20 बीघा है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू करके स्टाम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत भरनी पड़ेगी। एक विषय तो मैं आपके सामने यह रखना चाहता था।

दूसरा विषय, माननीय सदस्य, मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूं कि ज्योंही आपने लीज या लाइसेंस जो भी लिखा, either it may be lease or it may be license और चूंकि आप 100 रुपये के ऊपर की प्रापर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं, transfer not as a sale but transfer for use of a particular time... तो 100 रुपये से ऊपर की होते ही वह स्टाम्प ड्यूटी जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, वो सारे प्रोविजन्स लागू हो जाएंगे और उसकी लीज जो है वह पर्टीकुलर रजिस्टर करानी पड़ेगी। और रजिस्टर कराना यूं भी जरूरी होगा। जो कम्पनी या जो भी प्रोजैक्ट लेकर आ रहा है, उसको कई बैंकों

(श्री जोगाराम पटेल)

से लोन लेना पड़ेगा, कई जगह उस डाकूमेंट को पेश करना पड़ेगा, कई उसका यूज करना पड़ेगा, कई परमिशनें लेनी पड़ेंगी तो वह एक डाकूमेंट आएगा और वो डाकूमेंट होगा सेल लीज डीड। लीज डीड रजिस्टर होगी। और एक बार लीज डीड रजिस्टर हो गयी और अदर दैन एग्रीकल्चर हो गयी तो फिर ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट के सारे प्रोविजन लागू हो जाएंगे। और ज्योंही ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट के सारे प्रोविजन लागू हो गये तो जनरल एक्ट्स के सारे प्रोविजन लागू हो जाएंगे और आपका यह जो राजस्थान टिनेंसी एक्ट है यह खतम हो जाएगा। उसके प्रोविजंस सारे खतम हो जाएंगे। आप इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करें कि अगर उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रोविजन लागू हो गये और आप उसकी टिनेंसी को खतम करना चाहेंगे तो 105 और 106 का आपको दो महीने का नोटिस देना पड़ेगा। चूंकि इसमें इण्डस्ट्री परपज के काम आ रहा है इसलिए सिक्स मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। सिक्स मंथ का नोटिस देकर फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा कि साहब आपकी जो पर्टीकुलर लीज थी वह लीज एक्सपायर हो गयी है Now you are in possession as an unauthorized occupant. फिर वो जाकर यह कहेगा कि ठीक है, आप कोर्ट में चले जाइए, पजेशन ले लीजिए मेरे से। उस पजेशन लेने के लिए कितने लिटिगेशन चल रहे हैं हमको पता है। कल जब डिबेट हुई थी, आप सबने कहा था, इतनी एप्लीकेशन पैंडिंग हैं, इतना टाइम लगता है। यह भी कहा गया था कि बेटा दावा करता है और पड़-पोते को जाकर उसका पजेशन मिलता है। वो की वो समस्या इसमें भी आने वाली है। इसलिए मैं तीसरा निवेदन आपसे यह भी करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि काश्तकार के राइट रिजर्व रहें। राइट रिजर्व रखने के लिए ऐसा कोई न कोई प्रोविजन इसमें आपको लाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका टिनेंसी जो राइट है, सबसे इम्पोर्टेंट राइट है उसका टिनेंसी राइट, वो टिनेंसी राइट खतम नहीं हो जाए। अगर टिनेंसी राइट एक बार लीज के बाद खतम हो गये और वह पजेशन से एक बार आउट आफ पजेशन हो गया तो मेरा निवेदन ऐसा है कि उसको पजेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

इसके अलावा एक बड़ी बात और रह जाएगी कि अगर वो किन्हीं तीन-चार काश्तकारों से मिलकर लैण्ड लेता है, किसी की दो बीघा हो सकती है, किसी की दस बीघा हो सकती है, किसी की पांच बीघा हो सकती है, उसका बड़ा

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोजैक्ट है, वह तीन-चार के साथ एग्रीमेंट करता है, अगर वो तीन-चार के साथ एग्रीमेंट करता है, उस एग्रीमेंट का एनक्रोच हो जाएगा। एक ने तो कह दिया तू पांच साल और रह जा, दूसरे ने कह दिया मैं नहीं रखता। एक आदमी कह सकता है कि तेरी लीज जो है वह रिन्यू करता हूं और रिन्यू के प्रोविजन ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट के 107 के अनुसार शुरू हो जाएंगे। दूसरा कहता है मैं रिन्यू नहीं करता, वह ब्लैकमेलिंग शुरू कर सकता है कि मैं तो रिन्यू नहीं करता, मेरे तो बीस साल हो गये, मैं रिन्यू नहीं करता। उस परिस्थिति में दोनों के लिए प्राब्लम पैदा हो सकती है। लाइसेंसी और लीजर दोनों के लिए प्राब्लम पैदा हो सकती है। इसका भी कोई इसमें एतराज नहीं किया गया है।

लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सैक्शन-5 (ए) में एक प्रोविजन बना दिया इस परपज के लिए। वह लिखा है सैक्शन-5 (ए) जो प्रपोज्ड है, "Notwithstanding anything contained in any other provision of this Section, the agricultural land may be used without permission for such non-agricultural purposes" We permit it कि आप नान-एग्रीकल्चर परपज के लिए यूज लो तो एग्रीकल्चर लैण्ड कैसे रहेगी? We specifically permit for such non-agricultural purpose as may be prescribed. 'as may be prescribed' कब, कहां? 'As may be prescribed' must be prescribed either in law, or in rules or in any substitute Act. इसी में पूर्ववर्ती तेरहवीं विधान सभा में जब संशोधन हुआ था तो उसमें तो स्पष्ट किया गया था कि यह जो परपज है वो यह है। उसमें बताया था, "Provided that for the purpose of agricultcural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Govt. or any authority appointed by it or for the purpose of plantation of Prosopis Juliflora or any other like plantation…." इसमें स्पष्ट कर दिया था। लेकिन एनी अदर परपज, वो एनी अदर परपज इसमें प्रैस्क्राइब्ड ही नहीं है। अगर दोनों ही, काश्तकार और उन दोनों को मिलकर लैण्ड को सेल करना है आने वाली संभावनाएं हैं, रिकार्ड पर रहेगा इस राजस्थान की पवित्र विधान सभा में, उसको अगर लैण्ड को सेल करना है तो स्टाम्प ड्यूटी बहुत लगती है। वह कहेगा, 100 रुपये के स्टाम्प एक लीज लिखते हैं और मैं आपको 40 ईयर के लिए लीज लिखता हूं। तो 100 रुपये के स्टाम्प पर 40 साल के लिए वह लैण्ड उसको ट्रांसफर हो गयी। और परपज कौनसा काम में लेना है? न तो लीजर को बाउण्ड किया और न लाइसेंसी को बाउण्ड किया है। इसलिए वो चाहे उसमें फैक्टरी लगाए, चाहे वह उसमें कालोनी काटे और चाहे वो उसमें कुछ भी

(श्री जोगाराम पटेल)

करे। हम उसको नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसमें अदर दैन नोन एग्रीकल्चर परपज के लिए हमने परमिट कर दिया। वो कहता है मैं तो यूज ले रहा हूं, अदर दैन एग्रीकल्चर परपज है। एग्रीकल्चर के अलावा मैं कुछ भी काम में ले सकता हूं, आप नहीं रोक सकते हैं मेरे को। वह जो टिनेंट है वही कहेगा कि मैंने इसको परमिट किया है। आपका ला परमिट करता है इसलिए मैंने इसको परमिट कर दिया। उस परिस्थिति में इसका मिसयूज करने की संभावनाएं भी बहुत हैं। इसीलिए इस सम्बन्ध में भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनाकर रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है कि आपको एग्रीकल्चर लैण्ड को इस परपज के ही काम में लेना है और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको एग्रीकल्चर परपज के लिए रिटर्न करना है। यह दोनों भी इसमें मिसिंग हैं।

एक विषय जो अंत में काफी था, चूंकि सभी माननीय सदस्यों को लैजिस्लेशन जो है, ठीक है यह तो हो जाएगा तो हो जाएगा और नहीं हो जाएगा तो बाद में कोर्ट में देखते रहेंगे। जो समस्या आने वाली है वह यह कि एक पर्टीकुलर गांव में एक इण्डस्ट्री लग गयी। उसके रास्ते का सवाल आएगा। आजकल जनरली आपको ये मिलेगा कि हर एग्रीकल्चर जोत के लिए एग्रीकल्चर लैण्ड के रास्ते नहीं हैं। अब अगर का खेत नेशनल हाइवे और उसके प्रोजैक्ट के बीच में एक किसी का खेत आ गया। या तो आपको उस रास्ते के वे के लिए जावे, जो आपने प्रोविजन बनाये उसके लिए जावे या फिर उसकी मनमर्जी के अनुसार उसकी बातें माननी पड़ेंगी। इन सारे के लिए जब तक कोई स्पेसिफिकेशन रूल्स बनाकर, स्पेसिफिक प्रोविजन बनाकर, परपज आलरेडी डिफाइन करके हम जब तक इस लॉ को नहीं बनाएंगे, तब तक अन्य सभी बातें यहां आने की संभावना रहेगी।

मेरा लास्ट में यह भी निवेदन रहेगा कि टिनेंसी एक्ट के एक पर्टीकुलर प्रोविजन में अमैण्डमेंट किया गया है। लेकिन इससे कोरिलेट करते हुए जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें अमैंडमेंट नहीं किया गया है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में परपज के लिए प्रोविजन बनाकर एक सैक्शन-5 (ए) बना दिया। लेकिन इससे कोरिलेट करने वाले जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट से सम्बन्धित रूल्स अलोटमेंट के हैं, इण्डस्ट्री के हैं, ट्यूबवैल लगाने के हैं, स्कूल को अलोट करने के हैं सो मैनी रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आज तक के जो एक्ट बने हुए हैं, क्योंकि आपके दूसरे एक्ट में डिफाइन किया हुआ है- आप जेडीए एक्ट में जाएंगे, आप म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में जाएंगे,

(श्री जोगाराम पटेल)

पंचायती राज एक्ट में जाएंगे, इन सारे एक्ट में यह कहा गया है कि इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। उन सारे एक्ट को एक पूरी स्टैडी करने के उपरांत कि उसका साइड इफैक्ट नहीं हो, मेरा निवेदन है, इस सम्बन्ध में एक स्पेसिफिक काम्प्रीहैंसिव लॉ आए ताकि भविष्य में जो लैण्ड ले रहा है उसको भी फायदा हो और जो लैण्ड दे रहा है उसको भी फायदा हो।

इसके साथ ही अंत में मैं एक निवेदन और करूंगा, थोड़ा विषय से हटकर है लेकिन राजस्थान टिनेंसी एक्ट से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन यह है कि उस परपज के लिहाज से भी जरूरी हो गया है कि जो कानून ऐसे हों, भाई-बहिन के झगड़े वाले कानून, उनमें भी अमेण्डमेंट लाने जरूरी हैं। ग्यारहवीं विधान सभा में राजस्थान टिनेंसी एक्ट नया लाया, उसके बाद वह आ गया। बारहवीं विधान सभा में टिनेंसी एक्ट नया लाये, ऐसे ही रह गया। टिनेंसी एक्ट जो 15.10.1955 में लाया गया, वह ओल्ड हो गया है। इसकी जगह नया राजस्थान टिनेंसी एक्ट, नया लैण्ड एक्ट लाना भी जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को समाहित करते हुए ऐसा काम्प्रीहैंसिव लॉ लाया जाए, तो काम आएगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं बस एक ही सजेशन दे रहा हूं। आप इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही ले लो न डेफिनिशन में यह ट्रांसफर आफ प्रापर्टी में आएगा ही नहीं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, एक सम्माननीय सदस्य और बोलना चाह रहे हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही अनुरोध है जो 30 साल लीज का रखा गया है उसको 30 साल न रखकर 99 वर्ष का जिस तरह का होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजैक्ट लगेगा, इण्डस्ट्री प्रोजैक्ट तीस साल स्थापित करने में ही लग जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कम से कम 30 साल एक सीमा बढ़ा दी जाए कि इतना परसेंटेज तो देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा काश्तकार को, ताकि उसका भी संरक्षण हो सके और एससी/एसटी के लिए भी प्रोविजन लागू होना चाहिए। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

सूचना

किसान संघ के प्रतिनिधिमण्डल का आगमन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक प्रार्थना कर रहा था कि किसान संघ का कोई प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, काफी लोग बैठे हुए हैं बाहर, तो माननीय मंत्रीजी उनसे कोई मिलें, आप निर्देश करें तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 और लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 इसमें ...

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजें। माननीय मंत्री महोदय, सांगानेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जो बात अभिव्यक्त की है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यथोचित आप कार्यवाही करने की कृपा करें।

विधेयक का पारण

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज्ञा शिरोधार्य।

सभापति महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 और लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 है इसमें एनेबलिंग प्रोविजन जो हैं उसी में हम संशोधन लेकर आये हैं। अगर इस पूरे एक्ट के उद्देश्य, कारणों और कथनों पर दृष्टि डालें तो स्थिति अपने-आप स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो अमैंडमेंट आये हैं ये अमैंडमेंट किस उद्देश्य को लेकर आये हैं। सभापति महोदय, इसमें अगर मैं पहली पांच लाइनें पढ़ूं तो अपने-आप सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 'राजस्थान राज्य कम औसत वर्षा के साथ अधिकतम तीव्र सौर प्रकाश प्राप्त करता है। यहां कम कीमत की अनुपयोजित मरु भूमि भी बहुतायत में है। इसलिए देश में राजस्थान का सौर और वायु शक्ति के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरना सम्भाव्य है।'

सभापति महोदय, इस स्पेसिफिक परपज के लिए यह लाया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, गाना इतना अधिक चल गया, मंत्रीजी, फिर भी अभी आप सौर को शोर ही बोल रहे हो। सावन का महीना पवन करे..., वो कितनी बार बोल गये फिर भी सौर, सौर, सौर बाबा, शोर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सौर। सभापति महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 45 (1) के अन्तर्गत ऐसे परपज हेतु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सबलैट अवधि तीस वर्ष तक हो सकेगी व जो दस वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी जिनके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट 90 ए की उप धारा 5 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रैस्क्राइब करेगी। अर्थात् इसमें सम्परिवर्तन उसी का होगा जिसे राज्य सरकार प्रैस्क्राइब करेगी। वैसे तो राज्य सरकार ने उद्देश्य, कारणों और कथन में अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया, पर प्रैस्क्राइब जिसमें करेगी उसी में हो सकेगी। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एग्रीकल्चर से नान एग्रीकल्चर परपज के लिए अगर लैंड चली जाएगी तो उसमें टीपी एक्ट लागू हो जाएगा।

इसी तरह, सभापति महोदय, गैर कृषि से कृषि के संवर्धन के लिए आवश्यकता जो है उसके अन्दर भी स्पेसिफिक परपज के लिए किया गया है। सभापति महोदय, यह जो 46ए के अन्दर आपने कहा कि इसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब की एग्रीकल्चर लैंड को नान एग्रीकल्चर लैंड के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। प्रतिषेध किया गया है। निश्चित तौर पर प्रतिषेध किया गया है। इस पर हम विचार करेंगे। अगर सीधे हम डाल देते तो जिस प्रकार माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय कह रहे थे कि इसके पीछे जो भावनाएं हैं, उनमें फिर यह बात आ जाती कि एससी और एसटी की लैंड जो है उसको हम इन विकासकर्ताओं को सौंपना चाहते हैं। उस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अन्य किसानों के लिए नहीं आएगी क्या वो बात? केवल एससी/एसटी के लिए कैसे आती?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यहां सवाल यह उठाया गया कि जब लीज एग्रीमेंट हो जाएगा किसान और डवलपर के बीच में, लीज एग्रीमेंट पूरा होने के बाद अगर वो जमीन खाली नहीं करेगा तो? सभापति महोदय, टिनेंसी एक्ट की धारा 183 के अन्दर पहले से प्रावधान है, एसीएम, एसडीएम के सामने बेदखली का दावा कर सकते हैं। लीज एग्रीमेंट खुद इटसैल्फ इस प्रकार का ड्राफ्ट होगा जिसमें सारी शर्तें इस प्रकार की होंगी कि निश्चित समयावधि के बाद में उसको खाली करना पड़ेगा। यह तो उस पर निर्भर करेगा जो लीज एग्रीमेंट होगा। और लीज एग्रीमेंट स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाए, इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की जो सोलर एनर्जी पालिसी, 2014 आ रही है उसके अन्दर वो सारी छूटें, हम क्या-क्या छूट देंगे किसान को, विकासकर्ताओं को क्या छूट देंगे, सरकार अपनी तरफ से क्या सुविधा देगी, वो सारी उसमें सम्मिलित होंगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने आशंकाएं जतायी हैं और आपने यह कहा कि इसमें टाइटल क्या होगा। राजस्थान लैंड ला अमैंडमेंट बिल, 2014 यही इसका टाइटल रहेगा, सभापति महोदय। इसी के अन्तर्गत रूल्स बनेंगे। रूल्स के अन्दर सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। इसी टाइटल के अन्दर राजस्थान लैंड लॉ अमैंडमेंट बिल के अन्दर ही ये दोनों अमैंडमेंट आये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 श्री गुलाब चन्द कटारिया।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल (अनुपस्थित)। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव किया था उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल (अनुपस्थित)। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, जो प्रस्तुत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

विधेयक है दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014, हमने इसे जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन किया है। वैसे कुल मिलाकर इतनी जल्दी-जल्दी में ये विधेयक लाये गये हैं कि इनमें खण्डश: संशोधन देने का समय ही, सभापति महोदय, नहीं मिला। कुल मिलाकर दण्ड जो दस हजार की जगह आप पचास हजार कर रहे हैं, हमें इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। हमारा निवेदन यह है कि एक्साइज एक्ट में जो भी आपा-धापी हो रही है, और एक्साइज एक्ट में आपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा है, ''The Rajasthan Excise Act, 1950 was amended by the amending Act of 2007. In Section 54 of the Act the provision of sentence for three years imprisonment and find of twenty thousand rupees has been provided."

मैं निवेदन करता हूं, जब 2007 से यह प्रावधान है कि बीस हजार की पैनल्टी हो सकती है। 2007 को सात साल हो गये सभापति जी, सरकारें बीच में सोती रहीं? क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट को तो पावर सिर्फ दस हजार की है तो सात साल तो यह प्रोविजन सोता रहा और जो उसकी पैनल्टी बीस हजार की लगायी जा सकती थी, एक्ट में कहा, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पूर्ववती सरकार ने, कि बीस हजार का संशोधन हम ले आएं, ताकि हमारा मजिस्ट्रेट बीस हजार की पैनल्टी तो कर सके। यह सात साल बाद जो संशोधन आया है मैं कहता हूं, लेट ही सही, आ तो गया। इसलिए जो आया है उसका तो स्वागत है, पर, सभापति जी, इस बात को माननीय मंत्रीजी एक्जामिन करें कि एक्साइज एक्ट के जितने प्रावधान हैं उनमें यह प्रावधान भी है कि जितना एक्साइज का लोस हुआ है उसका दस गुना पैनल्टी वो लगा सकता है। एक्साइज का लास मान लीजिये दो लाख हुआ है, तो अब दो लाख की पैनल्टी लगाने का कौन है अधिकारी, बताइये मुझे? तो फिर यह प्रावधान भी आज भी सोएगा, सुप्त रहेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसकी क्रियान्विति नहीं होगी और क्रियान्विति होगी तो फिर जज बदलेगा। या तो आप इसी को एम्पावर करते कि यदि एक्साइज का मैटर है तो बीस हजार नहीं वो उसकी हद तक पैनल्टी लगा सकेगा।

मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि 2007 से 2013 के बीच में जितनी एक्साइज की पैनल्टीज हुईं, उसका माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेंट तो मंगा लें, जिससे अंदाजा तो आपको हो जाए कि जहां दस हजार की पैनल्टी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लगी वो बीस की लग सकती थी बशर्ते कि विधान सभा समय पर संशोधन कर देती कानून को। मैं इन्हीं दो मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सभापति जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने बोलने का समय दिया, मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. किरोड़ी लाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री मोहन लाल जी गुप्ता (अनुपस्थित)। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के राजस्थान राज्य में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए विधेयक पर चर्चा में अपने विचार और राय शामिल करने के लिए मुझे अवसर दिया गया है, मेरा निवेदन है कि दस हजार से बढ़ा कर जो पचास हजार रुपये का दण्ड किया गया है आबकारी विभाग में, इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई निर्दोष पर ज्यादा जुर्माना रहेगा। विस्तार से डिटेल नहीं दी गयी है कि किस तरीके से किस पर यह लागू होगा, यह धारा लगाई जाएगी और जुर्माना किया जाएगा। इसका इसमें विस्तार से विवरण होना चाहिए था। जो जुर्माना दण्ड के रूप में दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्ति के जैसे पहले दस हजार था, सिर्फ उसकी जगह पचास हजार किया गया है लेकिन डिटेल में कोई प्रावधान नहीं है कि किस आधार पर उसको जुर्माना देना होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 में संशोधन सरकार लायी है, यह अपने आप में अच्छा है। एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आबकारी का यह नियम जलेबी की तरह गोल है, इसमें इतने आंटे हैं कि एक नियम बनाते हैं और आरोपी कोई न कोई दूसरी गली निकाल देता है। माननीय सभापति महोदय, दण्ड को पांच गुणा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, करना ही चाहिए। अपराध बढ़ रहे हैं। इस बात में एक बात और कह देता हूं, आज जितनी भी वाहनों की चोरियां हो रही हैं, बोलेरो गाड़ियां चुराई जा रही हैं, वे सारी शराब की तस्करी में काम आती हैं। आबकारी नियम के तहत शराब की तस्करी में जो वाहन पकड़ा गया उस वाहन को जब्त किया जाएगा, लेकिन वाहन के मालिक को तो मालूम ही नहीं है। चोरों का जो ठेकेदार है उसने

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

तुरन्त जयपुर से गाड़ी उठायी और भरतपुर के किसी शराब की तस्करी करने वाले को दे दी। उसमें एक बार, दो बार, चार बार तस्करी की और पांचवी बार पकड़ी गयी। मेरे कहने का मतलब है कि हम नियम बनाते हैं और चोर कोई न कोई गली निकालकर एक अलग रास्ता निकाल देता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको जितना कठोर बनाओ, उतना कम है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस नियम के बिलकुल समर्थन में मैंने विचार रखे हैं, धन्यवाद।

श्री सभापति: फिर आपने जनमत जानने के लिए क्यों...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): तो वह हम वापस लेंगे न। जब आप आदेश करेंगे, हम वापस ले लेंगे।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, वैसे एक बहुत ही सामान्य-सा अमैंडमेंट है। सामान्य-सा अमैंडमेंट इसलिए है कि जो फर्स्ट ग्रेड न्यायाधीश है उसके पास सुनवाई का अधिकार था उसमें दस हजार और तीन साल तक की सज़ा थी। अब ऐसे केस में उस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को तीन साल की सज़ा भी है और उसको दस हजार के बजाए पचास हजार तक दण्ड करने का अधिकार है। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 73 का 29 की धारा 2 है इसमें अमैंडमेंट है, "The Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding ten thousand rupees or both." पहले यह दस हजार तक की बात को सुनता था और उस पर कर सकता था, अब इसकी रेंज पचास हजार तक की है। अपन ने देखा कि जो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार है उसका एक आग्रह था कि जो केस नीचे-ऊपर, जो सीजेएस जाना था, उसको इस बात का अधिकार था, उसकी जगह हमने इनको यह अधिकार दिया। उसके बारे में उनकी एक चिट्ठी के आधार पर इसको हमने अमैंड किया ताकि फर्स्ट ग्रेड का मजिस्ट्रेट है उसको इन केसेज को सुनने का अधिकार और इस तक सज़ा देने का अधिकार हो।

यह जो आपने कहा, वह वास्तव में सही है कि एक्साइज एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1950, इसमें राजस्थान आबकारी संशोधन अधिनियम, 2007 से हमने इसको कर दिया था और रेंज बीस हजार तक की बढ़ा दी थी। लेकिन वास्तव में इसकी अब जो हियरिंग है, पहले सीजेएम कोर्ट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तक जाना पड़ता था इस प्रकार के केस के लिए और उसी को यह अधिकार था और वही यह फाइन कर सकता था। उसकी जगह हमने नीचे फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया, वह इस बात का फैसला करेगा। सामान्यत: अधिकार क्षेत्र के अन्दर जो बंटवारा था, यह केवल फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट को ही अधिकार दे दिया ताकि भविष्य के जो केस होंगे, वह इस सीमा तक उनको सज़ा दे सकता है, उस सीमा तक उसको दंडित कर सकता है, उसकी सीमा और रेंज में। अधिकांश केस जिस प्रकार सीजेएम में जाते हैं उसकी जगह नीचे की कोर्ट को यह अधिकार होगा और वह इसके बारे में सुन सकेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट हम नहीं कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जब 2007 में ही हमने प्रावधान एक्साइज एक्ट में कर दिया था बीस हजार का तो यह प्रावधान पहले ही संशोधित होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सात साल अमेंड नहीं हुआ, उसका नुकसान तो राज्य को हुआ ही है, यह तो ध्यान करिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उद्देश्यों को जब आपने पढ़ा, हमने एक्साइज एक्ट में जो संशोधन 2007 में किया उस समय दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार कर दिया। जितनी पैनल्टी उसकी थी उसको पांच गुणा करने का अधिकार उस समय के अमेंडमेंट में दे दिया था। सारे के सारे इस प्रकार के केस सीजेएम के पास जाते थे और वहां जाकर निर्णय होता था। अब सीजेएम से हटाकर हमने उसको फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट में डाल दिया, वह इसके बारे में फैसला कर सके।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई सम्मानीय सदस्य बोलना चाहें?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मेरा एक ही निवेदन है, बहुत अच्छा संशोधन विधेयक लाये हैं, स्कूल और मंदिर के पास हो तो उनको तो सज़ा ही दी जाए। फाइन तो पांच हजार, दस हजार या पचास हजार दारू के ठेकेदार दे देते हैं। परन्तु स्कूल और मंदिरों के पास में यह खुलनी ही नहीं चाहिए, उनको जेल ही होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह जो मंदिरों वाला है, यह प्रावधान क्यों किया है? (व्यवधान) नहीं, नहीं, उसमें है न, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। वर्ना वह जगह बता दे जहां खुदा नहीं है।

श्री सभापति: इसमें थोड़े ही कोई संशोधन करना है।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

राष्ट्र गान।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.41 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)